राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 01] पन्द्रहवीं विधान सभा के पहले सत्र का चौथा दिवस [संख्या: 04

शुक्रवार,

18 जनवरी 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। सचिव महोदय।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

संसदीय कार्य विभाग

सदन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिये सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति

सचिव, विधान सभा: महोदय, राज्यपाल महोदय के आदेश की अनुपालना में जारी अधिसूचना क्रमांक: प.1(1)संसद/2018 दिनांक 17 जनवरी, 2019 निम्न प्रकार है:-

"दिनांक 8 जनवरी, 2019 के आदेश, जिसके द्वारा श्री गुलाब चन्द कटारिया को और दिनांक 8 जनवरी, 2019 के आदेश, जिसके द्वारा श्री भंवरलाल शर्मा, श्री परसराम मोरदिया और श्री महादेव सिंह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया गया था जिनके समक्ष पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों को शपथ लेनी थी या प्रतिज्ञान करना था और उस पर हस्ताक्षर करने थे, को अतिष्ठित करते हुए, मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:

1. राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष,
2. राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष, और
3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड(2) के अनुसार

(सचिव)

राजस्थान विधान सभा के सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम व्यक्तियों को, इसके द्वारा उन व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं, जिनके समक्ष पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा का कोई सदस्य शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा और उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

कल्याण सिंह

राज्यपाल, राजस्थान"

मैं इस अधिसूचना को सदन की मेज पर रखता हूं।

दिनेश कुमार जैन

सचिव

सभापति तालिका

राजेन्द्र पारीक, जितेन्द्र सिंह, महेन्द्रजीत सिंह मालविया व ज्ञानचन्द पारख, सर्वश्री का सभापति तालिका के लिए मनोनयन

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 9(1) के अंतर्गत मैं निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं:

1. श्री राजेन्द्र पारीक
2. श्री जितेन्द्र सिंह
3. श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया
4. श्री ज्ञानचन्द पारख

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:

(1) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सेवा केन्द्रों का नाम पूर्व की भांति राजीव गांधी सेवा केन्द्र किये जाने के संबंध में।

(2) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में प्रतिदिन हो रही अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री हनुमान बैनिवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री गुलाब चन्द कटारिया, नेता, प्रतिपक्ष एवं उप नेता श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं अन्य सदस्यों की ओर से सरकार द्वारा 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों का 10 दिनों में कर्ज माफ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्री हनुमान बैनिवाल, श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं अन्य सदस्य श्री गिरधारी लाल एवं श्री पुखराज को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की पेयजल समस्या का स्थायी निराकरण करने के संबंध में।

(2) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा (दक्षिण) में मेडिकल कालेज से संबंधित अस्पतालों में दवा खरीद में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने के संबंध में।

(3) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले में अकाल एवं सूखे की स्थिति से आमजन व पशुओं को राहत प्रदान किये जाने के संबंध में।

(4) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में।

(5) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में वर्ष 2017 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से खराब हुए कच्चे-पक्के मार्गों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बरसाती पानी के संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में।

(7) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बीसलपुर परियोजना से प्रतिदिन सप्लाई किये जा रहे पेयजल की मात्रा में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

(8) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के पूर्व में जिन्दल स. लिमिटेड द्वारा किये जा रहे विस्फोटों से मकानों में आ रही दरारों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कृषि कनेक्शन आरक्षित वर्ग श्रेणी में नहीं दिये जाने से हो रही परेशानी के संबंध में।

(10) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से किसानों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 18 जनवरी, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु दस पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं। अनुमति तीन पर दी गई जो निम्नानुसार है:

(1) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, चित्तौड़गढ़ में हिन्दुस्तान जिंक के आसपास के गांवों में प्रदूषण से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(2) श्रीमती इन्द्रा, बामनवास विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के संबंध में।

(3) श्री रामलाल शर्मा, नेशनल हाइवे जयपुर से सीकर के बीच चौमूं बस स्टैंड पर अतिक्रमण के संबंध में।

पहले स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। श्री हनुमान बैनिवाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रदेश में किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा की क्रियान्विति

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं

(श्री हनुमान बैनिवाल)

आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने स्थगन प्रस्ताव जो आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के किसानों की मुख्य मांग है। सम्पूर्ण कर्ज माफी को लेकर राजस्थान में भी बड़े जन आंदोलन हुए और नागौर में 7 दिसम्बर, 2016 को पांच लाख लोगों ने हुंकार भरी थी, जिससे प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया। वहां की सरकार ने उन पर गोलियां चलाईं।

कई किसान शहीद हुए और कर्ज माफी के आंदोलन को पूरे देश में हवा मिली और यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कई स्टेट्स ने कर्जा माफ किया, लेकिन हर जगह कर्ज माफी में राइडर लगा दिया। कहीं पचास हजार रुपये कर्ज माफी की घोषणा हुई, कहीं एक लाख रुपये कर्ज माफी की घोषणा हुई, लेकिन अध्यक्ष महोदय, किसानों को इसका सीधा फायदा किसी भी स्टेट में नहीं पहुंचा। इस बार जब हमने पूर्ववर्ती सरकार के समय हुंकार भरी और राजस्थान में 5 बड़ी रैलियां कीं, किसान आंदोलन हुए, तब पूर्ववर्ती सरकार ने दबाव में आकर चुनावों में वोट लेने के हिसाब से पचास हजार रुपये कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उस कर्ज माफी में अगर सम्पूर्ण पचास हजार रुपये का कर्जा माफ करते तो आठ हजार करोड़ का रेवेन्यू राजस्थान की सरकार को अतिरिक्त किसानों के लिए देना पड़ता। अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता थी, लेकिन 8 हजार करोड़ के रेवेन्यू की बजाय इन्होंने आनन-फानन में राइडर लगाये और 2 हजार करोड़ रुपये किसानों के माफ हुए। उसके बाद चुनाव आ गये। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनावी रैलियों में आये और उन्होंने सम्पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आये और उन्होंने सम्पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा की और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की।

अध्यक्ष महोदय, 2 लाख रुपये का कर्जा जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, 10 दिन में कर्ज माफी की बात थी और 2 लाख रुपये की कर्ज माफी की घोषणा कर दी, लेकिन उसमें भी राइडर लगा दिये कि डिफाल्टर का कर्जा माफ होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज देश के किसान का आजादी के 70 साल बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, मण्डी में उसका माल नहीं बिक रहा है। किसान आत्महत्याएं कर रहा है और आत्महत्याओं की दर राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में बढ़ रही है। पहले

(श्री हनुमान बैनिवाल)

महाराष्ट्र, उड़ीसा आत्महत्या के मामले में नंबर एक पर थे, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान उस आंकड़े को पार करके नंबर एक पर चला जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमें देश के अन्नदाता के बारे में सोचना है। यहां कांग्रेस की सरकार है। मैं तो चाहूंगा कि सम्पूर्ण कर्ज माफी की बात कांग्रेस की सरकार राजस्थान में करे। 2 लाख रुपये का कर्जा अभी तुरन्त माफ करे। उसमें राइडर हटाये और इस कर्जे के बाद किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करे। मैं तो कहूंगा कि के.सी.सी. सहित सम्पूर्ण कर्जा माफ करे।

जब धन्ना सेठों का तीन लाख करोड़ का कर्जा दिल्ली की सरकारों ने पिछले 15 सालों में माफ किया तो राजस्थान के अन्नदाता का भी सम्पूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा, कल जैसे आपने कहा कि पक्ष-विपक्ष मिलकर अगर राजस्थान में काम करें तो, अध्यक्ष महोदय, हम तो, पक्ष-विपक्ष मिल जाएगा तो इनके साथ ही हो जाएंगे, पर कांग्रेस पार्टी सम्पूर्ण कर्ज माफी की यहां घोषणा करे। अगर यहां राज्य के पास इतनी आर्थिक व्यवस्था नहीं है, आर्थिक तंगी है तो दिल्ली के अन्दर आपकी सरकार है और मेरे बाद आपका ही, भारतीय जनता पार्टी का ही स्थगन प्रस्ताव है तो आप यहां से पूरा मसौदा तैयार करके मोदी जी के पास ले जाएं और देश के किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा प्रधान मंत्री से कराएं जिससे इस देश के किसान को सम्बल मिले। किसान आत्महत्या कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, विजय माल्या जैसा व्यक्ति हजारों करोड़ रुपये लेकर भाग गया, ललित मोदी भाग गया, वापस नहीं आ रहा है, रैड कार्नर नोटिस जारी किया जाता है पर ऐसे लोगों को लाने में सरकार नाकामयाब है। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता यहां बैठे हुए हैं, मैं सरकार से मांग करूंगा कि राजस्थान के किसानों को बचाना है तो सम्पूर्ण कर्जा माफ किये बिना राजस्थान का किसान नहीं बच सकता। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में सिंचाई बहुत कम इलाके में होती है और ज्यादातर इलाका बरसात में खेती पर निर्भर करता है और बरसात से ही वहां खेती होती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): एक मिनट अध्यक्ष महोदय। वहां उन पर बहुत कर्जा है चाहे सहकारी बैंकों का हो या दूसरे बैंकों का हो। वहां के.सी.सी. लेकर किसान अपना काम निकाल रहा है और अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। नरेगा में मजदूरी करके वह जयपुर और दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि वित्तीय

(श्री हनुमान बैनिवाल)

व्यवस्था किस तरह से होती है वह सरकार तय करे, दिल्ली में ये लोग पैरवी करें, राजस्थान में आप पैरवी करें और राजस्थान के किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा हो। अध्यक्ष महोदय, इससे राजस्थान के किसान की कमर जो आजादी के 70 साल बाद टूटी थी और जो सपना हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए शहादत दी थी, किसानों के लिए सोचा था वह राजस्थान, वह भारत हम सब देखना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप जैसे अध्यक्ष यहां विराजमान हैं, मुख्य मंत्रीजी भी बैठे हैं, विपक्ष भी बैठा है, अब चुनाव का टाइम है, आपने दो लाख की घोषणा की तो घोषणा में तो आप भी पीछे नहीं रहोगे, कुछ न कुछ करने वाले हो लेकिन घोषणा को अमलीजामा कैसे पहनाया जाए, देश के किसानों का कैसे कर्जा माफ हो, राजस्थान के किसानों का कैसे कर्जा माफ हो.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर पूरे देश के किसान आंदोलित हैं, दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी पर पुन: विचार करें और सम्पूर्ण राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो इबारत लिखी है, वह इबारत यह है कि "दस दिन में किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ किया जाना।" जो आदेश निकाला है वह इस बात में सन्देह पैदा करता है कि आपने जो घोषणा पत्र में लिखा और जो आपने कहा, इसमें अन्तर क्या है यह थोड़ा-सा समझाने का प्रयास अगर सदन के नेता करेंगे तो राजस्थान की जनता को हकीकत समझ में आएगी कि वास्तव में किया क्या है। 19 तारीख को जो आदेश निकाला, उसमें है - 'राजस्थान राज्य के सहकारी बैंकों के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता अनुसार पात्र पाए गए ऋणी कृषकों का दिनांक 30.11.2018 की तिथि में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के भी सभी कृषक जो आर्थिक रूप से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

संकटग्रस्त हैं और अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, डिफाल्टर हैं, उनका सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्र पाए जाने पर दिनांक 30.11.2018 की तिथि में दो लाख रुपये की सीमा तक का कालातीत, अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाता है।' इस भाषा से और आपके घोषणा पत्र की भाषा में कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है। मैं चाहता हूं कि आप इसको स्पष्ट करें ताकि जिस बात को आपने, कारण क्या है कि घोषणा पत्र में कई चीजें हम लिखते हैं पर यह जरूरी नहीं है कि वह इसी साल हो जाए या अगले साल होगा, उसके बीच में होगा पर पांच साल की कार्य अवधि में आपके घोषणा पत्र के द्वारा जो निर्धारित बिन्दु किए गए उनका निस्तारण होना चाहिए, यही घोषणा पत्र का अभिप्राय है। लेकिन यह जो किसान की डिमांड है इसको आपने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि दस दिन में। अब 17 तारीख को आपने शपथ ली, आज एक महीना और एक दिन हो गया, इस अवधि में वास्तव में यह आपकी जो घोषणा थी और जो आपने आदेश निकाला, इन दोनों के बीच में जो अन्तर है उससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। मैं जानना चाहता हूं और आज सदन के नेता इस बारे में स्पष्ट करें कि राजस्थान का किसान भ्रमित न हो, उसके साथ धोखा न हो जाए तो मेरे कुछ बिन्दु हैं वे ये हैं। राज्य में किन किसानों का ऋण माफ होगा, पात्र कौन होंगे, यह स्पष्ट करें ताकि यह समझ में आए। राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने वाले किन किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा? कोई चीज इसमें स्पष्ट नहीं हो रही कि वास्तव में हो क्या रहा है और दस दिन में कर्जा माफ करने के कारण किसान के खाते में कितना पैसा कहां चला गया। क्या भूमि विकास बैंक और जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए ऋणों को भी माफ किया जाएगा? कब तक माफ कर दिया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। किस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, कैसे इसकी पालना होगी, कैसे इसको प्रोसेस करेंगे? क्या भाजपा सरकार ने जिन किसानों का ऋण माफ किया है उनका ऋण भी पुन: माफ किया जाएगा? यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्या भाजपा सरकार के सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने के पश्चात् किसानों को पुन: जो फसली ऋण वितरित किया गया था, क्या वर्तमान सरकार किसानों को पुन: खरीफ और रबी की फसल में ऋण वितरित करेगी या नहीं?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसानों का कर्जा माफ करने के लिए सरकार वित्तीय संसाधन कहां से और किस प्रकार से जुटाएगी? ये कुछ प्रश्न खड़े होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रतापूर्वक मेरा सदन के नेता से निवेदन है कि आपकी इस बात का, आपने जो यह स्पष्ट कहा था, उसमें यह नहीं कहा था कि हम कौनसा ऋण माफ करेंगे, आपने कहा था कि दस दिन में किसानों के सभी प्रकार के कर्जे हम माफ करेंगे। इसका अभिप्राय क्या है यह समझ में नहीं आया। सभी प्रकार का मतलब कौनसा? क्या केवल फसली ऋण है, डिफाल्टर हैं उन्हीं का ऋण माफ होगा? कितना होगा, कितना अमाउंट लगेगा, कितने किसानों का होगा, कितनी उनकी संख्या होगी वह स्पष्ट नहीं है। मैं चाहूंगा कि यह किसान से जुड़ा हुआ इतना महत्वूपर्ण विषय है और जिसके आधार पर उसने भरोसा किया, मैं सोचता हूं.....

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा पत्र.....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अभी बोलने दो न, ज्यादा अक्ल क्यों लगा रहे हो आप? जबदरस्ती गरम करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर सदन के नेता इस बात को स्पष्ट नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि इस बात को स्पष्ट करो..... (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई खास बात नहीं है, मैं तो घोषणा पत्र में है वह है..... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): .... कि वास्तव में आपने जो बात कही, मैंने आपकी वह भाषा पढ़कर बताई, जो आपने आदेश निकाला वह आदेश मैंने पढ़ दिया। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो आपके द्वारा कही गई बातें हैं, उनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आदेश की भाषा थी वह मैंने पढ़ दी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, एक मिनट माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्पष्ट करना चाहता हूं। (व्यवधान) आप इस बात को समझने की कोशिश करें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह आपका विषय नहीं है, आप नहीं बोल सकते हो। आप जवाब नहीं दे सकते। मैंने सदन के नेता से पूछा है। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा हुआ है। घोषणा पत्र में सिर्फ यह लिखा हुआ है कि फसली ऋण माफ किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप चलाकर विघ्न डाल रहे हो। मैं सोचता हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी, सदन में प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं उन्होंने यील्ड नहीं किया है, let him speak. (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सर, अगर वह कोई बात गलत बोलेंगे तो क्या मैं उसको नहीं सुधारूंगा? यह क्या बात हुई, साहब? (व्यवधान) ये कह रहे हैं कि सभी तरह के ऋण माफ कर दिए जाएं। घोषणा पत्र पढ़ा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको मालूम है, माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप सदन के नेता नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फसली ऋण माफ करने के लिए लिखा है सिर्फ। गलत तथ्य आप कृपया यहां सदन में मत बताइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): घोषणा पत्र में जो लिखा नहीं है वह बोलकर बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): धारीवाल जी, मेरी आवाज कोई कम नहीं है। आप यह जो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप सदन में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास मत करो। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप पढ़कर बताइये। क्या लिखा हुआ है उसको जरा पढ़िये आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह क्या अव्यवस्था कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये पहले। यह मेरा काम है सदन चलाना। माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस घोषणा पत्र ही गलत बता रहे हैं पूरा। घोषणा पत्र में जो नहीं लिखा है वह बोल रहे हैं इसलिए कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं.....

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष जी, कल मुझे भी डांट दिया था प्रतिपक्ष के नेता ने। बार-बार इस तरह से डरा रहे हैं हमको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय बैनिवाल जी। मैं फिर विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि नियमों को समझें। प्रतिपक्ष के नेता ने यील्ड नहीं किया है, पहले उनको बोलने दीजिए उसके बाद मंत्रीजी को बोलने का मौका देंगे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): साथ-साथ में यह भी बताना चाहिए कि 2014 में नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश के किसानों के कर्जे माफ करने का कहा था उसका क्या हुआ। वह भी इनको बताना चाहिए साथ-साथ में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वह आप बताएंगे कि क्या हुआ। वह आप बताएंगे। वह जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसका अर्थ है कि कांग्रेस की सरकार कर्जा माफ नहीं करने देना चाहती है, या तो ये स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): राहुल गांधी जी की जालौर की सभा में

(श्री सतीश पूनियां)

समग्र कर्ज माफी के लिए उन्होंने भाषण दिया था, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। संयम जी, कौनसी पार्टी में है, बताएं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार को आये दो दिन हुए नहीं और सवाल पूछने लग गये। पाँच साल क्या हुआ था आपको। एक दिन नरेन्द्र मोदी...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तरीका ठीक नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तो क्या कर्जा माफ नहीं करना है? यह कहना चाहते हैं क्या आप?

श्री सतीश पूनियां (आमेर): बता दें, राहुल गांधी जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या नहीं। जालौर की सभा में समग्र कर्जा माफी के लिए कहा था उन्होंने।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ये कर्जा माफ नहीं करेंगे। यह स्पष्ट कह दीजिए, फिर नहीं करना है हमें। झूठ क्यों बोला जनता को।

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइए। मेरा काम है भाई। मेरा काम आप कर लीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): महोदय जी, रात के एक बजे लिखकर दिया था, इन्होंने 13 सितम्बर, 2017 को 50 हजार माफ करने का, वह क्यों नहीं बता रहे हैं। आप 6 हजार करोड़ कहां उड़ा गये थे, 2 हजार करोड़ कैसे दिया। आप सवाल कैसे कर रहे हो? आपने रात की एक बजे लिखकर दिया था, 13 सितम्बर को। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 50 हजार का कर्जा माफ हमने किया है। किया है हमने, करके दिखाया है।

श्री अध्यक्ष: मेरा काम तो मुझे करने दीजिए। मेरा काम तो मैं करूंगा। मुझे अनप्लीजेंट निर्णय लेना पड़ेगा। मेरा काम तो मुझे करने दीजिए। मैं आपको भी नहीं दे रहा हूं लैटीट्यूड, आप नहीं करेंगे, आप बैठे रहिए, आप सीनियर आदमी हैं। मेरा काम भी आप करेंगे क्या? अध्यक्ष का काम तो अध्यक्ष करेगा। आप कंट्रोल थोड़े ही करेंगे। कृपया यह काम मुझे दीजिए, मैं अपने आप कर लूंगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, जो अध्यक्ष का अधिकार है, उनका अधिकार रहने दीजिए। मुझे पूरा ज्ञान है, किनको क्या करना है। आप

(श्री अध्यक्ष)

खड़े होकर डिस्टर्ब मत करिए। मैं फिर कह रहा हूं, फिर दुबारा आप बोले जा रहे हैं, सीनियर आदमी हैं। आप मुझसे यह अपेक्षा करते हैं, सबसे अपेक्षा करते हैं, नियम का पालन करें। आप नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब हम आइडियल बनेंगे, तब दूसरों को कह सकेंगे। आप फिर सुन नहीं रहे हैं, मुझे अनप्लीजेंट निर्णय करना पड़ेगा। आप सीनियर आदमी हैं, मंत्री रहे हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप कृपया कष्ट करके, नियमों को पढ़कर आएं। प्रतिपक्ष का नेता बोल रहा है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षा करूंगा या सदन का नेता बोल रहा है तो मैं सभी सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि जब तक वे यील्ड नहीं करें, तब तक मेहरबानी करके बीच में इंटरफियर नहीं करें। और बीच में कोई इंटरफियर करेगा तो मुझे अनप्लीजेन्ट निर्णय करना पड़ेगा। जो माननीय सदस्य दूसरे भी हैं, उनसे भी सानुरोध प्रार्थना है कि सदन की गरिमा इस बात में है कि सदन का नेता और प्रतिपक्ष का नेता बोले तब उसे कोई इंटरवीन नहीं करें, और यदि कोई इंटरवीन करेगा तो मुझे अनप्लीजेन्ट निर्णय लेना पड़ेगा। आप सब सीनियर, मंत्रीजी मैं आपसे माफी चाहता हूं, मंत्रीजी आपको अधिकार है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपके बोलते समय, आसन पर खड़े हैं, जो व्यवहार करते हैं...

श्री अध्यक्ष: यह काम मैं कर लूंगा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता। मैं कर लूंगा। आप मुझे काम करने दीजिए, आप रोक लेंगे उनको क्या? यह काम, मैं ही रोक पाऊंगा, आप तो नहीं रोक पाएंगे। यह काम तो मेरा ही है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं मेहरबानी करके आप आदर्श स्थापित कीजिए नियमों का। यदि आप ही स्थापित नहीं करेंगे तो दूसरों को नहीं कह सकेंगे। मैं फिर दुबारा रिपीट कर रहा हूं जब सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता बोलें, सभी माननीय सदस्यों से मेरा नम्र निवेदन है कि उनको इंटरफियर नहीं करें, जब तक वे यील्ड नहीं करेंगे, तब तक उनका अधिकार है सदन को संबोधित करने का। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से और माननीय सदस्यों से भी निवेदन है कि कृपया सदन की गरिमा के लिए जो दो नेता बोलें तब तक आप मेहरबानी करके बीच में इंटरवीन न करें। बैठे-बैठे भी नहीं बोलें। मैं फिर अवसर दे रहा हूं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात कहें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): नेता प्रतिपक्ष यह बताएं कि कर्ज माफी के समय... 15-15 लाख रुपये कब माफ होंगे हमारे।

श्री अध्यक्ष: खुशवीरसिंह जी, माननीय सदस्य, मुझे मार्शल का उपयोग लेना पड़ेगा और कोई आप्शन नहीं है, मेरे पास। माननीय खुशवीर जी, मुझे अनप्लीजेन्ट काम करना पड़ेगा, I don't want to start with this, मैं ईमानदारी से फिर कहना चाहता हूं, I have to take unpleasant decision. फिर सदन की गरिमा को हम नहीं बनाना चाहते, तो सदन को बंद कर दें, हम अपने आप। हम सदन की, खुद की, गरिमा बनाना चाहते हैं। लाइव टैलीकास्ट होता है, सदन की सब कार्यवाही को लोग देखते हैं, हमारे बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे। आपको जब अवसर मिले, तब अपनी बात कहिए, कोई भी रोकेगा, लेकिन सदन की परम्परा है, नियम है कि जब सदन का नेता और प्रतिपक्ष का नेता बोलें, मेहरबानी करके न तो खड़े होकर इंटरवीन करें। उनको अपनी बात करने दें और माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव में दो-दो मिनट का ही अवसर दिया जाता है। फिर भी इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि समय का सदुपयोग हो और सब बात सदन के सामने आए। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से कहूंगा कि अपनी बात को संक्षेप में समाप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैंने बिलकुल टू दी पाइन्ट बात की है। कभी इधर से उधर नहीं गया। जो आदेश आपने 19 तारीख को निकाला, उसके भाव को मैंने इस सदन में रख दिया। मैंने जनता के मन में जो भ्रम है और जो प्रश्न उठते हैं उसको मैंने एक-एक करके आपके सामने रख दिया। अगर वास्तव में ये जो 10 दिन में कर्जा माफ करने की जो बात थी, आज 1 महीना 1 दिन हो गया है। कितना पैसा, कितने किसानों के खाते में आपने कर्जे माफ का भेज दिया। ये तो कम से कम स्पष्ट करें सदन के नेता। आपका भाव क्या है इस 19 तारीख के आदेश के पीछे, आपने इस प्रकार का लंगड़ा आदेश निकालकर के जनता के साथ धोखा क्यों किया? जिस भाव से आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि 10 दिन में सम्पूर्ण, आपको यह सौगंध तो नहीं दिया कि आप उसमें डालो। आप यह भी कह सकते थे कि हमने अपने घोषणा पत्र में कर्जा माफ का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिखा। लेकिन, आपने 10 दिन की सीमा डालकर सम्पूर्ण देश को एक आदेश दे दिया, एक जानकारी दे दी कि किसानों के सभी प्रकार के कर्जे 10 दिन में माफ हो जाएंगे।

कृपा करके सदन के नेता से, अध्यक्ष जी आपके आसन के द्वारा चाहता हूं कि वह इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ताकि राजस्थान में, जो इस तरह धोखे में जो किसान ने आकर के आपका सहयोग किया उसकी कम से कम पोल खुल सके कि हकीकत क्या है और वास्तविकता धरातल पर क्या है और किसान के खाते में एक महीना एक दिन में कितना पैसा पहुंचा। मैं सदन के नेता से इस महत्वपूर्ण विषय पर, जिससे राजस्थान के सम्पूर्ण किसान जुड़े हुए हैं। आप अपने श्रीमुख से कुछ बोलें, ये उम्मीद लेकर के मैं और मेरा दल आपसे प्रार्थना कर रहा है, आसन के माध्यम से कर रहा है।

आप इस स्थिति को स्पष्ट नहीं करोगे और अगर आपके मंत्री इस तरह से बीच-बीच में अपनी बात उठाएंगे तो यह सब चीजें हमें आती हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आसन जिस भावना से सदन को चलाना चाहते हैं। हम उनको पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि आपका यह लंगड़ा आदेश किस पर्पज से निकला, क्यों निकाला और इसके पीछे मंशा क्या थी और उस किसान के खाते में कितना पैसा आज की तारीख तक चला गया है। सदन के नेता स्पष्ट कर दें। हम आपकी भावना के साथ अपनी बात को ठेठ जनता तक पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष: 30 माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। दो-दो मिनट का समय, मैं दो मिनट के लिए इनके और नेता राजेन्द्र राठौड़ को परमिशन दूंगा, बाद में और परमिशन नहीं दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को प्रारम्भ कर रहा हूं। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित हो रहे थे, जब घोषणा पत्र को हमने, इन्होंने कहा कि आपने झूठा बताया। मैं उस घोषणा पत्र के उन शब्दों को पढ़ना चाहता हूं, जिसको इन्होंने 25 दिसम्बर को पहली काबीना की बैठक में आपने सरकारी दस्तावेज का रूप दिया। जब यह सरकारी दस्तावेज बन गया तो राजस्थान की जनता का दस्तावेज बन गया, राजस्थान का जन इस विधान सभा के माध्यम से जानना चाहता है कि इसके पृष्ठ 3 के नम्बर 1 में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने लिखा है 10 दिन में किसानों का ऋण माफ करना। वर्तमान भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान के किसान पर आए हुए आर्थिक संकट से राहत प्रदान करना है। हां, निश्चित तौर पर आप पूर्ववर्ती सरकार पर कुछ भी बात कह सकते हैं। पर, मुख्य मंत्रीजी, यह सदन है। यह राजस्थान के 7 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। यह सदन जानना चाहता है, राजस्थान का आवाम जानना चाहता है, राजस्थान का किसान जानना चाहता है, जो पहला आदेश जिस आदेश को आपने पहली बार निकाला। जिसका उल्लेख अभी, सदन के प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, यह मेरे हाथ में है। मुझे आप बताएं कि किस आदेश पर यह पहला मुख्य सचिव का आदेश है, जिस पर वित्त विभाग का कांकरेन्स नहीं है। बिना वित्त विभाग के आईडी का यह आदेश निकालकर राजस्थान के किसानों को गुमराह करना चाहते हो, राजस्थान का किसान लोक सभा के चुनाव में निश्चित तौर पर आपसे बात करेगा। आपने यहां तक कह दिया, राज्यपाल के अभिभाषण में आपने कह दिया कि पहले राज्यपाल के अभिभाषण में हमने किसानों के हित में पहला निर्णय लिया, आपने कैसा निर्णय लिया, आपने उस वक्त क्यों नहीं लिखा कि अल्पकालीन ऋण माफ करोगे, आपने उस पर क्यों नहीं लिखा कि आप डिफाल्टर का ऋण माफ करोगे, आपने उस वक्त क्यों लिखा कि 10 दिन में माफ करोगे। ट्रैक्टर का ऋण मैंने ले रखा है, कुएं का ऋण मैंने ले रखा है। ये ऋण 99 हजार करोड़ का है। यह आपका पूरा 59 लाख किसानों का मामला है। इसलिए आप बच नहीं सकते। मेरा निवेदन है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सदन को गुमराह कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, प्लीज। माननीय मंत्रीजी नहीं, मैं माफी चाहता हूं, आपका अधिकार नहीं है। आप पहले सुनिए, मंत्रीजी आप खुद नियमों को पालन नहीं करेंगे, दूसरे से अपेक्षा नहीं करें। आपको अवसर मिलेगा, सरकार अपनी बात कहेगी, बीच में इंटरफियर ना करें। राजेन्द्र राठौड़ साहब, दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 7 मंत्रियों की कमेटी आपने बनाई, 6 अधिकारियों की कमेटी आपने बनाई, आपने उनको कहा कि वे 16 राज्यों में जाकर भ्रमण करके आएं, उनसे रिपोर्ट लें। आपको तब मालूम नहीं था कि 10

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिन के अन्दर यह रिपोर्ट नहीं आएगी। आपने किस आधार पर और फिर कमाल तब आपने कर दिया। राजस्थान के किसानों को इकट्ठा किया। 9 जनवरी को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आपने कहा हम केन्द्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। आप इस घोषणा पत्र में लिखते, हम सत्ता में आने पर राजस्थान के किसानों की तरफ से केन्द्र सरकार पर दबाव बनाकर हम ऋण माफ करेंगे।

आप यूपीए सरकार की बात कर रहे हो जो ऋण की बात कर रहे हो, कितना ऋण माफ किया था वह भी सारा दस्तावेज पर है इसीलिए मुख्य मंत्रीजी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आप कई बार नाराज मुझसे भी हो जाते हैं नाराजगी की बात नहीं है। सदन का पहला दिन है, मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव दिया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप राजस्थान के किसानों को बतायें कि आपने अब तक कितना पैसा उनके खाते में जमा करा दिया? आपने नहीं कराया तो सदन में किसानों से माफी मांगें आप। वह तारीख बता दें। हम उस तारीख को सुनना चाहते हैं, जिस तारीख पर आप राजस्थान के किसानों के खाते में सम्पूर्ण पैसा जमा करा दोगे? आप ये कर्जा जो माफ कर रहे हैं वेव-आफ कर रहे हैं या राइट-आफ कर रहे हैं? आपने बैव-आफ अगर किया, यानी किसान का बैंक में जो पैसा बकाया है वह सरकार जमा करायेगी तो क्या बैंकों से आपकी सहमति हो गई है? राष्ट्रीयकृत बैंक इसमें है। कोई बात नहीं, कोई तैयारी नहीं है। यह जुमला नहीं चलेगा मुख्य मंत्रीजी, आप इसका जवाब दें। इसका जवाब हम आपसे मांग रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, विद फोल्डेड हैंड प्रार्थना कर रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी से जवाब दिलवाएं, अध्यक्ष महोदय। मेरी प्रार्थना है सदन के नेता से जवाब दिलाएं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये मानेंगे नहीं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह मेरा काम है। माननीय मंत्रीजी, यह मेरा काम है। मेरा काम आप मत करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यदि सदन के नेता जवाब नहीं दें तो उप मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान में सरकार को पैदा करने में आपका योगदान है। आप गांव-गांव गये हो, उप मुख्य मंत्री महोदय, पूरी ईमानदारी से आपने किया है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपको जवाब देना चाहिए, इसका जवाब चाहिए हमें। इसका जवाब दिलाएं, अध्यक्ष महोदय, हमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, हमें जवाब दिलवा दें। हमारी प्रार्थना है आपसे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसे नहीं चलेगा। श्री गिरधारीलाल जी, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): छोटी बात होती तो कोई बात नहीं। राजस्थान का अवाम जानना चाहता है। राजस्थान के किसानों के साथ धोखा हुआ है ...(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस के मेनीफेस्टो में कहा गया था। (व्यवधान) दस रोज में कर्जा माफ करेंगे मगर दस रोज होने के बाद आज एक महीना होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, एक महीना होने जा रहा है राजस्थान सरकार ने क्या कार्यवाही की? अध्यक्ष जी, मैं आसन के द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में आज तक किस-किस किसान का कर्जा माफ किया गया है, कितने कर्जे माफ किये गये हैं, किस आधार पर किये गये हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में अभी पचास किसानों की जमीन कुर्क हो रही है। क्या सरकार उस पर कोई विचार कर रही है? कर्जा माफी के अभाव में बीकानेर का किसान, राजस्थान का किसान ...। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि पिछले समय जब भाजपा की सरकार थी तब राजस्थान में किसानों ने आंदोलन किया था। किसान आंदोलन के बाद उन्होंने 13 सितम्बर को समझौता किया था कि प्रत्येक किसान का पचास हजार का कर्जा माफ करेंगे मगर सीलिंग रखते हुए उन्होंने पचास हजार माफ नहीं किये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार प्रत्येक किसान का दो लाख रुपये का कर्जा माफ करेगी? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, क्या हर बैंक का करेगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जगह पर बैठें। माननीय प्रतिपक्ष

(श्री अध्यक्ष)

के नेता, जगह पर बैठें। माननीय सदस्य, आप जवाब चाहते हैं तो अपनी जगह पर बैठें। एक मिनट, माननीय सदस्य। मैं फिर माननीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि आप अपेक्षा करते हैं कि नियम का पालन किया जाए। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। दो आदमियों ने दो प्रस्ताव दिये हैं, दो और बाकी हैं। आपको इतना तो धैर्य रखना पड़ेगा। नियम का पालन भी होना चाहिए और हम नहीं करेंगे तो दो चीज नहीं हो सकती। कृपया आपने अपनी बात कह दी है सदन के नेता बैठे हुए हैं, दो जो सदन के प्रस्ताव और हैं उनको डिस्पोज होने दीजिये उसके बाद उस पर बात करेंगे। श्री गिरधारी लाल जी, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जवाब दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: Don't dictate it राठौड़ साहब, let the business be finished. माननीय सदस्य, आप इतने सीनियर आदमी हैं। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है। चार प्रस्ताव हैं दो पर चर्चा हो रही है, दो को होने दीजिये, उसके बाद हम बात करेंगे। आप बीच में इस तरह की व्यवस्था नहीं करें। आप सदन से तो आशा करते हैं कि नियम का पालन करें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने राजस्थान का प्रमुख मुद्दा जो किसान कर्ज माफी को लेकर है उस पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की बनी तब दस दिन में कर्जा माफ करने की बात कही गयी थी। आज एक महीना होने जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आज राजस्थान में किस किसान के कितने-कितने पैसे सरकार ने माफ किये हैं, किये हैं तो किस आधार पर किये हैं, कितने किये हैं? अध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर जिले में आज कर्ज माफी के अभाव में पचास किसानों के बैंक के कुर्की के नोटिस निकले हैं। मैं नाम बता सकता हूं मीना देवी, कुशनाराम मेघवाल, पूराराम, रामचन्द्र, मालाराम, बेगाराम, इनकी मूल राशि थी तीन-तीन हजार की वह आज 10-15 लाख हो गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्या उन किसानों की जो जमीनें कुर्क हो रही हैं, उस जमीन की नीलामी को रोकने की कोई मंशा रखती है सरकार?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है जब मैं बीच में खड़ा हुआ था तो उससे पहले प्रतिपक्ष बीच में आ गया। मैं तो अपनी बात कह भी नहीं पाया। एक मिनट और कहूंगा सिर्फ। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा कर्जदार हैं, सबसे महंगी खेती होती है। एक-एक किसान के 10-10, 15-15 लाख रुपये बकाया पड़े हैं। मैं आसन के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में अगर पूर्ण कर्जा माफ नहीं होगा तो भारत के अन्दर बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा महंगी खेती होती है वहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट करे कि दो लाख रुपये सहकारी बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक प्रत्येक किसान का माफ करेगी या तमाम कर्जा माफ करेगी? हमारी मांग तो यह है कि पिछली सरकार ने...।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): ...13 सितम्बर को किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता हुई थी कि प्रत्येक किसान का कर्जा माफ करेंगें मगर उन्होंने सीलिंग डाल दी। क्या इसी प्रकार कांग्रेस सरकार भी सीलिंग डालेगी? यह हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की अत्यन्त संवेदनशील मांग की तरफ आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, आज प्रदेश के किसान पीड़ा में हैं। कर्ज ने किसान की कमर तोड़ दी है। सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो। चुनाव के पूर्व सभी किसानों की बात करते हैं मगर सत्ता में आने के बाद हमेशा किसानों की समस्या को अनदेखा किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अभी सम्पूर्ण कर्ज माफी की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि अन्नदाता की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने से ही प्रदेश का विकास होगा। तत्कालीन भाजपा सरकार ने भी पचास हजार रुपये की कर्ज माफी की घोषणा की थी। उसमें भी इतने राइडर लगा दिये थे कि उसका लाभ अधिकतर किसानों को नहीं मिला जबकि जो खेतिहर किसान है वह किसान होता है उसमें भी शासन राइडर लगा देता है। अन्नदाता खुद को ठगा हुआ सा महसूस करने लगा है क्योंकि जिस पचास हजार रुपये के कर्जे

(श्री पुखराज)

की माफी की घोषणा की विगत भाजपा सरकार ने, उसके हिसाब से आठ हजार करोड़ रुपये माफ किये जाने थे मगर मात्र दो हजार करोड़ ही माफ हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रतिपक्ष के नेता भी बोले, हम भी बोले हैं, इनका भी जवाब आ जाए और एक जवाब यह भी आ जाए कि इनके जीजा जी +++ कहां गये हैं, यह भी साथ-साथ आ जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) मुझे आश्चर्य है मेरा काम आप कैसे करेंगे। यह काम मेरा है, मुझे बहुत तकलीफ है, माननीय राठौड़ साहब, मेरी आपसे फिर सानुरोध प्रार्थना है, मेरा काम करने का मुझे अधिकार दीजिए। मुझे जानकारी है, मैं फिर माननीय सदस्य हनुमान बैनिवाल जी से निवेदन करुंगा कि कृपया सदन की गरिमा के अनुरूप आप व्यवहार करेंगे तो सदन की गरिमा बढ़ेगी। माननीय सदन के नेता।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने और नेता प्रतिपक्ष ने किसानों की कर्जे माफी को लेकर जो बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, जिसका हमने अपने घोषणा पत्र में भी जनता से वादा किया और हमारे कांग्रेस प्रेसीडेंट राहुल गांधी जी ने भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, सब जगह एक बात कही कि किसानों की हालत बहुत ही संकट वाली है, चिंताजनक है और हमें अविलम्ब उनके कर्जे माफ करने चाहिये जैसे कि यूपीए गवर्नमेंट ने डाक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधान मंत्री थे ...(व्यवधान) श्रीमती सोनिया गांधी जब प्रेसीडेंट थीं तब एक फैसला किया गया था कि देशभर के किसानों का कर्जा माफ होना चाहिये। किसान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान बड़े संकट में है और उस जमाने में करीब 72 हजार करोड़ के कर्जे माफ किये गये थे, सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। उसी तर्ज पर राहुल जी ने यह बात कही थी, अविलम्ब कर्जे माफ हों। अब आप मुस्कुरा रहे हो, बात तो सुनो पूरी। मुझे कहते हो कि आप मुस्कुराते रहते हो, मुस्कुराना बुरा है क्या? अभी हनुमान बैनिवाल जी ने कहा कि सम्पूर्ण कर्जा कोई भी राज्य सरकार माफ कर नहीं सकती, वह केन्द्र सरकार ही कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा जिससे कि

(श्री अशोक गहलोत)

सदन के पूरे माननीय सदस्यों को भी, पूरे प्रदेश की जनता को और पूरे देश के किसानों को भी एक आवाज मिले, मैंने एक पत्र लिखा मोदी जी को, मैं आपकी परमिशन से उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। आदरणीय श्री मोदी जी, देश में कृषकों की आर्थिक स्थिति निरन्तर चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी विषम भौगोलिक परिस्थिति है। गत सरकार का अपेक्षित आर्थिक, सहयोग नहीं मिलने के कारण राज्य के अधिकांश कृषक आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं। अत: उन्हें सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण एवं तत्काल सहायता की आवश्यकता है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी लंबे समय से देश के किसानों की ऋण माफी की लगातार मांग करते आ रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में कांग्रेस की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार बनते ही किसानों के ऋण माफ किये हैं। अब आप कहेंगे कि कर्ज माफ कहां हो गये, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया प्लीज।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह जो किसानों को राहत की सांस दी है, देशभर के किसानों की भी यही मांग है जो अभी हनुमान बैनिवाल जी कह रहे थे कि पूरे देश के किसानों की मांग यही है। हमने राज्य के सहकारी बैंकों के ऋणी कृषकों का निर्धारित मापदण्ड अनुसार समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ किये जाने का निर्णय लिया है। निर्णय लिया है, ठीक है। इसके साथ-साथ, हमने राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंकों के ऋणी कृषकों जो कि आर्थिक रूप से संकटग्रस्त थे और अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, का निर्धारित मापदण्ड अनुसार 2 लाख रुपये तक की सीमा तक अवधि पार कालातीत ऋण माफ किये जाने का भी निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती राज्य सरकार बिना वित्तीय प्रबंधन प्रावधान के ऋणी कृषकों हेतु जो 8 हजार करोड़ रुपये की फसली ऋण माफी योजना लाई थी, उसके तहत तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में केवल 2 हजार करोड़ का ही प्रावधान किया गया। इस प्रकार उक्त योजना के शेष 6 हजार करोड़ का वित्तीय भार भी हमारी सरकार द्वारा ही वहन किया जाना है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार पर अत्यधिक वित्तीय भार आना स्वाभाविक है। देश का किसान आपसे उम्मीद रखता है कि उसकी विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में भारत सरकार किसानों का कर्जा माफ करे। अत: आपसे आग्रह

(श्री अशोक गहलोत)

है कांग्रेस शासित राज्यों की तर्ज पर पूरे देश के लिये राष्ट्रव्यापी ऋण माफी योजना लाकर देश के किसान बंधुओं को राहत पहुंचायें तथा हमारी सरकार के प्रयासों को संबल प्रदान करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बनते ही हमने जैसे ही पहली केबिनेट की बैठक की, उसी में हमने निर्णय किया कि हमने वादा किया है तो हम वादा निभायेंगे, नंबर एक। नंबर दो, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैनीफेस्टो को आपने कार्य योजना बनाया, इसका आपको स्वागत करना चाहिये। 1998 में जब हमारी सरकार आई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस वक्त में आप तो मंत्री थे, देश में पहली बार किसी राज्य ने मैनीफेस्टो में जो जनता से वादे किये गये थे, चुनाव के बाद में जनता भी भूल जाती है और सरकारें भी भूल जाती हैं, हमने मैनीफेस्टो की क्रेडिबिलिटी बनाने के लिये हमने पहली बार खुद ने मैनीफेस्टो को केबिनेट में रखा। उसको सरकारी योजना का अंग बनाया। चीफ सैक्रेटरी को दिया और उसी के आधार पर हमारे वादे पूरे हों, सब विभागों को भेजा गया, इस बात की शायद आपको भी जानकारी होगी। पहली बार किया, 2008 में किया और इस बार फिर हमने सरकार बनते ही मैनीफेस्टो को सरकारी कार्य योजना का आधार बनाया है, इसका आपको स्वागत करना चाहिये। उसी के अनुरूप जब हमने वादा किया है, उसको केबिनेट में रखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तब तो जिम्मेदारी हमारी तरफ से थोड़ी बढ़ जाती है कि जो वादे किये हैं उनको हम कैसे निभाएं, वह हमें चिंता होनी चाहिये। हमें भी होनी चाहिये, आपको भी होनी चाहिये हमारे पर दवाब देने की। हम स्वागत करते हैं आपके दवाब का। परन्तु आप राजनीतिक लाभ लेने के लिये आप बोल गये, नेता प्रतिपक्ष बोल गये, आप बोल गये ...(व्यवधान) आप सुनिए, हनुमान बैनिवाल जी बोल गये और जब हमारे साथी गिरधारीलाल बोलने लगे, श्री पुखराज जी का बोलना बाकी था, राठौड़ साहब, आपकी राजनीतिक कला का तो कोई जवाब नहीं है। आपने जानबूझ कर पूरे हाउस के मैम्बरों को वैल में लाने की कोशिश की इसलिए वह बोल नहीं पाये। वह जो हमारी आलोचना कर रहे थे, उनको श्रेय नहीं मिले, खाली आपको श्रेय मिले कि आपने इस मुद्दे को उठाया है, इस प्रकार के आप लोग हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इसलिए यह चालें और चालाकियां आपकी हम नहीं चलने देंगे, हम आपको जानते हैं। हम जानते हैं किस प्रकार आप हमारे माननीय सदस्य हैं, चाहे वह सीपीएम के होंगे, निर्दलीय होंगे, उनका बोलने का हक था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज। राठौड़ साहब, प्लीज आप बैठिए, बाद में बोलियेगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत सीनियर मैम्बर हैं। लंबा संघर्ष करते करते आप पहुंचे हैं। आप जानते हैं कि फैसला होना एक बात है, लागू होने में वक्त लगता है चाहे गवर्नमेंट आपकी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई भी पार्टी हो। एक फैसला हमने तत्काल किया, आपको उसका स्वागत करना चाहिये था। हमारी मंशा ठीक है इसलिए हमने पहली केबिनेट में मैनीफेस्टो को ही कार्य योजना का अंग नहीं बनाया बल्कि हमने यह फैसला भी किया कि हम कर्जा माफ करेंगे। बल्कि सरकार बनते ही हमने सरकारी आदेश निकाल दिये कि को-आपरेटिव बैंक के पूरे कर्जे माफ होंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं को-आपरेटिव बैंकों के पूरे कर्जे माफ होंगे जो फसली ऋण के हैं, नंबर एक। जो नेशनलाइज बैंक हैं, आपको भी मालूम है कि नेशनलाइज बैंक नेशनलाइज बैंक है, शिड्यूल्ड बैंक हैं, जो कामर्शियल बैंकें होती हैं उसके साथ बात की जाती है। जब कभी कोई कर्जा डूबता है, दे नहीं पाता है, उसके लिये बार्गेनिंग भी होती है कि कर्जा माफ करने के लिये कितना हिस्सा सरकार देगी, कितना हिस्सा उनको माफ करना है, यह पूरी प्रक्रिया चलती है, उसमें वक्त लगता है। हमने तत्काल केबिनेट मीटिंग करते यूडीएच मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनायी, विभिन्न विभागों, अंतरविभागीय विभागों की भी। हमने काम चालू कर दिया है। दो-तीन मीटिंग भी हो चुकी हैं। जैसे ही हम पात्रता तय करेंगे कि किस प्रकार से अधिकतम किसानों को लाभ मिले, यह हमारा प्रयास रहेगा। हम भी आपकी भावना समझते हैं। पूरे सदन की भावना समझते हैं। राजस्थान का किसान क्या सोचता है, वह फीडबैक हमारे पास है। हम भी चाहेंगे कि अधिकांश किसानों का कर्जा किस तरह माफ हो, कैसे उनको रिलीफ मिले। आप निश्चिंत रहें और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने खुद ने आगे बढ़कर कर्जा माफ करने का निर्णय किया है। आपने कर्जा माफी के लिए 50 हजार की घोषणा की थी। वह भी हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ था। असेम्बली के अंदर मिस्टर डूडी साहब के नेतृत्व

(श्री अशोक गहलोत)

में जो संघर्ष किया गया था, तब आपको झुकना पड़ा, तब सिर्फ 50 हजार रुपए तक की ही आपने मांग मानी थी। जब कि बिना मांग किये हुए हमने खुद ने आगे बढ़कर कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। दो लाख तक के कर्जे हमने माफ करने की बात की है। माननीय नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि बहुत ही भावुक आदमी हैं। मैं भावुक आदमी की बहुत प्रशंसा करता हूं, परंतु भावनाओं में क्या-क्या बोल जाते हैं, उसे लेकर मुझे एतराज है। मैं उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अब कहा - लँगड़ा आदेश। लँगड़ा आदेश कभी नहीं होता है। हमारी तो विचारधारा ही स्पष्ट है जो महात्मा गांधी की दी हुई है। हमारी नीतियां, कार्यक्रम, सिद्धांत हमारी जगह है। आपकी नीतियां, कार्यक्रम आपको मुबारक हों, इसीलिए आप लोगों को सत्ता में आने में 70 साल लगे। मैं कहना चाहूंगा कि आपने लँगड़ा आदेश कैसे कह दिया, इससे मुझे एतराज है। आप अपने शब्द वापस लें, वरना मैं यह कहूंगा कि लंगड़ी सोच होती है, जो लँगड़ा आदेश की बात करता है। मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। यह अच्छी बात नहीं है कि आप लंगड़ा आदेश कहें। स्पष्ट आदेश है, आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़े-लिखे हैं। आपने यह शब्द कैसे काम ले लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) 295 पर चर्चा प्रारम्भ होगी। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने टू द पाइंट बात पूछी है। मैंने यह कहा था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश टाक।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

किशनगढ़ की पेयजल समस्या का स्थायी निराकरण

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत अजमेर जिले के किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम समस्या की ओर मैं राजस्थान सरकार एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण

(श्री सुरेश टाक)

इलाके में पेयजल की भारी समस्या है, हालात इतने विकट हैं कि आठ से दस दिन में एक बार पेयजल की आपूर्ति हो रही है। जिसमें भी पर्याप्त पानी की आपूर्ति न होने व कम प्रेशर से पानी आने के कारण कई कालोनियों एवं गांवों में पानी ही नहीं पहुंच पाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के शहरी इलाके में पेयजल की कुल आवश्यकता प्रतिदिन 25 एम.एल.डी. है, जबकि सप्लाई मात्र 11 एम.एल.डी. हो रही है। सरकार की ओर से हाल ही में 16 उच्च जलाशयों का निर्माण भी करवाया गया, लेकिन पानी की सप्लाई अत्यन्त कम होने से जलाशयों में भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे उच्च जलाशयों के निर्माण का औचित्य ही समाप्त हो रहा है। पानी नहीं आने से उनमें दरारें पड़ सकती हैं और राजकोष पर अनावश्यक भार पड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके लिए सरकार कम से कम किशनगढ़ को 19 एम.एल.डी. फिलहाल उपलब्ध करा दे तो उच्च जलाशय का उपयोग भी हो जायेगा और पेयजल समस्या कमोबेश हल हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्र में बीसलपुर बांध का पानी बिलकुल भी नहीं पहुंच रहा है, जहां लाइनें डाली हुई हैं, वह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और जहां-जहां टंकियां बनी हैं, वह भी बेकार पड़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में पानी की समस्या को लेकर भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है और कभी भी जन भावनाएं भड़क सकती हैं एवं आंदोलन का रूप अख्तियार कर सकती हैं। इस समस्या के निराकरण हेतु मेरा सुझाव है कि जिन पंचायतों में सार्वजनिक कुएं बने हैं, उनको गहरा करें एवं जहां नहीं हैं, वहां नए ओपन वैल खुदवाकर उनमें पानी की मोटर मय विद्युत कनेक्शन चालू करवाई जाए और कुएं से टंकियों तक की पाइप लाइन डालकर पानी पहुंचाया जा सकता है।

मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना लोकतंत्र में सरकार का प्रथम दायित्व है, मेरी मांग है कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक विशेष योजना बनाकर पर्याप्त धनराशि का आवंटन इसी बजट में किया जाये। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा। श्री मेवाराम जैन। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन)

बाड़मेर जिले में पशु शिविर

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये बाड़मेर जिले में अकाल एवं सूखे की स्थिति के मद्देनजर पशु शिविर खोलने के बाबत। मैं आपका ध्यान, सीमावर्ती जिले बाड़मेर में लगातार पड़ रहे अकाल के कारण सूखे एवं पेयजल की भंयकर समस्या उत्पन्न हो गयी है, जिसके कारण विशेष रूप से गोवंश के बुरे हालात हैं।

महोदय, बाड़मेर लगातार अकाल एवं सूखे की मार झेल रहा है, जिसके कारण आम लोगों को पशुओं को जीवित रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी वजह से लोग अपने पशुओं को छोड़ रहे हैं, जिसके कारण जिले में हजारों की संख्या में आवारा पशुओं की संख्या, जो कि लगातार बढ़ रही है। जिले के किसान, पशुपालक सरकार की तरफ आस लगाकर बैठे हैं, उन्हें इस बात का भान है कि पूर्व के समय भी गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने अकाल के समय ग्रामीण क्षेत्रों में पशु शिविर स्वीकृत कर हजारों गोवंश को मरने से बचाया था, इसलिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही उनके मन में आस जगी है कि हमारे पशुओं को सरकार अकाल से मरने नहीं देगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि तत्काल जिले में पशु शिविर स्वीकृत कर गोवंश को बचाया जाए, साथ ही जिले सहित प्रदेश की गोशालाओं को भी अनुदान दिलाया जाए एवं दुर्गम स्थानों पर पेयजल की भी व्यवस्था कर आमजन को राहत पहुचाएं। धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर में नगरपालिका की स्थापना

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख - बानसूर में नगरपालिका बनाने के संबंध में। बानसूर विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है। कृषि मण्डी भी है। व्यापारी वर्ग अधिक मात्रा में निवास करते हैं एवं बड़े बाजार हैं। शिक्षण संस्थान हैं। बानसूर कस्बा आज भी ग्राम पंचायत ही है। बानसूर ग्राम पंचायत नगरपालिका बनाने के सारे नियम पूरा करती है। पहले भी सारे दस्तावेज भेजे जा चुके हैं।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

अत: आपसे अनुरोध है कि पहले बजट में ही बानसूर कस्बे को नगरपालिका बनाने का कष्ट करें, जिससे बानसूर की जनता को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री जगसीराम, श्री हमीर सिंह भायल, श्री निर्मल कुमावत, श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, श्री नारायण सिंह देवल, श्री बलवान पूनियां।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, इस कर्ज माफी को लेकर हम तीन दिन तक हाउस में धरना देते रहे, इनकी मुख्य मंत्री एक सैकिण्ड के लिये हमारे हाल पूछने के लिये नहीं आयीं। इनकी मुख्य मंत्री ने हमारा हाल भी पूछना उचित नहीं समझा और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने आज ही जवाब दे दिया। राठौड़ साहब, हम यहां धरने पर थे। आपकी मुख्य मंत्री पूछने तक नहीं आयीं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, बैठिए।

प्रदेश में फसल बीमा योजना

श्री बलवान पूनियां (भादरा): नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में प्रदेश के किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा है, सबसे पहले जिस कम्पनी को नोटिफाइड किया गया है, वह कम्पनी सिर्फ प्रीमियम वसूलती है। बैंकों के माध्यम से जिलों में तहसीलों में कोई दफ्तर स्थापित करना, किसानों को फसल बीमा के बारे में जागरूक करना, कुछ नहीं करते।

दूसरा प्रीमियम हर फसल में बढ़ता है, लेकिन गारन्टीड उपज हर फसल में घटायी जाती है।

क्रोप कटिंग के समय कृषि विभाग व राजस्व विभाग किसानों को खसरा, किला नं. मुरब्बा नं. कुछ जानकारी नहीं देते हैं। महज औपचारिकता होती है तथा बैंक किसानों की फसल की घोषणा को स्वीकार करने की बजाय पुराने ढर्रे से प्रीमियम काटते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है।

मान्यवर, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि किसानों की इस ज्वलंत समस्या का समाधान करावें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: पर्चियों पर व्यवस्था। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, श्रीमती इन्द्रा, श्री रामलाल शर्मा।

सदन की मेज पर रखने वाले प्रतिवेदन। श्री बी.डी. कल्ला।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन अधिनियम, 2015 की धारा-15 के अंतर्गत राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बी.डी. कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं-

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 23वां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

1- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अंतर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18,

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 18वां प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-18

2- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अंतर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2017-18,

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 18वां प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2017-18

3- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2017-18,

(बुलाकी दास कल्ला)

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का तृतीय प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

4- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अंतर्गत राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18, एवं

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग) (2017-18)

5- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अंतर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री लालचन्द कटारिया।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 60वां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 60वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: डा. महेश जोशी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम सं. 1)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 17

(डा. महेश जोशी)

जनवरी, 2019 को मध्याहन पश्चात् 12.40 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई । समिति ने सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया कि दिनांक 18 जनवरी, 2019 को प्रश्नकाल नहीं रखा जाए एवं दिनांक 21, 22 एवं 23 जनवरी, 2019 को प्रश्नकाल रखा जाए तथा समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 18 जनवरी, 2019 से 23 जनवरी, 2019 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी, 2019	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।
शनिवार, दिनांक 19 जनवरी, 2019 रविवार, दिनांक 20 जनवरी, 2019	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 21 जनवरी 2019 मंगलवार,दिनांक 22 जनवरी, 2019	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद।
बुधवार, दिनांक 23 जनवरी, 2019	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद एवं मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे सरकार की ओर से उत्तर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.05 बजे 12.35 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.35 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए समय का आवंटन। मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

1. इण्डियन नेशनल कांग्रेस	7 घण्टे 57 मिनट
2. भारतीय जनता पार्टी	5 घण्टे 52 मिनट
3. बहुजन समाज पार्टी	29 मिनट
4. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	14 मिनट
5. कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्सिस्ट)	10 मिनट
6. भारतीय ट्राइबल पार्टी	10 मिनट
7. राष्ट्रीय लोकदल पार्टी	5 मिनट
8. निर्दलीय	1 घण्टा 3 मिनट
कुल समय	**16 घण्टे**

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट मालविया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी को यह जो पत्र भेजा है इस प्रधान मंत्रीजी के पत्र का अभिप्राय क्या था, केन्द्र से पैसा मिलेगा तो कर्जा माफ होगा, तो भी स्पष्ट कर दें। अगर वहां से नहीं मिला तो कर्जा माफ नहीं होगा, यह भी स्पष्ट कर दें। इस भावना से समझ नहीं पाया कि इस पत्र का इस रेफरेंस में, आपने जो अपनी घोषणा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की थी वह तो दस दिन में कर्जा माफ की थी। उसमें यह कोई शर्त नहीं थी कि हम वहां से पैसा मांगेगे, वह देंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे, अपने आप में स्पष्ट नहीं है। कृपा करके सदन के नेता से प्रार्थना कर रहा हूं कि आपका यह पत्र लिखने का भाव क्या है और क्या वहां से पैसा नहीं मिलेगा तो आप कर्जा माफ नहीं करेंगे? यह दो बात स्पष्ट कर दें, विषय स्पष्ट हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, राज्यपाल महोदय के ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I am on legs....

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब दूं। बहुत स्पष्ट है, केन्द्र से चाहे एक पैसा मिले या नहीं मिले लेकिन यहां की सरकार है, राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार, वह दो लाख रुपया हर किसान का कर्जा माफ करने के लिए कमिटेड है। कमिटेड है ...(व्यवधान) आप उसको घुमा फिराकर मत देखिए। हमारा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध है कि उनको सम्पूर्ण कर्जा माफ करना चाहिए। (व्यवधान) हम दो लाख रुपये तक का कर्जा माफ करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, क्या लिखा है इसमें ...(व्यवधान) सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के लिए कहा था ... (व्यवधान) सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के लिए कहा था।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप पढ़ लीजिए उसे ...(व्यवधान) पढ़ लीजिए। दो लाख रुपये तक कर्जा माफ हो चुका।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.38 बजे, 12:43 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12:43 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य में ...(व्यवधान)

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप से धन्यवाद समावेदन प्रस्तुत किया जाए, "इस सत्र में एकत्रित हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।" (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन व शोरगुल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार के माननीय मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी और पूरे कैबिनेट को धन्यवाद करता हूं कि जो हमने चुनाव के समय में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह सदन की परम्परा के खिलाफ है। एक्शन लेना पड़ेगा। माननीय सदस्य, इनको बाहर ले जाएं, एक्शन लेना पड़ेगा मुझे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप नियम-कानून की बात करते हैं। यह नियम और कानून का उल्लंघन है। मुझे कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी। (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता, यह नियमों का उल्लंघन है। माननीय सदस्य, मैं आपको निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य, उसको बाहर लेकर जाएं, बाहर रखकर आएं। मैं एक्शन लूंगा, आप पर, माननीय सदस्य, इसको बाहर रख कर आएं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारे)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को, हमारे मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी और पूरी

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

कैबिनेट को धन्यवाद करता हूं कि जो हमने चुनाव के समय में अपने घोषणा पत्र में राजस्थान की जनता के साथ में जो वादा किया था, वह घोषणा पत्र मात्र घोषणा पत्र नहीं रह गया है।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): 000

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदोरा): वह सरकार का एक दस्तावेज बन गया है। उस घोषणा पत्र के अनुरूप हमारी सरकार ने अपने कार्य को भी प्रारम्भ कर दिया है।

मैं अपनी ओर से इस सम्बन्ध में कई बातें रखना चाहूंगा, आज हमारा प्रतिपक्ष किसान के कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं। एक दिन उनकी भी सरकार थी, उनकी सरकार के समय में भी घोषणा पत्र के साथ ही कर्जे माफी की बात कही गई थी। लेकिन इनसे किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। जितने वादे किये थे, वे वादे इनसे पूरे नहीं हुए। इसके बाद वे सत्ता में नहीं हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में सदन को ठीक ढंग से चलने नहीं दे रहे हैं। मैं इस अवसर के ऊपर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहूंगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, यदि आप राज्यपाल के भाषण में डिस्टर्ब करेंगे, आपके दल का टाइम निकलेगा। आप राज्यपाल के ... (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की गरीब जनता के सम्बन्ध में भी अपना निवेदन करना चाह रहा हूं। जहां पर राजस्थान में 45 लाख गरीब परिवारों को हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय पेंशन दी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में उन 45 लाख गरीबों को पेंशन नहीं मिली और नये कानून लाकर उस पेंशन के लिए गरीब को भटकता कर दिया। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई, हमारी पार्टी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आई, राजस्थान के 45 लाख, जो वृद्धजन हैं, हमारी सरकार ने उनकी पेंशन को बढ़ाया है। पांच सौ की जगह साढे सात सौ और साढ़े सात सौ की जगह एक हजार किया है। पेंशन की जो विसंगतियां होंगी, हमारी सरकार धीरे-धीरे इन विसंगतियों को भी दूर करेगी।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के उन बेरोजगारों के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी पिछली सरकार के समय में जितने भी संविदाकर्मी थे उन संविदाकर्मियों को पिछली सरकार के पांच साल तक वे धरने व प्रदर्शन करते रहे, सरकार ने इनके ऊपर लाठियां चलाईं। उनमें किसी का भी स्थाईकरण नहीं किया। जब भी प्रदर्शन हुआ, उनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनकी हालत को खराब कर दिया। जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई है, ये जितने भी संविदाकर्मी हैं, इन तमाम संविदाकर्मियों को, मंत्रिमण्डल की समिति बनाकर इनकी जांच की जा रही है, और मैं आशा करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे डिप्टी सी.एम., और हमारा तमाम कैबिनेट बहुत जल्दी इस पर कोई निर्णय करेगा। राजस्थान के उन संविदाकर्मियों को भी सरकार के नियमों में रहते हुए इनको स्थाईकरण का एक अवसर मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति के ऊपर भी अपना निवेदन करना चाह रहा हूं। राजस्थान में कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं सूखा है, कहीं अकाल है। पिछली सरकार ने पांच साल तक अकाल के ऊपर अपना कोई ध्यान नहीं दिया। जनता पलायन करके बाहर जाती रही। जैसे ही हम सत्ता में आये हैं, हमारी सरकार ने अकाल का प्रबन्ध करने के लिए भी अपना निर्णय किया है। जिन क्षेत्रों में अकाल की स्थिति है, उन क्षेत्रों में सरकार बहुत जल्दी, जहां पर भी आवश्यकता होगी, वहां अकाल के प्रबन्ध की व्यवस्था करेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और हमारी सरकार को एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब-जब सत्ता में आती है, हमेशा गऊ को अपनी माता कहकर आगे कर देती है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में जिस तरह से गायों के साथ में ...(व्यवधान) गौशालाओं में सरकार का प्रबन्ध नहीं होने की वजह से जो गायों की मौत हुई है, और हिंगोनिया, सबसे बड़ा, इस देश का, जहां पर गाय माता की मृत्यु हुई है, यह सरकार देखती रही है, मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, जैसे ही हम सत्ता में आये हैं, हमारी सरकार ने गौशालाओं के लिये, गायों के प्रबन्ध के लिये, वहां पर टीनशेड बनें, उनके पीने के पानी का प्रबन्ध हो और दवाई ठीक ढंग से हो, उसकी भी व्यवस्था की है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारे)

हमारी सरकार के सत्ता में आते ही माननीय राहुल गांधीजी का राजस्थान का दौरा हुआ। उस दौरे के दौरान किसानों की समस्याओं को देखते

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

हुए किसान आयोग का गठन करने की भी घोषणा की है। जब किसान आयोग का गठन होगा तो निश्चित रूप से किसानों की समस्याएं समय-समय पर जो होंगी, यह आयोग राजस्थान सरकार को अपनी भावनाएं व्यक्त करता रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी सरकार के समय में जो बिजली उत्पादन के लिए हमने बांसवाड़ा के अंदर और राजस्थान के अन्य जगह पर भी जो हमने बिजली उत्पादन करने की कोशिश की थी, वह इनसे नहीं हुआ और वर्तमान समय में उनके ही समय के बिजली के बहुत कनेक्शन बाकी है। हमारी सरकार ने और मुख्य मंत्रीजी ने राहुल गांधीजी के सामने, बहुत जल्दी, जून तक एक लाख किसानों को कनेक्शन देने की घोषणा कर दी है और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने यह घोषणा की है कि पांच साल तक किसानों का एक रुपया भी हम नहीं बढ़ाएंगे। यह राजस्थान का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है।

मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करता हूं कि राजस्थान एक कृषि आधारित राज्य है। मैं किसानों के संबंध में निवेदन करना चाह रहा हूं। हमारे किसान को समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा था। हमारे समय में हमने गेहूं के ऊपर समर्थन मूल्य दिया, सोयाबीन पर दिया, चने पर दिया लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पांच साल में कोई समर्थन मूल्य नहीं दिया है। हमारी सरकार ने जिन किसानों को अभी तक चने और मूंग का समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है उन किसानों को हमारी सरकार समर्थन मूल्य देकर उनका काम पूरा करेगी।

(राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एवं कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन एवं नारे)

मैं इस अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब को याद करता हूं। राजस्थान के तीन बार मुख्य मंत्री रहे हरिदेवजी जोशी को याद करता हूं। मैं हरिदेवजी जोशी के क्षेत्र से चुनाव जीत कर आता हूं। हरिदेवजी जोशी के नाम के ऊपर और बाबा साहब अम्बेडकर साहब के नाम के ऊपर जो विश्वविद्यालय हमने खोलने की घोषणा की थी और वह हमने खोल दिया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों ही विश्वविद्यालयों को बंद किया। हमारी सरकार ने पुन: इन दोनों विश्वविद्यालयों को वापस प्रारम्भ करने की घोषणा की है, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हम कई एम.एल.ए. साथी भी हो सकते हैं, लोक सभा के मैम्बर आफ पार्लियामेंट भी हो सकते हैं, वह कम पढ़े लिखे हैं, इसके बाद भी सदन में आकर मैम्बर आफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेम्बली के अंदर जाकर वह अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन, पंचायती राज के अंदर पिछली सरकार ने राजस्थान की जनता की राय लिये बिना आठवीं और दसवीं पास का राइडर लगाकर प्रजातंत्र में हरेक व्यक्ति का जो चुनाव लड़ने का अधिकार है, उससे रोका है। इस पीड़ा को राजस्थान की सरकार ने, हमारी पार्टी की सरकार ने समझा है और समझते हुए उस राइडर को हटा दिया है। अब कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव पंचायती राज में लड़ सकेगा, यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री था और आप भारत सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। राजस्थान में 45 लाख जनता काम करती थी 'नरेगा' में लेकिन देश के प्रधान मंत्रीजी यह बात कहते हैं कि 'नरेगा' कांग्रेस पार्टी के लिए एक लाभदायक हो सकता है तो 'नरेगा' को बंद करने के लिए, पूंजीपतियों के इशारे के ऊपर कांग्रेस पार्टी के समय में जो 45 लाख लेबर काम करती थी, इस सरकार ने बंद कर दी, लेकिन आज वापस राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की आ गयी है। मुझे इस सरकार के प्रति विश्वास है और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर भी यह बात आई है कि बहुत जल्दी 'नरेगा' जैसी इन योजनाओं को पुन: लागू करेंगे। हमारी राजस्थान की जनता को पलायन करके अन्य क्षेत्रों में नहीं जाना पड़े इसके लिए सरकार बहुत संकल्पबद्ध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क दवा योजना के बारे में मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं। माननीय अशोक गहलोत साहब के समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी हास्पिटल के अंदर जाकर अपनी बीमारी का जिक्र करता था तो वह तमाम इलाज राजस्थान की सरकार करती थी और आने-जाने का भी सरकार प्रबंध करती थी। आज 108 गाड़ी को, इनके शासन में टायर बदलने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं था। यह स्थिति इस भारतीय जनता पार्टी ने की है।

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए अब

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

टी.एस.पी. क्षेत्र के बारे में अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार में माननीय मनमोहन सिंहजी की सरकार ने और यू.पी.ए. की चेयरमैन सोनिया गांधीजी ने फोरेस्ट राइट्स एक्ट लाकर जो वर्षों से लोग जंगलों में बैठे हुए हैं, उनको जमीन देने की घोषणा की थी। लेकिन, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर इन्होंने एक भी पट्टा नहीं दिया और पिछली सरकार में हमने 44 हजार किसानों को पट्टे दिये हैं। हमारी सरकार ने वापस से इस बात के लिए संकल्प लिया है और जो लोग आज भी जंगल में बैठे हुए हैं उनको वन विभाग की तरफ से परेशानियां हैं, उनको बहुत जल्दी पट्टे दिये जाएंगे ताकि वह किसान अपने जीवन को ठीक ढंग से वहां पर जी सके।

मैं पिछली सरकार के बारे में, टी.एस.पी. के बारे में कहना चाहूंगा कि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने टी.एस.पी. क्षेत्र के लिए कहा था कि यहां पर तमाम आदिवासी जो टी.एस.पी. क्षेत्र के हैं, वह जीतकर आए हैं इसलिए एक हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा करती हूं। पूरे पांच साल निकल जाने के बाद भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने एक रुपया भी नहीं दिया। पुन: कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र के लोगों के मन में वापस एक विश्वास पैदा हुआ है। मैं यह उम्मीद करूंगा हमारी सरकार से कि पुन: उस टी.एस.पी. क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, वह हमारी सरकार धीरे-धीरे इन तमाम चीजों को पूरा करेगी।

मैं इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस भावना के साथ में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है वह कांग्रेस पार्टी राजस्थान की आम अवाम, जनता की भावना के अनुरूप काम करेगी, राजस्थान में अपना कीर्तिमान स्थापित करेगी और मेरी बात को मैं यहां पर ही समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूं।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विपक्ष आज चिल्ला रहा है, इन्होंने पांच साल कुछ किया नहीं।

"आसमां अगर ऊपर है तो धरती से जलना क्या?

अगर विपक्ष में हैं तो चिल्लाना क्या?"

चिल्लाने के अलावा इनको कोई काम आता नहीं है। पूरे पांच साल में इन्होंने कुछ किया नहीं। आज का दिन एक अति महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरूजी ने 18 जनवरी, 1950 को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया था जो लोकतंत्र का एक मूल मंत्र था। आज का दिन अति महत्वपूर्ण है और आज ही के दिन हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, जो सराहनीय है, राजस्थान को विकास की ओर ले जाएगा। प्रदेश की जनता ने पन्द्रहवीं विधान सभा में कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली और रीति-नीति को देखते हुए बहुमत दिया है। राजस्थान की जनता का धन्यवाद है।

हमारे मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री महोदय, पूरा मंत्रिमंडल राजस्थान को चहुंमुखी विकास की ओर सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी की जो रीति-नीति है, एक गांधीवादी है, वर्तमान सरकार प्रदेश में शांति, सौहार्दपूर्ण, सद्‌भावपूर्ण वातावरण बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। संवेदनशील, पारदर्शी, सुशासन करने का संकल्प लेती है कांग्रेस पार्टी की सरकार। हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार का उद्देश्य एक खुशहाल राजस्थान, जनता के जीवन स्तर को समृद्ध बनाना है। गत सरकार ने पूरे पांच साल कोई भी काम नहीं करके बल्कि सिर्फ और सिर्फ पूरे पांच साल कमियां गिनाते रहे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में नारे)

(13.00 बजे)

और कोई अगर फसल लगाता तो उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यों को गिनवाने का काम करते रहे। एक उदाहरण है कि हमने देवनारायण योजना का प्रश्न लगाया कि क्या-क्या कार्य किये? इसके उत्तर में कांग्रेस पार्टी के किये हुए कार्यों की लिस्ट दे दी। पूरे पांच साल कोई कार्य किया नहीं, यह गिनवाये क्या? आनन-फानन में वोट के लिए सिर्फ और सिर्फ घोषणा करने का काम यह पार्टी करती है। मेरे बानसूर में वोट के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार जो वादा करती है, उसको निभाती है। बीजेपी ने कालेज की घोषणा

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

की, लेकिन कोई भवन नहीं, कोई रीति-नीति नहीं। एक स्कूल के कमरे में कालेज खोलकर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर मंशा होती तो पांच साल पहले कालेज खोलकर युवाओं को शिक्षित करने का काम करती, लेकिन ऐसी मंशा नहीं थी। पांच साल में क्या काम किया? सिर्फ और सिर्फ भवनों के नाम बदलने का काम किया, कालेजों का नाम बदलने का काम किया। ऐसे ही राजीव गांधी भवन का नाम बदल दिया। अगर बदलना था, नाम लिखने का शौक था तो कम से कम हर पंचायत हैड क्वार्टर पर सरकारी गेस्ट हाउस बनवा देते। लेकिन काम करने की मंशा नहीं थी। हमारे वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी सरकार ने एक गांव के आदमी को, एक ग्रामीण को, एक सम्माननीय नागरिक को, जो जन-प्रतिनिधि बनने का अधिकार रखता है, सरकार बनते ही शिक्षा का जो फरमान जारी किया था भाजपा सरकार को, उस फरमान को समाप्त करने का काम किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र का एक सम्माननीय नागरिक जन-प्रतिनिधि बन सके। वह सरपंच बन सके, वह प्रधान बन सके, वह जिला प्रमुख बन सके, ऐसा काम हमारी पार्टी की सरकार ने किया है।

इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार को जन्म देने का काम किया था, वह बड़ी शर्म की बात है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पूर्व सरकार ने सरकार का खर्चा कोई गांव के विकास में नहीं लगाया, हर ग्राम पंचायत में लाखों रुपये की एक मशीन खरीदकर रख दी। बड़ी शर्म की बात है कि वह मशीन एक दिन भी काम में नहीं आयी। गांव की पंचायतों की तो बात छोड़ें, वह जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर भी वह मशीन एक दिन भी काम नहीं आयी और उस पर मिट्टी जम रही है। सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने का काम किया। यह बड़ी शर्म की बात थी और आज चिल्लाने का काम कर रहे हैं।

आपने पंचायत राज को पंगु बना दिया। एक अभियान चलाया जल स्वावलम्बन का और उसमें एलबम बनाकर दे दिया और उस गांव के तालाब का बना दिया जिसमें प्राचीनकाल से कोई पानी रहता हो, कौन से तालाब में पानी आ रहा है, जल स्वावलम्बन के नाम पर कर्मचारियों को परेशान किया और पता नहीं कितने रुपयों का घोटाला किया। यह पूर्ववर्ती सरकार का काम था और आज किसानों की हितैषी बन रही है। गौशाला के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं। लाखों गायें पूरे राजस्थान में मरी होंगी। सैंकड़ों गायें यहां जयपुर राजधानी में, इनकी सरकार की नाक के नीचे मरीं, लेकिन इन्होंने गाय के हित का कोई काम नहीं किया।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

एक योजना चला दी दीनदयाल उपाध्याय योजना, जिसके तहत तुरन्त कनेक्शन देंगे, लेकिन बड़ी शर्म की बात है पूरे पांच साल में यह एक भी कनेक्शन नहीं दे सके और सारे के सारे कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। हम हमारी सरकार के मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी एवं पूरे मंत्रिमण्डल को धन्यवाद देंगे कि पहली ही मीटिंग में ऐसा निर्णय लिया कि पूरे पांच साल तक किसानों के कृषि कनेक्शनों को हम एक भी पैसा नहीं बढ़ायेंगे। यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस किसानों के हितों की पार्टी है। जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो इन्होंने फ्यूज हटाकर, हर गांव और ढाणी में जो ट्रांसफार्मर फटे, पूरे गांव में, एक खातोलाई का उदाहरण है कि वहां 17-18 लोग एक साथ मरे, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, यह बड़ी शर्म की बात थी।

स्कूल की बच्चियों ने अध्यापक मांगे तो पूर्ववर्ती सरकार ने बालिकाओं पर डण्डे बरसाये और आज बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। किसान ने हक मांगा तो गोलियां चलायीं, व्यापारियों ने हक मांगा तो डण्डे और लाठी बरसायी और आज किसान के हक की बात कर रहे हैं। यह इनका अकुप्रबन्धन, अदूरदर्शी नीति थी, जिससे कि पूरा राजस्थान परेशान था और आज इनको दिखा दिया जिससे यह विपक्ष में बैठे हैं। आप इसीलिये विपक्ष में बैठे हैं। वर्तमान सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए जैविक खाद, युवाओं को स्वरोजगार के लिए, डेयरी के लिए व्यवस्था करेगी और पिछली सरकार में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया था। यह आज बोलने वाली बात करते हैं, चिल्लाते हैं। पिछली बार क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ असत्य वादे किये। कुछ नहीं किया, हमने करके दिखा दिया। इसीलिये तो आप चिल्ला रहे हो, हमारी सरकार ने करके दिखा दिया, तुरन्त निर्णय ले लिया, इसीलिये आप अभी चिल्ला रहे हैं। सरकार बनते ही पहली ही बैठक में निर्णय लिया कि 75 वर्ष से कम की आयु को 500 से 750 पेंशन करना और 750 से 1000 रुपये प्रति महीना पेंशन करना, यह हमारी सरकार का निर्णय है। आपका कोई एक निर्णय नहीं है। गत सरकार ने दुर्भावनापूर्ण डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय और स्व. हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बंद करने का काम किया। आपने खोलने का कोई काम नहीं किया और वर्तमान सरकार ने पहली मीटिंग में ही राज्य मंत्रिमण्डल की मीटिंग में निर्णय लिया कि डा. भीमराव अम्बेडकर और विधि विश्वविद्यालय

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

स्व. हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोला जायेगा। आज जो सुनाने का काम कर रहे हैं, इन्होंने रिफाइनरी को बंद रखा। लास्ट में मजबूर होकर राजस्थान की आवाज पर इन्होंने उद्घाटन का काम किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गांरटी योजना, जो कांग्रेस पार्टी की योजना है, जिससे आम आदमी को रोजगार और घर में चूल्हा जलता है, सिर्फ इन्होंने बदलने का काम किया इंदिरा आवास योजना का नाम बदल दिया और प्रधान मंत्री आवास योजना कर दिया। हमारी सरकार की नि:शुल्क फ्री दवा योजना...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक बार आसन पर बैठें, फिर शुरू कराते हैं। आपकी बात को पहुंचाएगे। आपकी बात पर बात करेंगे, आप बैठो तो सही। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपकी बात से बात करेंगे, बैठाओ आप। आप इनको बैठाओ। (व्यवधान) आप अपने स्थान पर बैठें, बात करेंगे। (व्यवधान) बात तो करूं। मिलने पर बात करूंगा, आप एक बार इनको बैठाओ, बात करेंगे। आपकी बात को पहुंचायें तो सही वहां पर। (व्यवधान) आपकी बात को पहुंचाएंगे, आप बैठो तो सही आसन पर। माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य, लोकतंत्र में आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, आपने अपनी बात कही है। सदन के नेता से बात करेंगे, आप अपनी जगह पर बैठें। मैं बात करूंगा, आप बैठें। आप बैठें तो सही, बात करेंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में, हमारी जो पिछली सरकार थी, उसमें नि:शुल्क दवा योजना, फ्री जांच योजना, एक गरीब आदमी को राहत मिल सके, ऐसी व्यवस्था थी लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने भामाशाह कार्ड बनाकर एक आम आदमी को परेशान करने का काम किया। हमारी पार्टी की जननी सुरक्षा योजना जो गांव और ढाणी तक पहुंची। चाहे 108 एम्बुलेंस की योजना, जिससे कि एक आम आदमी को राहत मिली। जो देश की सरकार चलाने वाले बड़ी-बड़ी बातें करते थे, डिजिटल इण्डिया की बात करते थे, स्किल इण्डिया की बात करते थे, नया भारत बनाने की बात करते थे, बड़े शर्म की बात है कि कौनसा नया भारत बनाएंगे। जुमले वाले देश के प्रधान मंत्री साबित हुए।

हमारे अलवर में एक मीटिंग थी। उसमें देश के प्रधान मंत्री आये और देश की रीति-नीति की बात नहीं करें, बेराजगार को, युवा को कोई रोजगार देने

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

की बात नहीं करें, देश की उन्नति की कोई बात नहीं करें और बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कि किसके घर में क्या झगड़ा चल रहा है। यह बड़े शर्म की बात है कि देश का प्रधान मंत्री जो बड़ी-बड़ी बातें करते थे, वह सिर्फ और सिर्फ भाषण में किसी के घर और गृहस्थी की बात करे। यह बड़े शर्म की बात है।

युवाओं के लिए घोषणा की थी, 15 लाख रोजगार देने की घोषणा की थी पूर्ववर्ती सरकार ने लेकिन पन्द्रह सौ लोगों को भी रोजगार नहीं दिया होगा।

हमारी सरकार खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए, हस्तशिल्प को परम्परागत जो उनका धंधा है, उसे प्रोत्साहित करने के लिए, लोन देने के लिए आगे बढ़ावा देगी। कर में छूट देगी। पिछली सरकार ने, जो आज बड़े बोल बोल रहे हैं, इन्होंने हमारी संस्कृति और धरोहर को पीपीपी माडल पर किराये पर देने का काम किया। पुराने होटल्स को, आरटीडीसी होटल्स को बन्द करने का काम किया। यह हमारे राजस्थान के लिए कलंक की बात थी।

जनजाति क्षेत्रों में प्रदेश वनाधिकार के लिए हमारी सरकार द्वारा फरवरी, 2019 तक आनलाइन उनके आवेदन लिये जाएंगे। छात्राओं को स्कूटी वितरित करेंगे अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे जिससे उन्हें आगे पढ़ने की प्रेरणा मिल सके।

स्वतंत्रता सेनानी शहीद और पूर्व सैनिकों के लिए हमारी सरकार तत्परता से कार्य करेगी। अभी एक पूर्व कैबिनेट मंत्री यह कह रहे थे कि घोषणा में क्या है। बड़े शर्म की बात है कि बानसूर में दो-दो, तीन-तीन कैबिनेट मंत्री जाते हैं, एक आजाद हिन्द फौज के स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का अनावरण करते हैं और वहां पर झूठी घोषणा करते हैं कि हम यहां पर एक पीएचसी बनाएंगे। आजाद हिन्द फौज के स्वतंत्रता सेनानी के नाम आज तक वहां पर एक पीएचसी तो दूर की बात है, उप स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं खोला। मंत्री ने मंच के माध्यम से यह झूठी घोषणा की। बड़े शर्म की बात है। एक आजाद हिन्द फौज के सुभाष चन्द्र बोस के साथ रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी के साथ अन्याय किया और ये बड़े बोल बोल रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि खुद मूर्ति अनावरण के मौके पर झूठी घोषणा करके आते हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की मैं सराहना करती हूं कि प्रदेश में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

अमन-चैन, भाईचारा और शांति बनाये रखने के लिए साम्प्रदायिक वैमनस्यता, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। लोक कल्याण एवं लोक हित की भावना हमारी सरकार सशक्त, समृद्ध राजस्थान के विकास के लिए प्रयासरत रहेगी। ये चिल्लाने वाले इसी तरह चिल्लाते रहेंगे।

"हम चल पड़े हैं, आंधियां हट जाएंगी,
बिजलियां मौन वहीं डटकर रह जाएंगी,
तूफानों की औकात क्या, जो रोक सके,
हमारे हौंसले से तो चट्टानें भी कट जाएंगी।"

जय हिन्द। राम-राम सा।

श्री अध्यक्ष: श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ हूं। ये जो हल्ला कर रहे हैं, इनका हल्ला करना लाजिमी है क्योंकि जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया कि इन्होंने पिछले पांच साल में जो काम किये या इनके जो वायदे थे, वह सबके सामने आ गये हैं।

अभी आने वाले समय में लोक सभा का चुनाव होने वाला है। इनको यह भी मालूम है कि स्टेट में इनको बाहर कर दिया और लोक सभा में भी इनके साथ वही काम होने वाला है क्योंकि इनकी कथनी और करनी, सब इनके सामने है।

हमने दस दिन के भीतर कर्जा माफी की बात की। यह बात ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने जो जुमले और वायदे किये, इनके जो मैनिफेस्टो में था, आज पूरा देश और प्रदेश जब देखता है, पूरी जनता किस तरह से देख रही है कि जो लोग आज अपनी बात विपक्ष के रूप में हल्ला करके कह रहे हैं, इन्होंने जब...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट। सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.16 बजे, 14.16 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.16 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों से अपील है कि आप अपने स्थान पर पहुंचें तो मैं अपनी बात कह सकूं। आपसे सानुरोध प्रार्थना है।

माननीय सदस्य इस बात को एप्रिशिएट करेंगे कि जो मुद्दा प्रतिपक्ष के नेता ने उठाया उस मुद्दे पर सदन की राय आनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं और क्योंकि विषय की गम्भीरता को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी राज्यपाल के भाषण के रिप्लाई में आपने जो मुद्दे उठाये हैं उनका जवाब देंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस डिबेट को आगे प्रारम्भ करने के लिए इजाजत दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, आपकी भावना का पूरा सम्मान करते हैं। हम और राजस्थान की जनता भी चाहती है कि जो विषय है, ठीक प्रकार से यहां चर्चा हो।

आपके इस आश्वासन के बाद मैं अपने दल की तरफ से कार्यवाही सुचारु रूप से चले, इसके लिए आश्वस्त करता हूं।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष: माननीय खिलाड़ी लाल जी बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में पार्टी की ओर से अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अभी राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान जितने भी बिंदु थे वे सब आये, हमारे विपक्ष के साथियों ने भी कई बातें उसके दौरान उठाईं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी मुद्दे हैं वे गम्भीरता के मुद्दे होते हैं, आप उन पर ध्यान रखिये, उनको उठाइये लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हो। क्योंकि यह अभी का जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, इससे पहले भी पांच साल का आपका कार्यकाल रहा है, यहां पर आपकी सरकार थी, जनता ने आपको विदा कर दिया, आपकी सरकार ऊपर भी है, वहां भी आपकी जल्दी विदाई होना तय है।

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

क्योंकि जो बातें आपने कही थीं और जो मुद्दे थे उन मुद्दों में आज आप जो कर्ज माफी की बात बता रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, जब मुख्य मंत्रीजी उसका जवाब देंगे तब यह तय हो जायेगा लेकिन जो 15 लाख रुपये जमा कराने की बात थी वो शायद पूरे पांच साल निकल गये और अभी और भी टाइम आगे निकलने वाला है, अभी तक खातों में जमा नहीं हुए हैं। (व्यवधान)

आज सारी दुनिया ने, पूरी जनता ने, पूरे देश और प्रदेश ने इन चीजों को देखा है। मैं और भी बातें हैं जो आपको बताना चाहूंगा। मैं बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मैं करौली-धौलपुर का पूर्व में सांसद रहा। आज जो स्थितियां हैं, उसके तहत उस टाइम पर, 2013 में बड़ी मेहनत करने के बाद रेलवे लाइन का उद्घाटन करवाया। तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत और रेलवे के तत्कालीन राज्य मंत्री सूर्यप्रकाश जी ने उसका उद्घाटन किया। उसका सरमथुरा में उद्घाटन हुआ और काम चला। लेकिन आपकी करनी और कथनी में अंतर देखने को मिलता है कि जो इतनी बड़ी योजना मेरे क्षेत्र की थी, उसको केवल इसलिए बंद करवा दिया कि यह लाइन राजा-महाराजाओं के समय की है। इस पर केवल हमारे विदेशी पर्यटक आएंगे और होटलों में रुकेंगे। उनके लिए ही बनाई गई है। इसकी मैं सदन की तरफ से, मेरे क्षेत्र की तरफ से कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। वह जो बहुत महत्वपूर्ण और आम जन के लिए लाइन थी, उसको रुकवाया। उसका काम मैं पुन: चालू करवाने के लिए सदन से मांग करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी चालू करवाएं।

(14.20 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आम जनता की बहुत सारी तकलीफें थीं। मेरा बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र परिसीमन में नया बना। दस साल तक वहां भाजपा के एमएलए रहे। आपकी सरकार भी रही। वहां बार-बार यह मांगें उठती रही कि आज बसेड़ी भी एसडीएम हैडक्वार्टर है और सरमथुरा भी है, लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोनों जगह नगरपालिका नहीं है और न ही सरमथुरा में पंचायत समिति है। जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह बहुत लम्बित मांग है, इसको पूरा किया जाए।

पुराने टाइम में सरकार ने जो उज्ज्वला योजना चलाई थी, उससे

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

गरीबों का पूरा राशन, कैरोसीन खतम हो गया। उस उज्ज्वला योजना की स्थिति यह है कि एक बार तो दे दी, लेकिन वापिस दुबारा भरने के लिए नहीं आई। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यह जो गरीबों के हित की योजना है, इस पर भी पुनर्विचार किया जाए कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यह योजना तो इन्होंने डाल दी और उसके बाद बड़ी वाहवाही भी लूट ली, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह ग्राउंड पर जीरो है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी योजनाएं जो इनके कार्यकाल में हुई हैं, उनकी समीक्षा की जाए और गरीबों के हित के जो भी मामले हैं, उन्हें यह सरकार पुनः चालू करे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो आपके मार्फत इस राजस्थान के जागरूक मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। पन्द्रहवीं विधान सभा के गठन के अंदर 74.2 प्रतिशत रिकार्ड तोड़ मतदान हुआ। यह सिद्ध कर रहा है कि अब हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है।

सभापति महोदय, यह पन्द्रहवीं विधान सभा का पहला सत्र है। मैं आपके मार्फत माननीय अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय जब आसन पर विराजे थे तो हमने कहा था कि आप किसी एक दल के नहीं, दलीय परिधि से यह आसन ऊपर है, आज उन्होंने इस सहृदयता का परिचय दिया है। इस सदन में मुझे कई बार आने का मौका मिला। मैंने कई गतिरोध भी देखे। लेकिन आज आसन से जो व्यवस्था हुई, प्रतिपक्ष के नेता सहित हम लोगों ने जो पाइंटेड सवाल खड़े किए किसान के कर्जे की माफी को लेकर, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय को कि उन्होंने इस लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की बात को माना। लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष, गाड़ी के दो पहिए हैं, जिन पर यह लोकतंत्र सवार है। सदन के नेता को यह संदेश दिया है कि वह जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात कहें तो उन सारी बातों को कहें।

सभापति महोदय, यह राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है। इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जो भी माननीय सदस्य चुनकर आए हैं, मैं उनको बधाई भी दूंगा। हम सबके मन में एक ही अरमान है कि राजस्थान का विकास हो, राजस्थानी का स्वाभिमान बढ़े।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, 1952 से लेकर के इस पन्द्रहवीं विधान सभा के गठन तक करीब 2880 माननीय सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आज राजस्थान जो विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है, बीमारू राजस्थान से इस श्रेणी में लाने में, चाहे पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, अलग-अलग कालखंडों में जो हमारे माननीय सदस्य चुने गए, उन सब की भूमिका को हम नकार नहीं सकते।

सभापति महोदय, मैंने इस 38 पृष्ठीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा है। मैं कह सकता हूं कि अभिभाषण को 'कौल और शकधर' ने सरकार का नीति पत्र कहा है। यह कहा है कि सरकार का अक्स एक वर्ष में जो वह करना चाहती है, वह दिखाई देता है। यह दर्पण है। लेकिन इस अभिभाषण में मुझे न तो कोई दिशा दिखी और न ही कोई नीति दिखी। अभिभाषण के अंदर पूर्ववर्ती सरकार को कुछ चीजों को लेकर कठघरे में खड़ा करने सहित जो बातें कही गईं, मैं उनका उत्तर बाद में दूंगा। मैं कोशिश करुंगा कि मेरा यह भाषण, अभिभाषण में अंकित उन सारे पैरा पर रहे।

सभापति महोदय, लेकिन इससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि पन्द्रहवीं विधान सभा के सत्र का जो आगाज हुआ, जिस प्रकार नियमों और प्रक्रियाओं को धत्ता बताकर किया गया, उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं महामहिम राज्यपाल के निर्णय पर कोई बहस खड़ी नहीं करना चाहता और न ही उनके निर्णय को कोई चुनौती देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आप सभी को मालूम है, आपने एक बाइबल हमें दी है, यह किताब है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 208 ए के अंतर्गत हमें याद दिलाती है, इसमें वह नियम और प्रक्रियाएं लिखी हैं जिसके आधार पर सदन संचालित होगा। मैं आपकी अनुमति से विधान सभा की कार्यवाही के संचालन के लिए 'कौल और शकधर' ने क्या कहा, उसका एक पैरा उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें लिखा है, 'लोक सभा को आहूत करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री, और यदि प्रधान मंत्री सदन का नेता न हो तो सदन के नेता द्वारा किया जाता है', आपके द्वारा और सत्र के प्रारम्भ होने की अवधि के संबंध में अध्यक्ष के साथ अनौपचारिक रूप से परामर्श करके प्रधान मंत्री के पास वह भेजा जाता है। प्रधान मंत्री उस सुझाव से सहमत हो सकता है या उसे मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है। प्रधान मंत्री या मंत्रिमंडल द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार किया गया प्रस्ताव औपचारिक रूप से अध्यक्ष के पास भेजा जाता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। यदि अध्यक्ष इससे सहमत हो, और यदि सहमत न हो, ऐसी संभावना कम ही होती है, वह उसे पुन: विचार के लिए वापस प्रधान मंत्री को भेज सकता है। वह महा सचिव से कहकर प्रस्ताव में निजी स्थिति तथा समय पर लोक सभा को आहूत करने के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त कर ले। राष्ट्रपति द्वारा इस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद लोक सभा सचिवालय उसे राजपत्र में प्रकाशित कराता है और समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन और उसके व्यापक प्रचार के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है'। यानी सत्ता पक्ष को सदन जब कभी भी आहूत करना हो...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दुबारा से पढ़ लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं पढ़ लूंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दुबारा से पढ़ लें। मैं आपको इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि आप दुबारा से इसको पढ़ लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रधान मंत्री वापस सचिव को कहेगा। सचिव जाकर राष्ट्रपति से आदेश लेगा। नहीं, वह दुबारा एक्स स्पीकर के पास नहीं जाएगा। आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैंने कौल और शकधर को कोट किया है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं कौल और शकधर की ही बात कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप मुझे पढ़कर के सुना दो। आप पढ़कर के सुना दो, मैं सुन लेता हूं। आप लाओ कागज पढ़कर के सुनाओ। सभापति महोदय, यह विधान सभा है। यह तर्कों के आधार पर चलती है। यह कोटा की धान मंडी नहीं है जहां धारीवाल साहब कोई भी भाषण दे दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह चूरू की सब्जी मंडी भी नहीं है। कोटा की धान मंडी तो बहुत बड़ी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं निवेदन कर रहा था कि सत्ता पक्ष को सदन आहूत करने से पहले तत्कालीन माननीय अध्यक्ष महोदय से परामर्श करना चाहिए। यह संवैधानिक रूप से आवश्यक है। लेकिन हमारे ज्ञानवान संसदीय कार्य मंत्रीजी ने यह उचित नहीं समझा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक नियम समिति बनी हुई है।

हमारी विधान सभा कैसे चलेगी उन नियमों के बारे में वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है तो पांचवी विधान सभा की नियम समिति का तीसरा प्रतिवेदन और नवीं विधान सभा की नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन उसमें यह सिफारिश की है कि सत्र आहूत करने की प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी जो लोक सभा में है, लोक सभा की प्रक्रिया मैंने बता दी। अब सभापति महोदय, मैं इस पवित्र किताब में, नियम 3(2) की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें यह साफ लिखा है कि जब कभी भी सत्र आहूत होगा तो 21 दिन का कम से कम समय उसके अंदर नोटिस के लिए होगा। हां, अल्प समय में सत्र बुलाए गए हैं पर प्रथम सत्र नहीं। प्रथम सत्र सभापति महोदय, एक बार बुलाया गया था 15 दिन के लिए यह 2009 की बात है जब सरकार का गठन हुआ था तब विश्वास मत के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार को निर्देश दिया था यानी एक महीना सरकार के गठन को हो जाए और छह दिन के नोटिस में, सारी संसदीय परम्पराओं को, सारे नियम और प्रक्रियाओं को ताक में रखकर यह सदन बुलाया गया, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। सभापति महोदय, आज उसी का परिणाम है कि हम सब लोग माननीय सदस्य हैं, हम अपने-अपने इलाके के बारे में, अपने-अपने क्षेत्र के बारे में प्रश्नों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं पर आज प्रश्न नहीं लगाए गए। मतलब विधान सभा ने जो बुलेटिन जारी किया 14 जनवरी को, उसमें साफ लिखा है कि प्रश्नकाल इसलिए 18 तारीख को नहीं होगा कि समयाभाव है। यह समयाभाव क्यों है प्रथम सत्र के अंदर? संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भविष्य में ऐसा नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कम से कम इस गतिरोध को दूर तो किया। माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। राजस्थान के अवाम का मिज़ाज निराला है इसलिए मैं कहूंगा कि माननीय सभापति महोदय, 'दौर' की बात है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

"जहां आज मैं हूं, कल कोई और था,
यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था।"

यह दौर आपका है, मैं मानता हूं इस बात को। पर, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, इस बार 15वीं विधान सभा के चुनाव के अंदर जब से वोट का राज राजस्थान में बना है, सबसे कम प्रतिशत के आधार पर सत्ता का परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस पार्टी को 0.5 प्रतिशत मत अधिक मिले हैं यानी 200 में से 1 आदमी का मन बदला और सत्ता खिसक कर आपके पास चली गई। जनता के जन आदेश को हम शिरोधार्य करते हैं, हम उससे कोई मना नहीं करते पर मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि जब-जब आपने सत्ता प्राप्त की भ्रमवश, जनता के मन में भ्रम जरूर रहा, माननीय सभापति महोदय, हमने इनसे सत्ता ली थी, हमने सत्ता ली थी 2003 में कांग्रेस को मत प्रतिशत जो मिला वह था 35.65 और भाजपा को मिला 39.85, अंतर था 4.2 का, 2013 में जब सूपड़ा साफ हुआ था, बड़े जादूगरजी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव में उतरी थी तो मतों का अंतर था 12.9, यानी जितना विश्वास राजस्थान के अवाम ने हम पर किया, वह सामने है, आंकड़े बताते हैं, जब कभी भी आपको सत्ता सौंपी तो भ्रम से सौंपी क्योंकि 2008 के अंदर जो मतों का अंतर था, दोनों के बीच में वह 2.55 था और अब 0.5 है। यह तो वह कमाल है, अब तो यह छोटे जादूगरजी और बड़े जादूगरजी दोनों मिल लिए।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, हम जो तीनों उम्मीदवार जीते हैं, वहां तीनों जगह भाजपा की जमानत जब्त कराई है, वास्तव में तीनों जगह और कराऊंगा लोक सभा के अंदर, इस तरह बोलोगे तो और इलाज करेंगे लोक सभा चुनाव के अंदर। (व्यवधान) हां, सही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, भविष्य के गर्भ में है, इस लोकतंत्र में गुमान हमेशा हारा है, अहंकार हमेशा हारा है। मैं समझता हूं कि खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य क्या तीर मारेंगे, यह भविष्य के गर्भ में है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ जरूर हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पृष्ठ 4 के पैरा 1 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया, उसमें लिखा है, वर्तमान सरकार ने पहला निर्णय किसान को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु लिया है यानी आपने वह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बात दोहराई जो आपने अपने जन चुनाव घोषणा पत्र, जिसको आपने सरकारी दस्तावेज में बदला है, आप इस अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से कहला रहे हैं कि आपने पहला आदेश जो सरकार बनने के बाद निकाला वह किसान को आर्थिक सम्बल प्रदान करने का, कर्जा माफी के लिए निकाला।

माननीय सभापति महोदय, 25 दिसम्बर को काबीना की बैठक में जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज के रूप में बदल दिया। मैं समझता हूं कि जब कोई भी डाकूमेंट सरकारी दस्तावेज का रूप ले लेता है वह राजस्थान की जनता का है, राजस्थान की सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं, पार्टी हो सकती है कांग्रेस, राजस्थान की सरकार हम सबकी सरकार है। राजस्थान का अवाम, इस घोषणा पत्र में जो अनुत्तरित बातें आपने लिखीं उसका उत्तर निश्चित तौर पर जाएगा और मुझे उम्मीद है, जब सदन के नेता अपनी बात कहेंगे तो निश्चित तौर पर उन बातों का उत्तर देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस चीज की चर्चा आज हुई, यह 25 दिसम्बर को जन घोषणा पत्र सरकारी डाकूमेंट बना इससे पहले 19 दिसम्बर को राजस्थान के मुख्य सचिव ने किसानों के कर्जा माफ करने के लिए 'किंतु-परंतु' के साथ एक आदेश जारी किया। यह आदेश मेरे पास है। मुझे अफसोस इस बात का है कि आज तक मुख्य सचिव ने जब कभी भी कोई आदेश जारी किया है तो वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद किया है। मैं समझता हूं कि एक कमजोर मुख्य सचिव का एक मजबूर मुख्य मंत्री पर दबाव था कि उन्होंने इस प्रकार का आदेश जारी किया और वह दबाव उस महान नेता का था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जिन्होंने राजस्थान के अंदर, जयपुर में आकर और दूसरी जगह पर जाकर, मैं दूरदर्शन पर राष्ट्रीय अध्यक्षजी का भाषण सुन रहा था, प्रताप सिंहजी का चेहरा भी नजर आ रहा था, वह बोल रहे थे माननीय सभापति महोदय, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ और दस, और कर्जा माफ। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस कर्जा माफी की डुगडुगी को अब हम कितना बजाएंगे? आज इसके अंदर अल्पकालीन ऋण की बात आपने कह दी, आज इसमें आपने अवधि पार ऋण की बात कह दी, आज इसके अंदर आपने डिफाल्टर्स की बात कह दी, मैं समझता हूं कि जब आपने यह लिखा, यह घोषणा पत्र मैं लेकर आया हूं माननीय सभापति महोदय, इसमें लिखा है कि दस दिन में किसान का कृषि ऋण माफ करना और फिर हमें दो-चार गालियां

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दे दीं, कोई बात नहीं, अधिकार है, मैं पूछना चाहता हूं कि इस दस दिन के कृषि ऋण में क्या मैंने ट्रैक्टर का ऋण लिया वह शामिल नहीं है, मैंने मेरे कुआं बनाने के लिए ऋण लिया वह शामिल नहीं है, आपने किस आधार पर यह किया? मुझे अफसोस है संसदीय कार्य मंत्रीजी आप पर, आपने राजस्थान के उस किसान को जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, जिसको अन्नदाता कहते हैं, मैं समझता हूं कि हम जन्मदाता का सम्मान करते हैं, हम अन्नदाता का सम्मान करते हैं और ईश्वर का सम्मान करते हैं, आपने किस आधार पर कह दिया कि किसानों को फसल के दाम पूरे न मिलने पर आत्महत्याएं कीं? यह 70 का आंकड़ा हाड़ौती में कहां से ले आए? मैं जानना चाहता हूं, वह 70 की सूची आप यहां सदन में प्रस्तुत करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप अपने विधायकों से पूछो जो उनकी आत्महत्या के बाद उनके घर पर बैठकर गए हैं। 70 हैं पूरे 70, हाड़ौती, हाड़ौती में जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह कोई बहस की बात नहीं है। अगर इनके पास, संसदीय कार्य मंत्रीजी के पास सूची है..।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपसे आग्रह है कि आप संसदीय कार्य मंत्री से बात करने की बजाय इधर आसन की तरफ देखें और उकसाने वाली बातें न करें। ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बात-बात में मंत्री महोदय का खड़ा होना उचित नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो मैं इनकी बातों का जवाब न दूं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब देने के लिए आपके पास समय है न। आप जब चर्चा हो तो देना।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप इनको भी तो रोका करिएगा।

श्री सभापति: नेता प्रतिपक्ष।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बिना बात के यूं ही फालतू?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये भी तो रोकें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कोटा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री सभापति: इधर-इधर-इधर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब अपने को हालात पर अपने आपको परखना चाहिए। मैं यह जरूर कहूंगा कि 'खंडहर बता रहे हैं कि इमारत कितनी बुलंद थी', आपकी बुलंदगी मैंने देखी है।

मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, 17.12.2018 को माननीय मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी ने शपथ ली। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता कि शपथ से पहले क्या हुआ, मुख्य मंत्री बना, मुख्य मंत्री का खेल चला उसके अंदर कितनी जगह राजस्थान के अंदर सड़कें रोकी गईं, कितनी जगह ट्रेन की पटरियों की फिश प्लेटें निकाली गईं, मैं इस पर बिलकुल नहीं जाना चाहता।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): एक बात बताइए माननीय सभापति महोदय, राठौड़ साहब, दो मिनट विराज जाएं, राठौड़ साहब बोलने में मास्टर हैं, यह मैं मानता हूं, आपका एक्सपीरिएंस लम्बा है, मानते हैं, सारा जितना राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे हैं, पूरा तो +++ बोल लिया, अब +++ बोलकर कांग्रेस में क्या हो रहा है, उसकी सारी चिंता आपको है। इस बात से बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जीत गए। अच्छी बात है। 0.5 परसेंट वोट ज्यादा हमें मिला है। मान लिया हमने। सबको पता है पूरे राजस्थान को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण वही है जो ये बोल रहे हैं और वह है घमण्ड। ये जनता से दूर हो गये थे और इस घमण्ड की भाषा आप अभी भी बोल रहे हैं।

मैं राठौड़ साहब का सम्मान करता हूं, लेकिन इतना घमण्ड नहीं होना चाहिए कि राजस्थान की जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया, तो क्या आपको मैंडेट दिया है क्या? मैंडेट तो कांग्रेस को ही मिला है, इसलिए आप यह +++ बोलना बंद करें कि कांग्रेस में क्या हुआ, पहले क्या हुआ। आप तो राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलें। वह आपको बोलना चाहिए। आपको नाराजगी इस बात की है कि हम जो नहीं कर पाए, वह कांग्रेस ने आते ही दो दिन में कर दिया। आप कर देते? पेंशन बढ़ा देते। आपको किसने मना किया। जो आप नहीं कर

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

पाए वह कांग्रेस ने कर दिया, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। बाकी कोई दर्द नहीं है। दर्द का सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस की सरकार बनी, सरकार ने दो दिन में सारे काम कर दिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माननीय मंत्री महोदय, इतना साफ +++ तो मत बोलिए कि दो दिन में कर दिया।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): प्रताप सिंह जी, आप तो कांग्रेस की बात कम ही करें, आप भी हमारी ही यूनिवर्सिटी के रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मैं कांग्रेस में आया, यह बात छोड़ें। आदरणीय भैरोंसिंह जी का आपने कभी सम्मान नहीं किया। मैं तो कैसे आया, वह सब आप जानते हैं। जिन भैरोंसिंह जी ने इस पार्टी को खड़ा किया, आप उन्हीं के सगे नहीं हुए। आप मेरे कहां से सगे हो सकते थे। ये बातें छोड़ें, आप अभी बच्चे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा आपसे आग्रह है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, राठौड़ साहब को बोलिए। राठौड़ साहब आप भी मेहरबानी करें। आप अगर यह उकसाने वाली बातें नहीं करें तो आपका भाषण ज्यादा बढ़िया लग रहा है। आप सीधे-सीधे अपनी बात को कन्फाइन करें राज्यपाल के अभिभाषण पर। कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, उस पर आप मत जाइए। सीधे-सीधे आप भाषण पर आएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, पूरा सदन इस बात को जानता है कि इस सदन में नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर सबसे अनुशासित कोई सदस्य है तो वह मैं हूं....(व्यवधान)

श्री सभापति: इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप नियम नहीं तोड़ेंगे।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): बहुत शुरू से देख रहे हैं, पूरा जयपुर यह जानता है कि माननीय राजेन्द्र राठौड़ से ज्यादा शरीफ कोई नहीं है। आप अगर मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ और बातें आपके बारे में कहूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, शायद सदन इस बात को भी नहीं जानता होगा कि आपने जिस विद्यार्थी जीवन में संस्कार लिए.... वहीं से तो मैं भी हूं न।

श्री सभापति: महाराजा कालेज से आए हुए जितने भी अध्यक्ष बने हैं, यह आप तय कर लें कि किसको किस प्रकार क्या बोलना है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): महेश जी, मेरी रिक्वैस्ट है कि आप दो-चार बातें यूनिवर्सिटी की बता ही दें।

श्री सभापति: मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से एक दिन कहूंगा कि जितने भी हमारे महाराजा कालेज के अध्यक्ष हैं, उनकी डिबेट एक बार अलग से करा लें। हाल-फिलहाल तो आप इस डिबेट को करने दें, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि 17 दिसम्बर को जब मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्रीजी ने शपथ ली, उससे पहले राजस्थान के मंजर के बारे में बिलकुल कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं मंत्री मण्डल के गठन से पहले उन माननीय सदस्यों की व्यथा भी नहीं कहना चाहता जिनके समर्थकों ने सड़कें रोकीं, टायर जलाए, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, पर मैं यह निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि 30 दिन निकलने के बाद 7 मंत्रियों और 6 अधिकारियों की भारी-भरकम कमेटी बना दी और आज तक कर्ज माफी की गाइड लाइन और कर्ज माफी के लिए धन कहां से आए, ये तय नहीं कर पाए।

मैं अचंभित तब रह गया जब इसी 9 जनवरी को, संचालन कर रहे थे, बहुत अच्छा संचालन करते हैं प्रताप सिंह जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम सब लोगों ने कई जगहों पर कई यात्राएं साथ-साथ की हैं। कई लोग जानते हैं, कई नहीं जानते, पर उस सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कहें कि हम केन्द्र सरकार पर कर्ज माफी के लिए दबाव डालेंगे और सदन के नेता उस पत्र को पढ़ दें जो उन्होंने प्रधान मंत्री को लिखा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यूपीए सरकार में 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में 72 हजार करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ था। आप उसी तर्ज पर जाना चाहते हैं। राजस्थान में सिर्फ एक हजार 354 करोड़ रुपए आठ लाख 29 हजार किसानों के कर्ज माफ हुए। यह भारतीय जनता पार्टी का कमाल है।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में एक-दो नहीं, मैं जो आंकड़ा बता रहा हूं, वह नोट कर लें। अगर मेरे आंकड़े में कोई बात गलत हो, सहकारिता मंत्रीजी बैठे हैं, 27 लाख 68 हजार किसानों को हमने सात हजार 827 करोड़ के ऋण माफी के प्रमाण पत्र दे दिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं हैरान उस वक्त हो गया था जब सदन के नेता ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि सरकार को पूर्ववर्ती सरकार कर्जे में डुबो गई। कोई न कोई कमी तो यातायात मंत्रीजी हममें रही होगी, जनादेश आपको मिला है, इसे हम स्वीकार कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड)

अगर हम जनता की निगाहों में उनकी मेहरबानी के सितारे होते तो हम वहां बैठे होते। पर अब हमें कोसते रहें, हमें जनता ने मैंडेट नहीं दिया, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप यह जन घोषणा पत्र लिख रहे थे, उस समय क्या आपने मोदी साहब से पूछा था क्या कि आपने अगर हमें पैसा नहीं दिया तो हम इसे माफ नहीं कर पाएंगे। मतलब कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। पैसा आपके पास है नहीं और राजस्थान के लोगों का कर्जा आप माफ नहीं कर पाएंगे, यह मैं आप निश्चित तौर पर कह रहा हूं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): राठौड़ साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो इस बात का मैं जवाब दूं? (व्यवधान) जन घोषणा पत्र लिखने वाला मैं था। मैं बताता हूं आपको। सभापति महोदय, अगर अनुमति हो तो मैं इस बात का जवाब दे देता हूं। जवाब मांग रहे हैं तो इसका जवाब मैं दे देता हूं। (व्यवधान) अब इन्हें जवाब नहीं सुनना है तो फिर बोलते रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अगर यह परिपाटी चलती रही और मंत्री महोदय के इस तरह स्प्रिंग लगते रहे तो फिर हम 22 नहीं हैं। इस मुगालते में मत रहिएगा। पिछली विधान सभा में नक्कारखाने में तूती की आवाज ऐसे सुनती थी कि आप 200 में से 22 थे। एक मिनी बस की सवारी। हम भारी-भरकम 73 लोग हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हम हार गए थे, हमने स्वीकार की थी हार। आज भी आप घमण्ड दिखा रहे हैं। अभी भी बार-बार वही भाषा है। आप राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हैं। आपको इतना घमण्ड है? हम 22 थे, सबको पता है, पूरे राजस्थान को पता है कि हम बुरी तरह हार गए थे, लेकिन आप भी स्वीकार करें कि आप 164 से 70 पर आ गए हैं। इसे भी स्वीकार करें। हाथ जोड़कर हार को स्वीकार करें, घमण्ड न करें।

सभापति जी, यह घमण्ड की भाषा बार-बार बोलना, धमकी देकर बात करना, +++ तथ्य प्रस्तुत करना, इसी को राजेन्द्र राठौड़ कहते हैं। पूरा राजस्थान जानता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, एक तो यह +++असंसदीय शब्द है, इसे आप कार्यवाही से निकालें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): +++ कोई असंसदीय शब्द नहीं है। आप पता कर लें यह संसदीय कार्य मंत्री से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अगर यह असंसदीय नहीं है तो मैं यहां से खड़ा होकर कभी नहीं बोलूंगा। मतलब अहंकार भी कितना। सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कर्जा माफ करना तो दूर की कौड़ी हो गई, रबी के फसल का जो ऋण है वह 1 सितम्बर से 31 मार्च तक दिया जाता है। पिछली सरकार ने 7600 करोड़ रुपये का ऋण देना था, आज मात्र 2200 करोड़ का ऋण मिला है किसान को। किसान को आपने ऋण भी देना बंद कर दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पूरी स्थिति आपने बताई, मुझे उस समय आश्चर्य हुआ जब संसदीय कार्य मंत्रीजी का बयान मैंने पढ़ा कि अठारह हजार करोड़ रुपये का भार आएगा। कैसे गिन लिया आपने यह? किस आधार पर गिन लिया?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आठ हजार करोड़ रुपए माफ करने की बात कही थी, दो हजार करोड़ ही माफ किया। छह हजार करोड़ तो वही आ रहा है।

श्री सभापति: आप बैठिए।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): बैठ जाएंगे साहब, इन्होंने कहा है, इसलिए बता रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अगर 19 लाख 995 करोड़ का जो कुल ऋण भार है, इसमें से 18 हजार करोड़ की बात भी मान लें, इसमें उस छह हजार करोड़ रुपए की बात भी कर रहे हैं जो हमारे समय में था, जिसके लिए हमने आवश्यक वित्तीय प्रबंधन किया। सदन में प्रतिपक्ष के नेता इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। 81 हजार करोड़ का क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आप कर क्या रहे हैं ऋण का?

सभापति महोदय, ऋण या तो वेव-आफ होता है या राइट-आफ होता है। वेव-आफ तब होता है, जब पैसा बैंकों में सरकार जमा करवाती है और बैंक उससे सहमति व्यक्त करते हैं। आज की तारीख में किस-किस बैंक से इन्होंने सहमति प्राप्त की, इसका कोई रोड मैप इनके पास नहीं है। जब राइट-आफ होता है तो बट्टे खाते में जाता है। मैं समझता हूं कि यह दूर की कौड़ी साबित हुआ है। राजस्थान की अवाम आपसे इसके बारे में निश्चित तौर पर पूछेगी। मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा।

जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 23 के पैरा 5

(श्री राजेन्द्र राठौड)

में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की बात कही गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं सदन का ध्यान उस जन घोषणा पत्र जो सरकारी दस्तावेज बन चुका है, उसके पृष्ठ संख्या 15 के पैरा 1 की ओर दिलाना चाहता हूं। शिक्षित बेरोजगारों को आप 3500 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भात्ते के रूप में देंगे। आपने घोषणा की, हम स्वागत करते हैं। राजस्थान के नौजवान को बरगलाने में आप कामयाब हो गये।

आपने इस घोषणा से पहले क्या इस बात का आकलन किया कि शिक्षित बेरोजगार की परिभाषा में राजस्थान में आज कितने नौजवान आ रहे हैं? सभापति महोदय, अभी समाचार पत्रों में सेंटर फार मोनिटरिंग इंडियन इकोनोमी, सीएमआईई की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, अभी दिसम्बर, 2018 में सुर्खियों में वो रिपोर्ट आई है। हमारी सरकार की कमजोरी है यह मैं मानता हूं पर उसमें लिखा है कि राजस्थान में हर छठा नौजवान बेरोजगार है। प्रताप सिंह जी, बेरोजगारी का प्रतिशत राजस्थान में 15 प्रतिशत है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आपने भी मान लिया है न आपके राज में बेरोजगारी बढ़ी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां, मान लिया।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आप मान रहे हो न? और बेरोजगारों की दुर्दशा आपके काम से हुई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां, मान लिया, आप विराजो। सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के नौजवानों की जो आबादी है, वह 2 करोड़ के लगभग है। राजस्थान की जो साक्षरता है नौजवानों में वो 80 प्रतिशत है। अगर आप इन सब नौजवानों को 3500 रुपये भत्ता दोगे तो आप पर कुल भार 1166 करोड़ रुपये का भार आएगा प्रताप सिंह जी। राजस्थान के नौजवान को 1166 करोड़ रुपये आपकी सरकार देगी तो मैं फूलमाला लेकर, क्योंकि आप मेरे ही मकान में आ रहे हैं तो, पहले वहां मकान में जाकर आपका स्वागत करूंगा, आपका सत्कार करूंगा। मतलब, किस प्रकार इस नौजवान को ठगने की साजिश की है इसका जवाब निश्चित तौर पर समय आने पर राजस्थान का नौजवान मांगेगा।

मैं एक और मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के इस पूरे अभिभाषण

(श्री राजेन्द्र राठौड)

को पढ़ा और इसके अन्तिम पृष्ठ में यह बात लिखी है कि आप कौन-कौन से विधेयक लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता था कि इस बार जो मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्गों को आरक्षण देने की बात की है, दशकों पुरानी जो मांग पूरी की है उस विधेयक को लाने के लिए आप निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं कोई उल्लेख करोगे। हालांकि मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जब यह हो गया, 8 जनवरी, 2019 को इस हिन्दुस्तान की लोक सभा में 124वां संशोधन पारित हुआ, बरसों से जो अगड़ा लड़ाई लड़ रहा था, सामाजिक न्याय और समानता के अधिकार के लिए मोदी सरकार ने एक शानदार तोहफा उनको दिया और 9 जनवरी को राज्य सभा में उसको पारित किया जिसका सभी दलों ने उसका समर्थन किया। सभापति महोदय, 12 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर कर दिये यानी वो एक कानून बन गया। अब राज्य सरकार चाहे तो विधान सभा के नियम 118 (क), लिख लीजिए आप, और संविधान के आर्टिकल 368 में आप अनुसमर्थन के लिए विधान सभा में विधेयक को लेकर आ सकते हैं, प्रस्ताव पारित कर सकते हैं परन्तु आप नहीं करोगे क्योंकि गुजरात सरकार ने कर दिया। समाज कल्याण मंत्रीजी मेरे इलाके से आते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मुख्य मंत्रीजी कहेंगे न तब विचार प्रारम्भ करेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने प्रसन्नता व्यक्त करने के बजाय कहा कि यह तो स्टंट है, चुनावी जुमला है। चुनावी जुमला तो वो 2003 का पत्र था जो तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने, तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लिखकर कि 14 प्रतिशत आरक्षण दें, इसकी बहस प्रारम्भ की थी। सभापति महोदय, 2003 के बाद मुख्य मंत्रीजी भी सरकार में, सत्ता में आये, सरकारें आती गईं, सरकारें जाती रहीं, कभी एक बार भी मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री के रूप में और पूर्व मुख्य मंत्री के रूप में अपने उस पत्र के आधार पर इन सामान्य वर्ग के गरीब, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की बात कही हो तो मुझे बता दें। वो जुमला था, वो स्टंट था और यह यथार्थ है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, ये जिस तरह के आरोप-प्रत्यारोप मुख्य मंत्रीजी के ऊपर कर रहे हैं, दुनिया जानती है कि मुख्य मंत्रीजी ने उस वक्त 14 परसेंट आरक्षण की बात कही थी। अभी कुछ हुआ नहीं उससे पहले आप तो लगातार मुख्य मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी, आप लगातार असत्य बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं बन्द कर देता हूं। यह बात है तो मैं बन्द कर देता हूं, बोलने ही नहीं दे रहे तो मैं बन्द कर देता हूं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): बन्द करने से क्या होगा, आप लगातार जिस तरह से बार-बार मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री, आप अपनी बात कहो न। आप बार-बार घूम-फिरकर मुख्य मंत्री पर आते हैं और अपनी बात करते नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप टोको उनको।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हर बात पर मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें, आप विराजें। माननीय राठौड़ साहब, मैं आपका भाषण पूरा मान लूं। आप इसको कनक्लूड करिए। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह कोई तरीका नहीं है कि कोई माननीय सदस्य बोलेगा उसको बार-बार डिस्टर्ब करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय राठौड़ साहब का भाषण यदि पूरा हो गया तो इसको बन्द करें। ये प्रोवोकेशन करने के बजाय अपना भाषण क्यों नहीं करते या आप चाहते हैं कि इस तरह से हल्ला-गुल्ला हो। आप सीधी-सीधी अपनी बात कहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बात ही कह रहा हूं मैं।

श्री सभापति: बात कहां कह रहे हैं आप प्रोवोक कर रहे हैं कभी किसी को, कभी किसी को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं कोई आन मिलो सजना का गाना गा रहा हूं क्या? बात ही कह रहा हूं मैं।

श्री सभापति: कहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप क्यों नाराज हो रहे हो?

श्री सभापति: नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे हैं आप विराजें। बैठिये आप लोग। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि पक्ष और विपक्ष को पूरा अवसर है कि किसी भी सदस्य के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बारे में अगर कोई बात उठी है और गलत उठी है तो रिप्लाई के समय में आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। हर मिनट में इस प्रकार से अगर वाद-विवाद होगा तो इसका कोई एंड नहीं होगा। मैं आसन से निवेदन करता हूं कि वाद-विवाद को ठीक प्रकार से चलाने के लिए, बार-बार कोई फ्री नहीं है कि जब चाहे जब खड़े होकर बोल जाए, इस परिपाटी को रोकने का आप प्रयास करें। इतना आपसे निवेदन कर रहा हूं नहीं तो फिर यह वाद-विवाद वाद-विवाद नहीं रहेगा और किसी और स्वरूप में चला जाएगा।

श्री सभापति: राठौड़ साहब, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप सीधे-सीधे अपनी बात पर रहें, आप प्रोवोक नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज। गर्ग साहब, राठौड़ साहब अपनी बात का जवाब दे रहे हैं, आप विराजें। बैठिये आप। माननीय सदस्य, बैठें आप। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की बहस पर कोई भी विषय लिया जा सकता है उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। (व्यवधान) आप बार-बार क्यों टोक रहे हो इनको कि यह विषय बोलो। ये लोग कहेंगे वही बोलेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: ये अपनी बात रख सकते हैं, आप बैठिये न। आप विराजिये। (व्यवधान) राठौड़ साहब, बहुत सहायक चाहिए आपको बोलने के लिए? आप विषय वस्तु पर रहें, अच्छा रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं विषय-वस्तु पर ही हूं। दाएं बाएं होऊं तो आप टोक देना।

श्री सभापति: नहीं, कोई नहीं टोक रहा पर आप तो स्वयं ही आमंत्रित कर रहे हैं टोकने वालों को। कोई नहीं टोक रहा आपको, आप बोलें प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पर अगर आसन ने अपने अधिकार, ये सिविल लाइंस से आने वाले माननीय सदस्य दूसरी बार हैं, आप आसन पर विराजे हैं, आसन छठी बार है और यह दूसरी बात है कि आप आज ट्रेजरी बेंच पर विराज रहे हो। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति जी, मैं सब जानता हूं कि मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं। ये बार-बार मुझे सिविल लाइंस वाले कहेंगे तो इनको सुनना पड़ेगा। या तो अपन दोनों बातचीत कर लें, फैसला हो जाएगा, फैसला कर लेते हैं आपस में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि अवसरों की समानता और सामाजिक न्याय को मजबूत करने का जो ऐतिहासिक काम केन्द्र सरकार ने किया उसमें आज सामान्य वर्ग के 98 फीसदी लोग आ गए। इस देश के अन्दर 98 फीसदी लोगों की मासिक आय 50 हजार से कम है और 1.8 प्रतिशत लोगों की वार्षिक आय 50 हजार से एक लाख के बीच में है और भारत सरकार ने इसकी सीमा 8 लाख रखी है। सभापति महोदय, भारत सरकार ने गरीबी की रेखा की जो सीमा रखी है वो 27 हजार है, यानी गरीबी की रेखा से 29 गुना ज्यादा लोग इस परिधि के अन्दर आकर इस आरक्षण का फायदा ले सकते हैं। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है, मैं उस सदन का साक्षी भी रहा हूं, उस पार्टी का मैं सदस्य भी रहा हूं जिसने एक बार नहीं, दो बार इसी विधान सभा के अन्दर जुलाई, 2008 और दिसम्बर, 2015 में आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण मिले उसके लिए इस देश के अन्दर पहली विधान सभा है जिसने दो बार बिल पारित किया और दोनों बार इस विधान सभा के अन्दर सदन की नेता वसुंधरा जी थीं। हमने इस काम को करने की कोशिश की। मैं एक बात याद दिलाकर दूसरे विषय पर जाऊंगा कि जुलाई, 2008 के अन्दर सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ, महामहिम राज्यपाल के पद पर एस. के. सिंह जी विराज रहे थे, सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जुलाई, 2008 में जो राज्यपाल महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए बिल गया उसे एक साल तक रोका और 31.05.2009 को उनके हस्ताक्षर हुए। मैं इसमें किसी पर आरोप नहीं लगा रहा कि क्यों रोका, कैसे रोका, कौनसी पृष्ठभूमि थी, मैं कोई कनिष्क सिंह और उनकी बात नहीं कर रहा पर है कुछ बातें, है कुछ धुआं जो उठता है चिंगारी के रूप में तो लगता है कि कुछ न कुछ हुआ है। यह जो 2008 का बिल आया था उससे पहले हमने जस्टिस शशिमोहन का इकोनोमिक बैकवर्ड कमीशन बनाया था और उसी के आधार पर संविधान के प्रिएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आधार पर हम यह बिल लेकर आए थे। यह दूसरी बात है कि 2010 के अन्दर इस पर स्टे हुआ और सभापति महोदय, आज की तारीख में राज्य सरकार की अगर मंशा हो, 16 अगस्त, 2015 को जो पुन: आर्थिक पिछड़ों के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण का बिल लेकर हम आए उससे पहले जस्टिस अनूप चन्द गोयल की सदारत में एक कमीशन बना था आर्थिक पिछड़ा आयोग का। उसने वो सारी बातें, जब माननीय उच्च न्यायालय ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसको रद्द किया 22.10.2010 को और उसमें जो बातें आई कि क्वांटिफिएबल डेटा होना चाहिए, पूरा सर्वे होना चाहिए, समग्र नीति होनी चाहिए, वो सारी बातें पूरी कर लीं और मैं चाहूंगा तथा मैं मांग करूंगा कि सदन के नेता जब अपनी बात को कहें तो निश्चित तौर पर इस बात को भी कहें। ये चुनावी स्टन्ट जिसको बता रहे थे, चुनावी जुमला जिसको बता रहे थे, क्या वे राजस्थान में आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण मिले इसके विरुद्ध में है। अगर विरुद्ध में है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

(15.00 बजे)

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप लोगों ने माननीय सदस्य को बोलने नहीं दिया। जिनकी चर्चा कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं आप। आपने बोलने तक नहीं दिया उस सदस्य को, 14 परसेंट आरक्षण आधार की बात कर रहे हो। आपने पूरे समय में भ्रष्टाचार किया है, आपने अपराध को बढ़ाया है और उस पाप की सज़ा आपको मिल रही है अब।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय....

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): और अब यहां पर बड़ी-बड़ी घमण्ड की बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं आप। पहले अपने गिरहबान में झांककर के वो बात करो जो जनता में एक मैसेज जाए और जनता के हित...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, भ्रष्टाचार किया तो अब तो आप सरकार में हैं आप जांच करवा लो। आप सरकार में हैं, आप मंत्री हो, आप जांच करवा लो भ्रष्टाचार की।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पूरी जनता इस प्रदेश की जानती है...

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, मंत्री भी ऐसे कैसे बोल रहे हैं।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ये बड़ी-बड़ी बातें करने वाले...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तो आपके हाथ में है, करा लो, जांच कराओं। अब तो सत्ता आपके हाथ में है, आप मंत्री हैं, जांच करवाओ न भ्रष्टाचार की। कराओ आप, कराओ आप।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जांच हो जाएगी, अभी पता लग जाएगा, इनको और आपको भी पता लग जाएगा। रुक जाइए आप। पता लग जाएगा, आपने जो भ्रष्टाचार किया है, पाप किया है, उसका भी पता लगेगा। धैर्य रखिये, शांति रखिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बातें क्यों कर रहे हो? जांच कराओ।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए आप, राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 12 पैरा 28 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा...

श्री सभापति: बीच-बीच में आपको इस तरह से अच्छा लगता है, राठौड़ साहब शायद। बीच-बीच में इस तरह से दोनों तरफ से लोग खड़े हों, आपको अच्छा लगता है क्या? आप जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपकी और मेरी राशि एक, मेरा रास्ता आपके यहां से गुजरता है। आपका और हमारा तो बहुत पुराना साथ है। आपकी कृपा नहीं रहेगी तो किसकी रहेगी! सभापति महोदय, ये सदन के नेता, ये कोई जानता नहीं आपकी खूबियां, सदन के नेता नहीं जानते और हम जानते तो आप वहां विराजते...

श्री सभापति: मैं आपका आभारी हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं उसको कुरेदना नहीं चाहता। सभापति महोदय, यह जो अभिभाषण का पृष्ठ 12 पैरा 28 है। इसमें उन्होंने एक चीज का उल्लेख किया है। 2008 से 2013 तक तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रिफाइनरी की स्थापना के भगीरथ प्रयास हुए, बहुत अच्छी बात है। भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन का ज्वाइंट वैंचर बना, यह भी बहुत अच्छी बात है। पर यह कहा कि गत सरकार द्वारा कमियां ढूंढ़ने के चक्कर में रिफाइनरी नहीं लगाने के कार्य में बाधा पैदा की, राज्य विकास के मायनों में पिछड़ गया। अच्छा रहता यह भी बता देते कि अब गत सरकार के द्वारा जो एमओयू किया गया था, आपकी सरकार ने जो किया था, उस एमओयू में और गत सरकार ने हमारी सरकार ने जो एमओयू किया 40 हजार करोड़ रुपये राजस्थान के अवाम के बचाने के हमने काम किये और जिस रिफाइनरी की बात ये कर रहे हैं...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कहां से लेकर आए हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अभी बताता हूं..

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कहा से लेकर आए हो, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से खबर आई है क्या? कोई किताब छपी है क्या? उसमें लिखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, जब इन्होंने मुझे कह दिया कि यह फीगर कहां से है तो मैं वो सारी बात निश्चित तौर पर सदन में बताने के लिए आपकी अनुमति चाहूंगा। फिर आप बार-बार खड़े मत होना। सभापति महोदय, 2008 कांग्रेस का वह चुनावी घोषणा पत्र, जो उस वक्त भी इनका बाइबिल बना था, गीता बनी थी। उसमें रिफाइनरी लगाने की इन्होंने पहली बार घोषणा की और फिर भूल गये। मार्च, 2010 में हम लोग इधर बैठे थे। इन्होंने बजट में घोषणा की, हम रिफाइनरी लगाएंगे, चलो, दो साल बाद सही। फिर 2011 में रिफाइनरी लगाने के लिए इन्होंने त्रिपाठी कमेटी बनाई। ये रिकार्ड पर है और फिर उसके बाद में त्रिपाठी कमेटी बनाने के बाद में इन्होंने 2012 के अन्दर एक साल बाद फिर एसपीपी भी बनाई, भूमि आवप्ति के लिए। मतलब चार वर्ष में रिफाइनरी लगाने का दावा करने वाली सरकार चार वर्ष और चार वर्ष का समय ये सिर्फ एसपीपी बनाने तक पहुंचे।

हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं बायतु में लिलामा जो जगह है। सभापति महोदय, वहां इन्होंने भू-राजस्व की धारा 4 और 6 के अन्दर 9665 एकड़ जमीन अवाप्त के लिए नोटिस जारी कर दिया। उसमें क्या खेल हुआ, क्या खेल नहीं हुआ, कौन लिप्त था, किस प्रकार बेनामी भूमि का विक्रय हुआ, कितने मामले दर्ज हुए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। पर उसके बाद में...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप जाना क्यों नहीं चाहते हो? नहीं-नहीं, अगर कोई गड़बड़ थी उसमें तो आप बताइये, पता चल जाएगा।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, जिनकी जमीन है, वो सब आपके दल के ही हैं, राजेन्द्र राठौड़ जी, इसका पता करो। एक तो लिलामा मेरा गांव है, जिन्होंने विरोध किया वो भी आपके दल में हैं। क्या खेल हुआ, किनके नाम की जमीन है, वो भी आपके दल में है। आप अपने गिरहबान में झांककर देख लो तो अपने आप सब जवाब मिल जाएंगे आपको। ठीक है न। उसके बाद तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने भी आरोप लगाये, उनकी जांच में क्या पाया, वो भी आप पता, सब चीजें पटल पर बता दो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हरीश जी, विराजो-विराजो। आप विराजो-विराजो।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): विराजने के लिए आए हैं, खड़े होने के लिए आए हैं। वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हरीश जी, निश्चित तौर पर हम अपने गिरहबान में बार-बार झांककर देखते हैं। एक ही बात निकलती है, हम सत्ता में नहीं हैं, जनादेश...

श्री सभापति: माननीय राठौड़ साहब, इधर-इधर..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमें जनादेश प्राप्त नहीं हुआ, हम आत्म विवेचन कर रहे हैं। किस प्रकार जनता को गुमराह करने का मौका, हमारे इस विकासशील सरकार के रहते हुए आपको मिल गया। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि ये जब बायतु की जगह पचपदरा में गई, ये कहें तो मैं वो तारीख भी बता दूंगा। उसमें रातों रात 4500 से ज्यादा रजिस्ट्री हुई। सब-रजिस्ट्रार के विरुद्ध मुकदमा बना, वह सस्पेंड हुआ। यह सब इनको पता होगा। मैं उस खेल के अन्दर भी चर्चा नहीं करना चाहता पर मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा 2013 के अन्दर जो एचपीसीएल के इंसेंटिव देने के लिए जो इन्होंने एमओयू किया। वो 15 वर्ष के लिए 3736 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ब्याज-मुक्त ऋण, यानी 56 हजार करोड़ रुपये देने की तय कर दी। प्रोजेक्ट कास्ट थी इसकी 37 हजार करोड़ रुपये, ये देश और दुनिया में पहला एमओयू था सभापति महोदय।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, ये भी है कि तेल की दरों के अनुपात में, उस समय तेल की दर थी एक सौ डालर प्रति बैरल और पांच साल बाद उसकी तेल की दर क्या थी, उसके अनुपात में पूरा कोट करो। अगर पूरा का पूरा कोट नहीं करोगे आधा कोट करोगे तो वो किस श्रेणी में आएगा, वो भी आप बताएं और उसके अन्दर पूरा का पूरा एमओयू पढ़ो आप। मेरे को पता है, इसलिए बोल रहा हूं हमीर सिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं कमजोर हूं, मैं निरीह हूं। मुझे बेचारा भी कह सकते हो, पर इतना बेचारा मत बनाओ कि सारा मंत्रिमण्डल मुझे अकेले को। मैं अकेला सभापति महोदय, ये निरीह इंसान, ये छह फुट दो इंच का गरीब आदमी...

श्री सभापति: आसन आपके साथ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या हो रहा है? सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

श्री सभापति: आसन आपके साथ है। आपके साथ आसन है। आप निश्चिंत होकर बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बस आपके ही दम पर मैं बात कर रहा हूं सभापति महोदय। तो यह देश और दुनिया में पहला एमओयू था सभापति महोदय। जिसमें प्रोजेक्ट कास्ट से 19 हजार रुपया ज्यादा देने की बात सरकार ने राजस्थान की जनता के धन को लुटाने के लिए की। यानी 48 सौ एकड़ जमीन अपनी, 28 एमएलडी जो आईजीएनपी से पानी मिल रहा वो अपना, क्रूड आयल अपना और हमारा हिस्सा 26 परसेंट तो ये इसलिए हो गया कि आपको शिलान्यास करवाना था। ये एचपीसीएल का प्रस्ताव आया 40 घन्टे के अन्दर-अन्दर बिना मूल्यांकन के उसको अनुमोदन कर दिया और 56 हजार 40 करोड़ का वित्तीय भार जो जनता पर ला दिया, इसका तकनीकी विश्लेषण इन्होंने कराया नहीं।

सभापति महोदय, अब बात यह आती है कि हमने उसको कहा कि हम इसको दुबारा दिखवाएंगे और ये जो कोड आफ कन्डक्ट लगने से 12 दिन पहले 22 सितम्बर, 2013 को आपने रिफाइनरी का शिलान्यास करवाया। मैं पूछना चाहता हूं उसमें रिफाइनरी के नाम से न कोई जमीन थी, न लीज का निष्पादन हुआ, न पर्यावरण की अनुमति थी। भाटा लगाना मेरी फितरत में है, मैंने लगा दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा री-अलोकेशन की जब हमने बात की, मैं अपनी बात कहूंगा तो लम्बी बात चली जाएगी। हमने स्टेट बैंक आफ इंडिया कैपिटल मार्केटिंग उससे तो वित्तीय आकलन करवाया इसका। नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च से एनसीएईआर आप तो भारत सरकार में रहे हो, इस संस्था को आप जानते होंगे। उससे इसका आर्थिक प्रभाव रिपोर्ट का मूल्यांकन करवाया और मैसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर से इसको कहा कि इस भाग के मूल्यांकन के आधार पर एक रिपोर्ट बनाकर दे। मैं उन लम्बी तारीखों पर नहीं जाऊंगा पर वो समय आ गया जब 9 फरवरी को इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार से हमारी सहमति बनी। अब आप कह रहे थे दोनों में अन्तर क्या? आप दे रहे थे इंट्रेस्ट फ्री लोन 15 साल के लिए 3 हजार 736 करोड़ रुपये प्रति वर्ष और अब जो एमओयू किया है न जिसको आपने यील्ड किया है उसमें है प्रतिपक्ष के नेता, 1123 करोड़ रुपये। फर्क देख लीजिये आप। राज्य सरकार पर वित्तीय भार इन्होंने दिया था 56 हजार 40 करोड़ रुपये और हमने दिया 16 हजार 845 करोड़ रुपये। यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चालीस हजार करोड़ रुपये की बचत नहीं है तो क्या है और मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने जो बात सदन में कही है अगर मेरी बात असत्य साबित हो तो सदन मुझे जो सज़ा देगा वो सज़ा लेने के लिए तैयार हूं। अब ये उस रिफाइनरी में हमने कमियां क्यों ढूंढी और कमियां ढूंढने के चक्कर में हमने विलम्ब किया। हमने राजस्थान के आवाम का चालीस हजार करोड़ रुपया बचाया, जो आप सिर्फ इसलिए देना चाहते थे...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने राजस्थान को पांच साल तक पीछे रख दिया। अगर उस वक्त रिफाइनरी तैयार हो जाती शुरू में ही तो आज राजस्थान की रेवेन्यू कितनी बढ़ती?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): जो अपराध किये हैं, वो बोलने से छुपने वाले नहीं हैं। पूरा राजस्थान जानता है जितने अपराध आपकी सरकार ने किये हैं न कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सब परेशान हैं। पूरा राजस्थान जानता है। ये आंकड़े असत्य पेश करने से यह नहीं होगा कि पांच साल के पाप धुल जाएंगे। पांच साल के पाप धुलने वाले नहीं हैं, सभापति जी। अब ये असत्य तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, असत्य आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने लेट इसलिए कर दिया और अभी इन्होंने यह भी कहा है कि इनके आंकड़े गलत हो जाएं तो सज़ा भुगतने को आप तैयार हैं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): इनको बोलने तो दीजिये। सच्चाई सामने आ रही है तो ये बिलकुल घबरा रहे हैं। इनको सच्चाई को सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आपने यह कहा है कि मैंने जो कहा है वो यदि गलत हो जाए...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैंने ये आंकड़े...एक मिनट।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति जी, आपने कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां, मैंने कहा है। आप विराजें तो सही।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आपने कहा है यह कि मैं यह सब सही कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): देखिये, सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य, गणित के अन्दर सप्लीमेंट्री आने का मतलब यह नहीं कि आंकड़े सही पेश नहीं कर सकते। मैंने कब कहा, और आपने डिस्टिंक्शन ली होगी।

श्री सभापति: माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि जो मैंने पेश किया है अगर यह गलत हो तो सदन के अन्दर आइन्दा बात रखूं तो मुझे टोक देना।

श्री सभापति: आगे बढ़ाएं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अभी आपने कहा था कि सज़ा दे देना। अभी आपने कहा था कि जो कहेंगे वो सज़ा भुगतूंगा और अब कह रहे हैं कि टोक देना। अभी यह कहा था कि यदि यह गलत हो, अब यह रिकार्ड पर आ गया है तो फिर इस पर आ जायेगी न बात कि कौन गलत है कौन सही है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): प्रताप सिंह जी, माननीय सदस्य के लिए टोकना भी एक सज़ा बराबर ही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज-11 के पैरा-26 की ओर दिलाना चाहता हूं। इन्होंने लिखा है कि गत सरकार द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बंद कर दिया इन्हें हम निर्णय लेकर पुन: प्रारम्भ कर रहे हैं। मैं उस तिथि की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि सारी बात स्पष्ट हो जाए। कई लोगों की फितरत है कई लोगों की आदतें हैं, बिना किसी मानव संसाधन के बिना जमीन के बिना संसाधनों के, बिना फैकल्टी के, कई महाविद्यालय खोले जाएं। मैं गलत हूं तो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्रीजी मुझे करेक्ट करेंगे शायद 37 ऐसे महाविद्यालय थे जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में आपको दहेज के रूप में, भेंट के रूप में मिले थे जो सिर्फ कागजों में थे। कहीं उसका अता-पता नहीं। उसी की तर्ज पर, यह हरिदेव जोशी जी हमारे मुख्य मंत्री रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं हम उनका सम्मान करते हैं। जंगे आजादी में उनकी कुर्बानी को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हम भूल नहीं सकते। उनके नाम से जो विश्वविद्यालय खोला अब यह विश्वविद्यालय कहां चल रहा था। यह विश्वविद्यालय चल रहा था सूचना केन्द्र उस सूचना केन्द्र में एक स्वतंत्रता सेनानी भवन है, उसमें चल रहा था। बड़ा अच्छा काम किया और इन्होंने 2012-13 में अपने बजट के पृष्ठ-52 के पैरा-144 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता जन संचार विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। आप बिल लेकर के आये। आपने तीन साल के लिए कुलपति पद पर सनी सेबिस्टियन जो पत्रकार थे, पत्रकारों से मित्रता रखनी भी चाहिए, आप क्या हम भी करते हैं आब्लाइज, उनको करना भी चाहिए, उनको कुलपति बनाया। कोई एतराज की बात नहीं है पर 2012-13 में आपकी सरकार थी। ये जो मैं कह रहा हूं आपने एक विश्वविद्यालय को बजट दिया वो 59 लाख रुपये दिया माननीय प्रतिपक्ष के नेता और जिसमें पन्द्रह लाख रुपये खर्च हुए। 2013-14 में फिर आपकी सरकार थी। मैं यह बात बोल रहा हूं माननीय रमेश जी, बिना आधार पर नहीं बोल रहा हूं। अगर मेरे आंकड़े कपोल-कल्पित हों तो मैं सदन को चुनौती दे रहा हूं। बहुत से लोग जो मेरे बाद में बोलेंगे।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय, सभापति महोदय, इनके पिछले समय में 32 विधायक एससी के जीते थे। ये बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं तो उनमें से एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाया क्या आपने? कितना सम्मान दिया आपने? अब क्या स्थिति है आपकी? तो बड़ी-बड़ी बातें करने से होगा क्या? ये कि आप मुख्य मंत्री के मित्र हो, आप अपनी बात करो। आपके पास बोलने के लिए है कुछ तो बताएं। बोलने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है। इधर-उधर दायें-बायें क्यों जा रहे हो आप? बात सीधी-सीधी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर करें।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राठौड़ साहब से पूछना चाहूंगा कि ये 46 महाविद्यालय पिछले 2013 में हमारी सरकार के द्वारा खोलकर जाने की बात कह रहे हैं। अब मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि इन्होंने जाते-जाते 2018 के मार्च से लेकर चुनाव तक कितने कालेज ऐसे खोले? ऐसे कितने कालेज खोले जहां जमीन नहीं थी, जहां बजट नहीं दिया, सिर्फ एक कमरे में, दो कमरे में या धर्मशाला में कालेज खोलकर के चले गये? इसका जवाब दें, मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, एक वो गाना है न, 'जो चला गया उसे भूल जा।' हम चले गये। सरकार हमारी नहीं है। अब आपकी सरकार है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, आप 2013 की बात कर रहे हैं। ये कई दर्जन कालेज खोल गये, जिनका कोई अता-पता ही नहीं है। ये एक लैक्चरर को लगाकर इन्होंने कालेज चालू कर दिया। उसमें एडमिशन कर दिया। न भवन है, न बजट है, कुछ भी नहीं।

श्री सभापति: प्लीज-प्लीज।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय भंवर सिंह जी, उच्च शिक्षा मंत्री आपके बीकानेर में ही लूणकरणसर में कालेज ऐसे ही खोल कर गये थे वो हमारी बीजेपी सरकार ने आकर 16 बीघा भूमि आबंटन करके एक साल के अन्दर तीन करोड़ की बिल्डिंग बनायी। हमारी सरकार ये काम कर सकती है। आप सिर्फ कागजों में काम करके जाते हो। वो हमारे सामने उदाहरण है आपके बीकानेर जिले का ही आपके समीप का उदाहरण है यह।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): डूंगरगढ़ के आपके विधायक थे। डूंगरगढ़ के कालेज का पता नहीं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): आपके लूणकरणसर से मंत्री थे, परिवहन मंत्री, गृह राज्य मंत्री उनकी बात कर रहे हैं हम।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मेरे खुद के कोलायत विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्रीजी आचार संहिता लगने से दो दिन पहले कालेज खोल करके जाती है। न उसका बजट है, न कुछ और है। जो कालेज हमने खोला था उसका कोई अता-पता नहीं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, विराजें आप। प्लीज-प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप मंत्री होकर नहीं खोल सकते। कम से कम आचार संहिता के दो दिन पहले ही खोली तो।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, हमारी सरकार इनकी तरह समीक्षा नहीं करायेगी। इन्होंने तो 46 कालेज पांच साल तक बंद रखे।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजें आप। माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं उस पैरा पर बात कर रहा हूं राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से जो इन्होंने कहलवाया, उसी विश्वविद्यालय की जो आज का प्रसंग है, जिस पर बहस हो रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पुराने समय में कौन सा विश्वविद्यालय खुला, नहीं खुला। कुछ न कुछ कमी रही होगी न कहीं न कहीं। इतराने से मतलब नहीं है, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस विश्वविद्यालय की बात आपने कही, यह रिकार्ड पर है। सभापति महोदय, 2013-14 में...।

श्री सभापति: और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कोई बात नहीं, मैं मेरे दल की तरफ से बोल रहा हूं। 2013-14 में जो इन्होंने बजट दिया वो 184 लाख और इनमें फैकल्टी में जो इन्होंने नियुक्ति दी वो 9 लोगों को और हम जब आये 2015-16 में कुल विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे 79 और ये जगतपुरा में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एक प्राइमरी स्कूल दिलाया था उसमें चल रहा था। हरिदेव जोशी के नाम पर अगर प्राइमरी स्कूल में पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोलते हो आप तो अच्छा रहता माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यायल, भोपाल में जाते आप। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय, रायपुर में जाते डेढ़-डेढ़ लाख लोग पढ़ रहे हैं, 79 विद्यार्थियों को लेकर विश्वविद्यालय चला रहे हैं। हमने आकर क्या गुनाह किया? हमने कांग्रेस के ताबूत को ठीक करने का काम किया। हमने राजस्थान का जो हमारा विश्वविद्यालय है जिस विश्वविद्यालय की कृपा से हम कई लोग यहां सदन में हैं, उस विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग का जो डिपार्टमेंट आफ जर्नलिज्म है, उसके साथ इसको अटैच कर दिया। अब हमने बंद कर दिया। आपने उस समय जमीन के आबंटन की बात की। दहमीकलां में जमीन आप दिला पाये? कुछ नहीं और आज इस बात को लेकर आलोचना कर रहे हैं। अब एक दूसरे विश्वविद्यालय की कहानी सुन लो आप। अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय है, चूंकि अम्बेडकर जी के नाम से वोट की फसल काटने में कोई सानी नहीं है। 2012-13 में आपने विश्वविद्यालय खोलने की बजट में घोषणा की। 23.8.2012 को आर्डिनेंस लेकर आये और 17.4.12 को भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय का विधेयक आपने पारित करवाया। आप इसमें देख लें। यह विश्वविद्यालय जब हम आये तो इसका प्रशासनिक भवन और यह पूरा विश्वविद्यालय चल रहा था 89, रायल हाउस, खवासजी का बाग़, दुर्गापुरा, जयपुर में। एक इंच जमीन नहीं। फैकल्टी के नाम पर एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अपाइंटमेंट नहीं एक विद्यार्थी पढ़ा नहीं और 15 लाख का आपने बजट दिया और आपने अंबेडकर जी के नाम से विश्वविद्यालय खोल दिया। (व्यवधान)

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): अंबेडकर जी के नाम से आप डर रहे थे इसलिए उसको बंद कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इसमें इन्होंने क्या किया 2013 में एक प्रोफेसर यू.सी. सांखला को वाइस चांसलर बना दिया। सांखला साहब के साथ 31.3.2015 तक चार आदमी काम कर रहे थे। एक छात्र का प्रवेश नहीं और पूरा विश्वविद्यालय चल रहा था 89, रायल हाउस, खवास जी बाग़, दुर्गापुरा, जयपुर में एक मकान में। ऐसे विश्वविद्यालय को बंद करके हमने गुनाह किया, यह आरोप आप लगा रहे हो।

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 11 के पैरा 27 की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक क्रांतिकारी फैसला राजस्थान की सरकार ने किया कि लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं है तो पंचायती राज में यह नियम क्यों लागू करें। पूर्ववर्ती सरकार ने यह गुनाह किया। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार में बैठे लोगों ने यह कैसे अंदाजा लगा लिया कि जो पढ़े लिखे हैं, वह तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके समर्थक हैं। जो अनपढ़ हैं, वह कांग्रेस के साथ हैं। सभापति महोदय, जब मैं इसे पूरा पढ़ता हूं तो मैंने देखा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंदर हम संशोधन लेकर आये। आपको मालूम है जो 73वां, 74वां संशोधन हुआ उसमें पंचायतों को और स्थानीय निकायों को फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ आटोनोमी देने की बात हुई। आज ग्राम पंचायत के खाते में, यहां बहुत से लोग हैं जो ग्राम पंचायत के रास्ते से इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आये हैं। एसएचई, टीएफसी, एफएससी का पैसा यह सीधा सरपंच ड्रा करता है। ड्राइंग डिस्बर्सिंग पावर सरपंच के पास आ गई और 5-7 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सरपंच के पास आता है। सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं एक-दो नहीं, हजार से ज्यादा सरपंच, प्रमुख और दूसरे लोगों को आज जांचों का सामना करना पड़ रहा है। पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उनके ऊपर वित्तीय अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। एक प्रोग्रेसिव कानून को राजनीतिक चश्मे से देखकर उसको मौत के घाट उतारकर बहुत बड़ी वाहवाही लेना चाहते हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

न्यूनतम योग्यता थी ही कितनी? जिला पंचायत समिति के सदस्य के लिये 10वीं तक की और अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच की 5वीं तक की। सभापति महोदय, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, परिणाम क्या निकला, जो 2015 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए उसमें कुल मिलाकर जिला परिषद, पंचायत समिति के सरपंच 960 सरपंच ऐसे थे जो पीजी थे। 3099 सरपंच और जिला परिषद के सदस्य ऐसे थे, जो ग्रेजुएट थे। 2250 ऐसे थे, जो 12वीं कक्षा से ज्यादा उत्तीर्ण थे और 5565 ऐसे थे, जो 10वीं थे। अब अंगूठा टेक को ले आये और हमें कह रहे हैं कि हमने बड़ा गुनाह कर दिया। आज पहली बार मैं देख रहा हूं हम अपने समर्थकों को भी शिक्षित और अशिक्षित, पढ़ा लिखा और अनपढ़ के रूप में बांट रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपके मन में गुमान होगा कि राजस्थान में आप जिस प्रकार का अपमान कर रहे हैं, इसको करके आप कोई लंबा चौड़ा तीर मार लेंगे।

सभापति महोदय, यहां आर्थिक दृष्टि से कुछ आरोप हमारे ऊपर लगाये। यह कहा कि हमारे समय में आर्थिक वृद्धि दर कम थी। प्रति व्यक्ति आय भी कम हो गई। कृषि विकास दर भी कम हो गई और राज्य पर कुल ऋण का दायित्व भी बढ़ गया। आर्थिक कुप्रबंधन और अदूरदर्शी नीति हमारी बताई। मैं समझता हूं कि हम राजनीतिक उद्देश्य के साथ पूर्ववर्ती सरकार को नीचा दिखाने की दृष्टि से राजस्थान की तस्वीर देश और दुनिया में अगर यह प्रस्तुत करेंगे कि राजस्थान कंगाल है, खुशहाली का प्रतीक प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की कम है, राजस्थान की विकास दर कम है, हम कौनसी उजली तस्वीर राजस्थान की प्रस्तुत कर रहे हैं? कौन आयेगा राजस्थान में? सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो 2008-13 के बीच जो कालखंड रहा, मेरा सोर्स है आर्थिक समीक्षा 2017-18, जो सरकार का डाक्यूमेंट है। आप उसको उठाकर देख लें उसमें 2008-13 के बीच हमारी जो कुल औसत विकास दर रही, जिसको अंकित किया है आर्थिक समीक्षा 2010-11 में और 2012-13 में है, वह है 6.5 प्रतिशत। जो हमारी रही जिसको अंकित किया है, आर्थिक समीक्षा 2017-18 में पेज एक पर, वह है 7.15 प्रतिशत। किस आधार पर आपने कह दिया कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने विकास की दृष्टि से राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया। सभापति महोदय, दूसरा इंडिकेटर है जो आमजन की खुशहाली के साथ जुड़ा है, प्रति व्यक्ति आय किस प्रदेश में कितनी है, उसकी भी बात आपने कही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुकूमत थी, वही कालखंड 2008 से 2013 तक और जिसका उल्लेख मैंने नहीं किया, आपके आर्थिक समीक्षा 2010-11 के पेज नंबर एक में है, 2012-13 में है, वह थी 26227 रुपये। माननीय नेता प्रतिपक्ष, जो हमारे समय में थी वह थी 68368 रुपये। यानी किस आधार पर आपने कह दिया, महामहिम के श्रीमुख से कैसे कहलवा लिया कि राजस्थान विकास की दौड़ में पीछे चला गया, राजस्थान खुशहाली की दौड़ में पीछे चला गया। अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें, 2007 से 2012 तक आपने कुल खर्च किया 4295 रुपये और हमने किये 17736, 490 गुणा ज्यादा। कृषि पर देख लें। मैं कहता हूं कि अगर आप इन सब बातों को देखें तो हमने इस राजस्थान के माथे से पिछड़ेपन का कलंक हटाकर राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने का काम किया। इन्होंने कहा कि आपने कर्ज बहुत ज्यादा छोड़ दिया 3 लाख 22 हजार 336, मुझे बता दो कि कौनसा कालखंड है सरकार की अदला बदली में ...

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो यह बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि इनके समय में उदय योजना के माध्यम से बिजली कंपनियों ने 62421 करोड़ का जो टेक ओवर कर्ज लिया था, अब उन बिजली कंपनियों की क्या हालत है? भ्रष्टाचार की वजह से कितना कर्ज बढ़ गया है, कितना घाटा हो गया है, उसका भी जवाब दे दें अगर आपको जानकारी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): चलो आपने एक बात तो स्वीकार की कि उदय योजना के माध्यम से हमने बिजली कंपनियों को आर्थिक स्वायत्तता देने के 62 हजार करोड़ से ज्यादा ....

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह बताइये कि कितना घाटा बढ़ गया आपके भ्रष्टाचार की वजह से, वो पूछ रहा हूं, वह बताएं मुझे।

श्री सभापति: बैठिए आप, यह कोई वाद-विवाद का विषय नहीं है। Let him conclude.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर घाटा बढ़ा है और अगर उसमें भ्रष्टाचार है तो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो, किसने आपके आकर हाथ जोड़े कि आप जांच मत कराओ, कराओ न। अगर हिम्मत है तो कराओ जांच।

श्री सभापति: माननीय राठौड साहब, इधर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बेबुनियाद बात खड़ी करना, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नही है, वह काम कर रहे हैं। आपने सही पकड़ा, मैं निवेदन करना चाहूंगा उदय योजना में हमने बिजली कंपनियों को स्वायत्तता देने की बात की। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को बिना आंदोलन किये हमने उनको वेतन दिया। इन सबके कारण यह कर्जा बढ़ा। आपने सार्वजनिक तौर पर कहा कि राजस्थान की सरकार को हम कंगाल करके चले गये और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम राजस्थान के किसान का कर्जा माफ करेंगे। यह 99995 करोड़ रुपया आप कहां से दोगे, इसका कोई रोड मैप नहीं। आप इस आड़ में कि हमने राजस्थान को कर्जे में डुबो दिया, हमने डुबो दिया उसका गुनाह हमने किया, हम भुगतेंगे, पर आप बताओ आपने घोषणा पत्र में जो बात कही, उसको आप किस प्रकार पूरा करेंगे, इसके बारे में आप बताते तो बहुत अच्छा रहता।

सभापति महोदय, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा और एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, आपने अभिभाषण के पेज 22 के पैरा 51 कहा कि हम खाद्य सुरक्षा योजना में सभी वर्गों को शत प्रतिशत शामिल करेंगे। सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया था सभापति महोदय, राइट टू एजुकेशन, आप जानते हैं, उसी तर्ज पर राइट टू फूड का एक फैसला आया था और उसमें देश में खाद्य सुरक्षा एक्ट आया था 2013 में। इसको लोक सभा ने पारित किया, इसको राज्य सभा ने पारित किया। उसके मापदंड तय किये कि 22 श्रेणी के लोग इस खाद्य सुरक्षा में आयेंगे और 6 ऐसी श्रेणियां जो इसमें आ नहीं सकतीं, प्रतिबंधित हैं। उनका जिक्र किया, वह सारा लिखा पड़ा है। उसमें यह तय किया गया कि अब ग्रामीण क्षेत्र में 69 परसेंट और शहरी क्षेत्र में 53 परसेंट। अब आपको भारत सरकार के कानून को बदलने का अधिकार कब किसने दे दिया? यह मेरी समझ के परे है। कोई भी कपोल कल्पित बात करो और आप कर दोगे। मंत्री महोदय ने बयान दिया कि हम एक रुपये में एक किलो गेहूं सभी लोगों को देंगे, इसका स्वागत है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कब दोगे, कैसे दोगे? इसका कितना वित्तीय भार पड़ेगा, इसका कोई रोड मैप नहीं है। मैं समझता हूं कि गरीब के साथ मजाक करने के लिये, गरीब के वोट की फसल काटने के लिये इस बयानबाजी, जुमलेबाजी का..।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इन्होंने यह लिखा है कि एक रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करायेंगे। मेरे को तारीख बता देना, सदन के नेता से जवाब भी दिलवा देना। जब आप इन सारी बातों को कहेंगे तो आप इस बात को कह दें।

इन्होंने एक बात और कही है, बजरी के अवैध खनन की। सभापति महोदय, इसका उल्लेख इन्होंने पृष्ठ 27 पैरा 26 में किया है। सभापति महोदय, एक एक्ट बना हुआ है। आर.एस.एम.एम.सी.आर. एक्ट-1986 है, इसमें पहले बजरी के खनन का कोई प्रावधान नहीं था। रायल्टी दो, टी.पी. लो और कहीं से भी खोदो और जाओ। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया। दीपक कुमार बनाम हरियाणा एक केस है, उसमें 27.12.2012 को जब आप सत्ता में थे, उसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कहा कि बजरी की बेतहाशा खनन से गम्भीर अनियमितता और पर्यावरण की अनदेखी होने के कारण छह महीने के अंदर-अंदर आप लीज के आधार पर बजरी के खनन का आबंटन करें और इसके पर्यावरण की एनओसी भी जरूर होनी चाहिए, इस तरह का किया। छह महीने की अवधिपार हो गयी। आपने नहीं किया। फिर अक्टूबर, 2013 में इसी कांग्रेस पार्टी के शासन में पहली बार राजस्थान में तहसील स्तर पर बड़ी-बड़ी कई किलोमीटर की लीजें जारी करने का काम किया, 82 एनओए जारी करने का काम, मैं तारीख बता रहा हूं। 25.11.2013 को यह हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा रहे हो।

सभापति महोदय, अभी जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक के अंदर हमारे देश के व्यापारियों को, जिसमें राजस्थान के व्यापारी भी हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख किया और कम्पोजिट स्कीम में सालाना ट्रांसफर भी एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ किया। कम से कम उसकी तो प्रशंसा कर देते। केन्द्र सरकार भी यही सरकार है। हमारा फैडरल सिस्टम है, हम इसी के भागी हैं। आज भारत सरकार सारे भारतवासियों की है। हम भारत सरकार से हर एक मामले में...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इस मुबारकबाद की हकदार राजस्थान सरकार भी है। हमारा ही प्रस्ताव था कि कम्पोजिट स्कीम में एक से डेढ़ करोड़ रुपया किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सदन के नेता, माननीय सुखाड़िया जी और भैरोंसिंह जी के बाद पहले वे शख्स हैं, जो मुख्य मंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। हमें उम्मीद थी कि एक मजबूत मुख्य मंत्री राजस्थान को मिलेगा, पर लगता यह है कि जाने क्या मजबूरी रही होगी।

श्री सभापति: पूरी मजबूती है, आप चिंता मत करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपको क्या पता। अब तो आप विक्रमादित्य के आसन पर विराजे हैं।

श्री सभापति: इतनी परख तो मुझे है मजबूर कौन है, मजबूत कौन है। मजबूत है, आप चिंता मत करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अभी मैं उप मुख्य मंत्री जी का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा एक जादूगर नहीं, दो जादूगर हैं। मैं देख भी रहा था। हम सत्ता में थे। उप मुख्य मंत्री महोदय के दौरे दनादन होते थे। जितनी मेहनत उन्होंने की और हमारे खिलाफ उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, पर सभापति महोदय कोई किस्मत वाला होता है। इस सदन के अंदर पूर्व मुख्य मंत्रीजी की, पिछले पांच साल में सिर्फ शपथ लेने के सिवा तीन लाइन मुझे दिखा दो। तीन लाइनें भी नहीं मिलेंगी।

श्री सभापति: यही तो जादू है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): किसी भी एक आंदोलन की अगुवाई की हो तो मुझे बता दो। राजस्थान के अंदर जो सदन में बिलकुल भी नहीं बोला उनका नाम अशोक जी। जो राजस्थान के किसी हिस्से में नहीं गया, उनका नाम अशोक जी। जिन्होंने किसी आंदोलन की अगुवाई नहीं की, उनका नाम अशोक जी।

श्री सभापति: यह जादूगरी आपके समझ में नहीं आएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आज राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का नाम भी अशोक जी, पर नौजवान जब अंगड़ाई लेगा न।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम में कहना चाहूंगा कि वे साढ़े चार साल तक लंदन नहीं गये थे। वे राजस्थान में ही थे, पूरे देश में ही थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे वह वक्त याद आ रहा है, जब कांग्रेस पार्टी का निशान दो बैलों की जोड़ी थी। सभापति महोदय, आप तो किसान हो। जब एक बैल इधर खिंचता है और एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उधर खिंचता है तो जोड़ा टूटता है। इस सरकार का जोड़ा टूटेगा। यह भ्रम भी टूटेगा और लोक सभा के चुनाव में हम बता देंगे कि झूठ के आधार पर, असत्य के आधार पर लोगों को भ्रमित करने के आधार पर, झूठे घोषणा-पत्र के आधार पर जो सत्ता में आये हैं। एक लड़ाई और बाकी है, उसमें राजस्थान का आवाम तय कर देगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री दानिश अबरार।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा और मैं कृतज्ञ हूं। सबसे पहले राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का जो 15वीं विधान सभा में अभिभाषण हुआ, उसका मैं आभारी हूं, साथ में, सभापति महोदय, मैं आपका भी आभारी हूं कि आज इस सदन में पहली बार विधायक बनकर आया हूं और आपने बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूं। साथ में, मैं मेरी पार्टी का भी आभारी हूं, जिसने मुझे पहले सत्र में बोलने का अवसर दिया। मैं, मेरी पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं। .

सभापति महोदय, राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रदेश के लिये एक मार्गदर्शक होता है। प्रदेश की दशा पर सदन में चर्चा होती है और हम प्रदेश की दिशा को नियंत्रित करते हैं, इस सदन में अभिभाषण पर चर्चा करके। सभापति महोदय, मैं राठौड़ साहब का बहुत सम्मान करता हूं। अभी मेरे से पूर्व पिछली सरकार की बात हो रही थी। सभापति महोदय, यह सच है कि आज जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला है। यह सच है कि आज जनादेश हमें मिला है, लेकिन पिछली सरकार इस प्रदेश से गयी भी है और मैं समझता हूं कि जो पिछली सरकार इस प्रदेश से गयी तो कहीं न कहीं संवाद की कमी रही थी। जनता और सरकार के बीच संवाद की कमी रही थी। मैं तो खैर पहली बार आया हूं, लेकिन मैं अखबारों के माध्यम से यह भी पढ़ता था कि कहीं न कहीं विधायक और सरकार के बीच में भी संवाद की कमी रहती थी। सभापति महोदय, आज हमारी सरकार आयी। अभी बड़ी चिंता हो रही थी, मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री की। लेकिन सभापति महोदय, अगर इस संवाद की कमी को दूर किया है तो इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और इस कांग्रेस पार्टी ने किया था, क्योंकि हमारा जो मेनिफेस्टो बना, हमारा मेनिफेस्टो किसी बंद

(श्री दानिश अबरार)

कमरे या किसी हाल के अंदर नहीं बना। हमारा मेनिफेस्टो जो इस बार बना है, वह ओपन, आनलाइन प्लेटफार्म से बना है और उसमें पूरे राजस्थान के हर नागरिक ने उसमें अपना सुझाव दिया है, उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी का मेनिफेस्टो बना है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): किसानों की बात तो करो ...(व्यवधान) भूलो मत उसको।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): उस पर भी आ रहा हूं। आया पहली बार हूं, बोलना जानता हूं। सभापति महोदय, आज हमारी सरकार का एक महीना और एक दिन हुआ है। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात की खुशी है कि इस एक महीने और एक दिन की सरकार ने सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी का निर्णय लिया। उसके बाद वृद्ध पेंशन को पांच सौ रुपये से साढ़े सात सौ रुपये पहुंचायी। उसके बाद संविदाकर्मियों के लिए कमेटी बनायी और आप जिस रैली की बात कर रहे थे। मुझे इस बात का भी गर्व है कि उस रैली के अंदर किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन जिसका दाम पूरे पांच साल नहीं बढ़ेगा, इसकी घोषणा की। उसके साढ़े 12 हजार करोड़ रुपये का हमारी सरकार ने लेना तय किया है और एक लाख किसानों के नए कनेक्शन जून, 2019 तक मिल जाएंगे। इसकी भी घोषणा हमारी सरकार ने की है। सभापति महोदय, मैं सुन रहा था। मेरा विधान सभा में एक दिन का एक्सपीरियंस है। अभिभाषण की किताब का काफी जिक्र हो रहा था। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज नंबर 8 के बिंदु नंबर 2 को मैं एक मिनट के लिये पढ़ना चाहूंगा। इसमें कहा गया है 'गाय का हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है। इसे ध्यान में रखते हुए गोशालाओं में शेड, पेयजल एवं चारे के साथ ही चिकित्सा के लिए समुचित कार्यवाही की जाएगी।

सभापति महोदय, यह बात दर्शाती है कि आज हमारी सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी संवेदनशील है और इसको लेकर हमारी सरकार ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति निराश्रित गाय को गोद लेगा, 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के दिन उसको सम्मानित किया जाएगा। यह घोषणा हमारी सरकार ने की है। इस मुद्दे को लेकर मैं पिछली सरकार के ऊपर आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा। मैं विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर से आता हूं और मेरा

(श्री दानिश अबरार)

जिला भी सवाईमाधोपुर है। सभापति महोदय, मई 2016, मैं सामने बैठे हुए साथियों को याद दिलाना चाहूंगा, मई 2016 के अंदर सवाईमाधोपुर जिले में एक कोचर गांव है, जहां रोजाना 20 से 40 गायें मर रही थीं। मजे की बात यह थी कि पिछली सरकार में इतिहास में पहली बार गोपालन मंत्री भी बना और गोपालन मंत्रालय भी बना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब 20 से 40 गायें रोज मर रही थीं, कोई सुध लेने भी नहीं गया। अगर कोई सुध लेने गया तो कांग्रेस पार्टी गयी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी वहां पर गये। यहीं बात खतम नहीं होती। जब सुध लेने हम पहुंचे, मेरे साथ बैठी विधायक इन्द्रा मीणा जी वहां पहुंचीं, मैं स्वयं वहां पहुंचा, हमने अध्यक्ष जी को सूचित किया। पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पहुंची, राजेन्द्र चौधरी जी वहां पहुंचे। वह भी आपकी ही नाम राशि के हैं। जब वहां पर सुध ले ली गई, 1 मई को हम वहां पहुंचे, मैं तारीख-वाइज बता रहा हूं क्योंकि आपने भी काफी आंकड़े बताए थे तो मैं भी सोच रहा हूं कि आंकड़े खुलकर के बताऊं। 5 मई, 2016 को एक गलत और झूठी घोषणा की गई कि एक करोड़ रुपया कोचर गांव को दिया जाता है। 5 मई की घोषणा के बाद जब 15 दिन तक वहां पर संघर्ष चलता रहा तब 20 मई के दिन, 15 दिन बाद जहां डेली 20 से 40 गायें मर रही थीं, वह एक करोड़ की घोषणा 60 लाख के बजट के रूप में पहुंचती है। उसके बाद उस 60 लाख रुपए को भी 3 जिलों में बांट दिया जाता है - 20 लाख रुपए करौली, 20 लाख रुपए दौसा और 20 लाख रुपए सवाई माधोपुर। लेकिन इस गोपालन मंत्रालय और गोपालन मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि यह बात जब सबको पता चल गयी कि वहां पर ऐसा हुआ तो आप झूठी घोषणा देखिये, एक करोड़ की घोषणा, 60 लाख रुपया पहुंचा, 20 लाख रुपया बंटा और एक महीने पश्चात 18 जून, 2016 को क्या कहा गया, यह शर्मसार होने वाली बात है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, आपकी सरकार ने कहा, गोपालन विभाग के निदेशक डा. शैलेष शर्मा ने सोमवार को मीडिया में बयान जारी किया कि कोचर डूंगर में मृत पशुओं का चिकित्सा परीक्षण करने पर पाया गया कि पशुओं की मृत्यु पोलिथीन खाने से हो रही है।

सभापति महोदय, इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में महामहिम महोदय ने पेज नंबर 10, पाइंट नंबर 24 पर संविदाकर्मियों एवं कार्मिकों की समस्याओं के समाधान हेतु विगत 6 माह में गत सरकार द्वारा किये गये

(श्री दानिश अबरार)

निर्णयों पर समीक्षा के लिए कहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सदन पटल पर लाना चाहूंगा। इन संविदाकर्मियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, पिछली सरकार ने अपने ही मेनिफेस्टो के पेज नंबर 37 पाइंट नंबर 12 कर्मचारी कल्याण के बिंदु नंबर 5 पर सारे पैराटीचर्स और संविदाकर्मियों का नियमन करने का वादा किया था। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, पेज नंबर 37, बिंदु नंबर 12, उसका सब-पाइंट नंबर 5, वादा किया था। अरुण चतुर्वेदी जी इसके मंत्री थे। मैं स्वयं इन पैराटीचर्स के लिए 15 हजार गुलाब के फूल लेकर मंत्री जी के घर पहुंचा था। जब चार साल पूरे हो गये थे, मंत्रीजी आपने अपने मेनिफेस्टो में जो वादा किया है, आपको ऐसे तो याद नहीं आ रही क्योंकि सत्ता के नशे में चूर थे, क्या पता इन गुलाबों की खुशबू से आपको किया हुआ वादा याद आ जाये? लेकिन अफसोस की बात है पूरे पांच साल निकल गये और वह पैराटीचर्स चाहे मदरसा के थे, चाहे राजीव गांधी पाठशाला के थे, सब के सब पैराटीचर्स जिस हालात में थे आज भी उसी हालात में पड़े हुये हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आपकी तो सरकार बनते ही लोग धरने पर बैठ रहे हैं। उनकी भी तो चिंता करो।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): अभी तो बनी ही है महोदय, मैंने तो आपको आपका ही वादा याद दिलाया है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): उनके लिए भी बोलो थोड़ा-सा। सरकार बने हुए 3 घंटे नहीं हुए हैं, लोग धरना दे रहे हैं। 24 घंटे से लोग धरना दे रहे हैं। धरने वालों को उठा दिया। 10 हजार रुपए किराये पर देकर वे टेंट हाउस में धरना दे रहे हैं। उनको भी उठाकर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हर बार बीच-बीच में नहीं उठे आप, प्लीज। मेरा आपसे आग्रह है पहली बार जो लोग आये हैं, उनको बोलने दें, उनको अवसर दें।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सभापति महोदय, चूंकि विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर से आता हूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र के ठीक बीचों-बीच से बनास नदी जाती है और बजरी खनन का इस अभिभाषण में जिक्र है तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पेज नंबर 27 के बिंदु नंबर 66 पर, जिसके अंदर लिखा है कि 'विगत वर्षों में अवैध बजरी खनन से आम जनता को जिस परेशानी का सामना करना पड़ा, उसे हल करने के प्रयास किये जायेंगे।'

(श्री दानिश अबरार)

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, हमारे यातायात मंत्रीजी भी यहां मौजूद हैं, जो पिछली सरकार थी उस सरकार में बजरी खनन का जो मसला था, हमारे यातायात मंत्रीजी खाचरियावास जी यहां मौजूद हैं, बजरी खनन सवाईमाधोपुर के अंदर होता है लेकिन पिछली सरकार ने, एक हाई कोर्ट का आर्डर आया था जिसका हमने स्वागत किया और हाई कोर्ट के आर्डर का मैं एक अंश पढ़ूंगा -

"The police, mining and transport department should work in coordination to seize those vehicles which are not having registration numbers or permission for the commercial use. If the vehicles are used for commercial purposes without its registration, for that purpose or it is not having registration should be seized by the police and transport department."

सभापति महोदय, इस आर्डर की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे सवाईमाधोपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, जितने भी ट्रैक्टर-ट्रोलियां गरीब किसानों के पास थे, आज एक गरीब किसान अपनी फसल के ऊपर निर्भर रहता है। जब उसकी फसल खड़ी होती है या नहीं होती तो अपने टैक्टर-ट्रोली के माध्यम से कोई मिट्टी ले जाता है, कोई बजरी ले जाता है, कोई गिट्टी ले जाता है और अपना जीवन-यापन करता है। इस कानून की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थानों के अंदर अधिकारियों और मुजरिमों दोनों का हम योग कर लें, इतने वहां पर लोग नहीं होते थे, उससे ज्यादा ट्रैक्टर-ट्रोलियां थानों के अंदर बंद कर रखे थे, क्योंकि इन्होंने गुमराह किया कि हाई कोर्ट का आदेश है। लेकिन जब इसका अवलोकन किया और मैंने स्वयं ने यह कापी निकलवाई तो पता चला कि मुद्दा सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर का था और इस मुद्दे को लेकर खाचरियावास जी ने, हमारे सवाईमाधोपुर के नेताओं ने हमने एक आंदोलन किया और यह आंदोलन कम से कम 25 दिन वहां पर चला और वहां से जो चिंगारी लगी थी, पूरे राजस्थान में फैली। उसके बाद जब तीन महीने तक ये ट्रैक्टर-ट्रोलियां थानों में बंद रहे, तब जाकर राजस्थान सरकार जागी। किसान के ऊपर अगर इन ट्रैक्टर-ट्रोलियों का कामर्शियल रजिस्ट्रेशन कराते तो उसके लिए 9 परसेंट का, 14 जुलाई, 2014 को राजस्थान सरकार ने आदेश दिये थे कि किसी को भी रजिस्टर्ड अगर कराना है तो 9 परसेंट टैक्स लगेगा। साहब, एक गरीब किसान के ऊपर 9

(श्री दानिश अबरार)

परसेंट का ट्रैक्टर-ट्रोली का टैक्स का भार डाल रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इसका आंदोलन किया था कि अगर हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको कामर्शियल रजिस्टर्ड कराया जाये तो हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन सरकार को किसान की मदद करनी चाहिए कि 9 परसेंट का भार उनके ऊपर से हटाया जाये। यह आंदोलन तीन महीने तक हम सबने मिलकर राजस्थान में किया। उसके बाद जाकर सरकार जगी थी और सरकार ने अपने बजट के अंदर इस 9 परसेंट का टैक्स घटाकर एक परसेंट किया था।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): धन्यवाद तो देते।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सभापति महोदय, हमने मांग जीरो परसेंट रखी थी। मैं हमारी सरकार में भी यह कोशिश करुंगा कि किसान की ट्रैक्टर-ट्रोली का एक परसेंट भी माफ किया जाये। धन्यवाद मैं आपको तब देता जब आप तीन महीने के अंदर जिन किसानों के ट्रैक्टर-ट्रोली थानों में बंद पड़े थे, आप उनके बारे में मदद करते और उनकी सोचते। अभी मैंने यहां कुछ बाते सुनीं कि लोकतंत्र परिपक्व हो गया है, रिकार्ड वोट मिले हैं और कुछ परसन्टेज के भी आंकड़े सुने। मैं कहना चाहूंगा कि मैं सबका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन कई बार इन परसन्टेज के आंकड़ों में हम हमारी बुनियादी बात भूल जाते हैं।

यह सच है कि रिकार्ड वोट मिले हैं, यह सच है कि हम परिपक्व हो गए, लेकिन यह भी सच है कि अगर मैं अपने सवाईमाधोपुर विधान की बात करूं तो सभापति महोदय जब से देश आजाद हुआ है उस आजादी के दिन से आज तक कभी भी किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को 86 हजार वोट नहीं मिले हैं जिन रिकार्ड वोट से सवाईमाधोपुर की जनता ने जनादेश देकर हमको यहां भेजा है।

सभापति महोदय, मैं यहां बाते सुन रहा था, विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के माननीय विधायकों को, नेताओं को काफी फिक्र हो रही थी दो जादूगरों की। मैं यह कहना चाहूंगा कि दो जादूगरों की चिंता आप करना छोड़ दो, ...(व्यवधान) तीसरा, चौथा, पांचवां नहीं यहां कांग्रेस में जितने बैठे हैं आप चाहो तो सारे ही जादूगर हैं। दिलावर साहब, मैं आपको माननीय पिता तुल्य मानता हूं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप फिक्र छोड़ दीजिए कि हमारा मुख्य मंत्री-उप मुख्य मंत्री कौन है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं

(श्री दानिश अबरार)

कि कांग्रेस पार्टी में मुख्य मंत्री कौन बनता है इसका फैसला हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी करता है और यह जादूगरी से नहीं। (व्यवधान) एक बड़ी मजेदार बात मैंने सुनी थी कि आप एक मिनी बस की सवारी थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात रखें।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): आखिरी बात कह रहा हूं। बड़ी मजेदार बात मैंने अभी सुनी, चर्चा पर चर्चा हो रही थी कि आप एक मिनी बस की सवारी रह गए थे। साहब, हम चाहे मिनी बस की सवारी थे, या बस की थे, या गाड़ी की थे, या स्कूटर की थे, या हम पैदल चल रहे थे इसका जवाब एक शेर के नजरिये में देता हूं।

नादां हैं वे लोग जो गुरूर करते हैं।
हुजूर अगर हम चढ़ता सूरज देखते हैं,
हम हर रोज ढलता सूरज भी देखते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: दुबारा।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): दुबारा नहीं, आप कहो तो मैं आपको लिखकर पहुंचा दूं, आप रोज सुबह शाम पढ़ लेना।

जहां तक बची बात कर्मो की, मैं एक और बात कहकर अपनी बात पूरी करता हूं। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब सिर्फ हाथ में लकीरें देता है लेकिन इनमें रंग हम लोगों को खुद को भरना पड़ता है।

सभापति जी, आपने पहली बार मुझे बोलने का अवसर दिया इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय सदस्यों का, विधायकों का और सामने बैठे सथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने बात सुनी इसका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहत आभार।

श्री सभापति: श्री अभिनेष महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) बहुत साथ थे, बहुत साथ काम किया लेकिन आपने अन्याय किया और उसका परिणाम है कि हम आमने सामने हैं।

माननीय सभापति महोदय, महेश जोशी जी बहुत लाड़ प्यार रखते थे...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, कांग्रेस ने ...(व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): लेकिन यह आलाकमान के इशारे पर चुप हो जाया करते थे ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): कांग्रेस ने ...(व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): अब बोलने दो छोटे भाई को, आप बैठ जाएं। आप बैठ जाइये, छोटे भाई का बोलने दीजिए। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आप जरूर बोलिए, मैं राठौड़ साहब के लिए जरा कुछ बोल दूं।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, जो नम्बर आप लेना चाहते हैं वह नम्बर आपको अभी नहीं मिलेगा।

श्री सभापति: बोलने दीजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): प्लीज आप बैठ जाइये। आपको अभी नम्बर नहीं मिलेगा। मैं पहली बार जरूर आया हूं लेकिन आप लोगों ने इतना घिस दिया था कि मैं पारस बनकर निकला हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) सब बता दूंगा, सब जानता हूं इनकी मैं। यदि पोल खुलवानी हो तो माननीय मुझे मौका दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी अभिभाषण पर बोलिए आप।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मेरी सदन से व्यवस्था की एक रिक्वैस्ट है कि जो मैम्बर्स मेडन स्पीच दे रहे हैं, वे सत्ता के हों या विपक्ष के हों, उनको नहीं टोका जाए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): yes, you are right. माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आप लोगों का, माननीय सभापति महोदय का धन्यवाद देता हूं, मेरे नेता प्रतिपक्ष और उप नेता का धन्यवाद देता हूं कि मुझे प्रथम बार आने के बाद भी पहले सदन में, पहले सत्र में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

मैंने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय श्री कल्याण सिंह जी का अभिभाषण पढ़ा। अभिभाषण पढ़ने के बाद इसमें पढ़ने जैसा मुझे कुछ नहीं मिला। सरकार की क्या मंशा है, सरकार ने क्या सोचा है इस प्रदेश के विकास के लिए, कोई मंशा स्पष्ट नहीं है, नीति स्पष्ट नहीं है, लुंज-पुंज एक कपोल

(श्री अभिनेश महर्षि)

कल्पित भाषा के अंदर यह एक दस्तावेज माननीय कल्याण सिंह जी के मुख द्वारा हमारे बीच में भेज दिया गया है। अभी राजेन्द्र जी राठौड साहब कह रहे थे तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री महोदय बीच में बार-बार उठकर बोल रहे थे। जब उनकी दुखती रग के ऊपर हम प्रहार कर रहे थे, उस वक्त वह बार-बार बोल रहे थे।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किसानों के कर्जा माफी की जब बात की, वह इस सदन के अंदर गलत बयान कर गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने दस दिन के अंदर कर्जा माफी की बात नहीं कही। उन्होंने यह कहा कि हम कर्जा माफी करेंगे। जबकि राहुल गांधी जी ने एक, दो, तीन, चार, पांच और दस कहा और बोले कि कर्जा माफ। सदन के नेता जब इस तरह की कपोल कल्पित बातें करेंगे तो हम किससे उम्मीद करेंगे कि वह यहां सत्य बोलेगा। उसके बाद जब हमने वैल में आकर इस डिमांड को आपके माध्यम से जनता के बीच पहुंचाने की बात की तो माननीय नेता जी, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, माननीय संसदीय मंत्री जी, तमाम लोग यहां से उठकर चले गए। अभी राजेन्द्र जी राठौड़ साहब बात कह रहे थे कि यह सदन है इसके अंदर, देखिए सामने क्या स्थिति है सरकार की, सरकार तो यहां नहीं है, परसादी लाल जी भाई साहब बैठे हैं बाकी तो सरकार चली गई यहां से।

श्री सभापति: सरकार यहीं पर है, आप बोलिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, विनम्र शब्दों के साथ आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, उन्हीं कुओं का पानी मैंने पिया है, आप वर्तमान में सभापति हैं, आप +++ कार्यवाही नहीं करें। जब राजेन्द्र राठौड़ जी इधर देखकर बात करते हैं तो आप बार-बार टोकते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी मेहरबानी होगी आप सीधे-सीधे अभिभाषण पर रहें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: बोलिए, आप अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं लेकिन श्रीमान मेरा निवेदन सुनिए।

श्री सभापति: +++ इस तरह की बातें नहीं करें आप। +++ और इस तरह की बातें अच्छा नहीं लगता। मेरा आपसे आग्रह है, आप पहली बार आए हैं।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, मैं अभिभाषण पर ही बात कर रहा हूं

श्री सभापति: प्लीज-प्लीज, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। आप सीधे-सीधे अभिभाषण पर बोलें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): श्रीमान, मैं अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं। किसान की कर्जा माफी के लिए हमने बार-बार यह बात कही है कि हमको सरकार यह बता दे कि कब किसान के खाते से कर्जा माफी करके, बैंकों के अंदर यह नो ड्यूज चला जाएगा कि किसान का कर्जा माफ कर दिया गया है। दस दिन में करने की बात थी। दस दिन में करने के बाद इस पटल के ऊपर यह रख दिया जाए कि यह कर्जा माफ कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, जो दल हमारे ऊपर यह छींटाकशी करता था कि इनको कभी गाय पर, कभी मंदिर पर, कभी किसी अन्य पर, मुझे इस बात की खुशी है कि आज उनको गाय याद आ गई। अच्छा है कि गाय याद आ गई, लेकिन यह भूल गए कि हमारी सरकार ने पिछली बार जितना गोशालाओं को अनुदान दिया, जितना बीमारू गायों की, जितनी दुग्ध देने वाली गायों की हमने देखभाल के लिए व्यवस्था की, आज एक सेंटेंस के अंदर उन्होंने उन सबके ऊपर पानी फेर दिया। यह बताने की कोशिश भी नहीं की कि हम इनके लिए क्या करेंगे। हम इनकी देखभाल करेंगे, देखभाल तो जिसके घर में गाय है वह सब लोग ही कर रहे हैं।

(16.00 बजे)

आप नया क्या करने वाले हैं, यह बात इन्होंने अभी तक नहीं बताई है। किसान का माल बिना तुला हुआ पड़ा है। ये कह रहे थे, इन्होंने कहा साहब, पिछली वाली सरकार ने वह कार्ड कम दे दिये। हमने तो जो दे दिये, वह दे दिये। अब आप सरकार के अन्दर हैं, आप दे दीजिये न। किसान परेशान है। इस कड़कड़ाती सर्दी के अन्दर रात को बाहर रहने को मजबूर हो रहा है। आपने बिजली रात को कर दी। मेरे यहां पर माइनस के अन्दर टैम्प्रेचर जाता है। किसान को रात को आपने दस बजे के बाद में चार बजे तक बिजली दे दी। किसान कैसे अपनी पड़त करेगा। किसान कैसे, इतना भंयकर किसान के साथ में आपने अन्याय किया है, और आप राज्यपाल

(श्री अभिनेश महर्षि)

महोदय के अभिभाषण के अन्दर वाह-वाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। फसल बिना तुले हुए पड़ी है, उस फसल को तुलने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि रिफाइनरी की बात, अभी राजेन्द्र राठौड़ साहब ने मेरे से पहले पूरी बात स्पष्ट कर दी। मुझे मालूम नहीं सरकार की, जो वर्तमान सरकार, जो तत्कालीन सरकार थी, उसकी क्या मंशा थी कि जो आंकड़े पूछ रहे थे, राजेन्द्र राठौड़ साहब को कि 40 हजार करोड़ रुपया, जब हमने कहा सरकार को घाटा हो रहा था, तो इन्होंने कहा आंकड़ा कहां से लाये। जब इन्होंने आंकड़े दे दिये तो मंत्रीजी यहां से चले गये। रिफाइनरी के अन्दर इस प्रदेश को जो घाटा होने वाला था, जो हमारे किसानों को भी घाटा होने वाला था, जो आम आदमी हमारे यहां का, उसकी आमदनी के ऊपर जो घाटा होने वाला था, उस घाटे से उबारने के लिये उस रिफाइनरी के अन्दर जो भी परिवर्तन करके जो सरकार कहे, मुद्रा बढ़ाई, उसके लिये हम लोगों ने काम किया। अब आप क्या नया करने वाले हैं, पत्थर लगाने के अलावा, वह हमको बता दीजिये। हम मान जाएंगे कि आप भी कुछ अच्छा करने की मंशा रखते हैं।

मेरे भाई प्रतापसिंहजी अभी चले गये। बोलने में, बोली थोड़ी जोर की है। हमारा तो आज नारे लगा-लगाकर गला बैठ गया, इसलिये थोड़ी सी आवाज बैठी हुई लग सकती है, लेकिन प्रताप सिंह जी रोडवेज का घाटा कैसे पूरा करोगे। रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, वे त्राहिमाम कर रहे हैं, जो रिटायर हो गये, उनके पेंशन की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं। (व्यवधान) आप लोगों ने यह कह दिया।

श्री सभापति: बैठे-बैठे नहीं बोलें, माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आप लोगों ने यह कह दिया कि हम रोडवेज कर्मचारियों का बकाया, क्या करेंगे, यह नहीं लिखा। क्या करेंगे, यह तो बताना पड़ेगा। हम बार-बार वैल में इसलिये आ रहे थे कि यह स्पष्ट नहीं है, यह लुंज-पुंज जो पोथा आपने दे दिया, इसके अन्दर आपकी मंशा कुछ भी नहीं करने की है। लोक सभा चुनाव के अन्दर, लोक लुभावनी बातें करके जो आपको डर लग रहा है कि 0.5 प्रतिशत जो अंतर है, कांग्रेस पार्टी और

(श्री अभिनेश महर्षि)

बी.जे.पी. के अंतर को बी.जे.पी. पाट करके लोक सभा में 25 की 25 सीटें जीतने जा रही है, यह डर आपको सता रहा है। हम इसके अन्दर किसी तरह की आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं।

सहकारिता आन्दोलन, अब मैं आता हूं आपको चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर बात करने के लिये। स्वाइन फ्लू से मौतें हो रही हैं। सभापति महोदय, मेरे रतनगढ़ में भी कल एक मौत हो गई। अस्पतालों के अन्दर कर्मचारी, डाक्टर नहीं हैं। जहां 33 की संख्या डाक्टर्स की होनी चाहिए, वहां आठ और नौ हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उस अस्पताल के अन्दर 23 थे। जिनको हटा करके अब वह 13 कर दिया गया है। नर्सिंग स्टाफ नहीं है, काम करने के लिये कोई आदमी नहीं है। चिकित्सा मंत्री महोदय मेरे बड़े भाई हैं। हमने साथ काम किया है। लेकिन क्या वे केकड़ी के चिकित्सा मंत्री बने हैं। अखबारों के अन्दर देखिये, सारे डाक्टर्स कहीं के भी थे, उठा करके केकड़ी में लगा दिये। राजस्थान के मंत्री बने हैं, श्रीमान, केकड़ी से बाहर निकल आइये। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है।

भाई रमेश मीणाजी अभी बोल रहे थे। आप मंत्री बन गये हैं। धीरता और गम्भीरता निश्चित रूप से आपमें आनी चाहिए। बिना किसी की बातें, बिना कोई मतलब की बातें नहीं करें। भामाशाह कार्ड, जो हमारी सरकार ने बनाया था, माननीय सभापति महोदय, जो गरीब आदमी इलाज के लिये रात को नींद चैन से सोता था कि कहीं कोई बात हो गई तो मेरा इलाज, जहां सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकेगा, प्राइवेट में भी हो जाएगा। वहां पर भामाशाह कार्ड ...(व्यवधान)

श्री अमीन कागजी (किशनपोल): आपने बनाये कितने थे, कितने एक्टिवेट हुए?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय।

श्री अमीन कागजी (किशनपोल): वह आप एस.डी.एम. से जाकर पूछो, कितने-कितने पैसे लेकर, भ्रष्टाचार का अखाड़ा है वह।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दीजिये। आप उनको बोलने दीजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

(श्री अभिनेश महर्षि)

भामाशाह कार्ड की बात करते हैं तो भामाशाह कार्ड प्राइवेट हास्पिटल्स ने लेना बंद कर दिया है। जो दवाइयां, आप असत्य आंकड़े देते हैं, चार सौ तरह की दवाइयों की बात करते हैं। मेरे रतनगढ़ अस्पताल के अन्दर 172 तरह की दवाई भी अभी नहीं मिल रही हैं। ये हालात चिकित्सा विभाग के हैं, जो हमने आपके माध्यम से सरकार के सामने रखे। स्वाइन फ्लू गम्भीर समस्या है, मेडिकल कालेजों की बात भी इस दस्तावेज के अन्दर की है। मैं तो कह रहा हूं कि मेडिकल कालेज की छोड़िये, आप पहले छोटी-छोटी, जो गांव के अन्दर, एक गांव के अन्दर पी.एच.सी. है, थोड़े से कस्बों में सी.एच.सी. है, स्वास्थ्य उप केन्द्र है। वहां पर गांव में रात को कोई बीमारी, कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई एक नर्स या कोई एक कम्पाउण्डर तो मिले, ऐसी व्यवस्था तो कर दीजिये। गांव के गांव खाली पड़े हैं, हालात इतने खराब हैं।

इसी में लिखा है, संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति का आधार मानी जाती है। वाह, आप लोग संस्कृति भी जानते हैं और संस्कृत भी जानते हैं। संस्कृत की बात करने वाले लोग, आज संस्कृत की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई एक उदाहरण ऐसा बता दीजिये, जिसमें आप लोगों की सरकारों ने कभी भी संस्कृत को प्रोन्नत करने के लिये, संस्कृत का बचाव करने के लिये, इस देश की संस्कृति को बचाये रखने के लिये कोई काम किया है तो इस पटल के ऊपर रख दीजिये। मैं मान लूंगा, नहीं तो असत्य लिखना बंद कर दीजिये। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

लगता है, सरकार ने पुरानी सरकार को कठघरे में खड़े करने के लिये, हालांकि होती नहीं है। आपके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा जिसके ऊपर आप सरकार को कठघरे में खड़ा कर सकते थे, इसलिये एक आप ले आये, रिफाइनरी लेट कर दी। एक आपने, यह इतना कम हो गया, इतना ज्यादा हो गया, जिसका भी राजेन्द्रजी ने अभी जवाब आप लोगों को दे दिया था। वर्तमान सरकार यही ध्यान रख रही थी कि किसी भी तरह की कोई कमी निकले तो हम इनको बतायें।

लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि बेरोजगार युवकों के लिये जो आपने कहा है, वह तुरन्त प्रभाव से बेरोजगारी भत्ता चालू कर दीजिये। रुकिये वहां पर भी नहीं, आप लोग रोजगार की व्यवस्था के लिये उन बेरोजगार नौजवानों के लिये

(श्री अभिनेश महर्षि)

नौकरियों की व्यवस्था कीजिये, जो आपने कहा है। लेकिन आपकी मंशा के अन्दर मुझे खोट नजर आता है। किसान पाले में मर रहा है, आप बिजली समय पर दीजिये। आप उसके मूंग की तुलवाई की व्यवस्था कीजिये। आप स्वाइन फ्लू से मरने वाले मरीजों को बचाइये। आप अस्पतालों के अन्दर जो कमी है, चिकित्सा कर्मियों की, डाक्टर्स की, उनकी कमी को पूरा करने के लिये काम कीजिये। अभी भाई प्रतापसिंहजी चले गये, कह रहे थे कि हमने दो दिन में कर दिया। यदि वे इस सदन में होते तो पूछता। लेकिन आपके माध्यम से पूछ लेता हूं कि दो दिन में आपने क्या कर दिया, बतायें तो सही।

कमेटियां बनाने की फितरत आपकी सरकार की बहुत पहले रही है। कमेटियों से काम नहीं चलने वाला है। ठोस काम करना पड़ेगा और विपक्ष को कमजोर मत समझिए और इस घमंड में भी नहीं रहना है कि कोई भी आदमी बोलेगा, चाहे नेता प्रतिपक्ष बोलें या चाहे माननीय उप नेता बोलें, आप बीच में खड़े होकर के किसी भी तरह से कोई भी मंत्री कैसे भी बोल देगा तो इसका मतलब दबाव में नहीं आएंगे। हम लोग पहली बार जरूर आए हैं लेकिन विषय की गम्भीरता और विषय के ऊपर आप लोगों का, जो बड़े-बड़े कांच लगाकर आप लोगों को देखकर आते हैं और राजस्थान की जनता आप लोगों को देख रही है। लोक सभा चुनाव तक यह इसी तरह से करते रहेंगे, यह मुझे मालूम है लेकिन हम इन सबको किसी भी तरह से आगे बढ़कर आप काम करें लेकिन यह भूल गये कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने सुशासन के कारण राज्य को वर्ष 2017-18 में और 2018-19 में लगातार दो वर्ष बेस्ट ई-गवर्नेंस का अवार्ड मिला है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों को देखते हुए सौर ऊर्जा पर विशेष बल देने के परिणामस्वरूप राज्य की सौर ऊर्जा पालिसी को प्लैटिनम श्रेणी में स्काच अवार्ड प्राप्त हुआ है, पिछली सरकार को। राज्य में 1580 मेगावाट पवन ऊर्जा, 1619 मेगावाट सौर ऊर्जा का अतिरिक्त उत्पादन करके हमने नया रिकार्ड कायम किया है।

अंतिम आदमी को रोजगार दिलाने वाली महात्मा गांधी, 'मनरेगा' में राज्य को पांच श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लगातार तीन वर्ष तक सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य के रूप में राजस्थान को गोल्ड ट्राफी मिली है।

झुंझुनूं जिले को वर्ष 2016-17 में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन हेतु देश के सर्वश्रेष्ठ दस जिलों में शामिल होने का गौरव भी हमारी सरकार के वक्त में हुआ है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

वर्ष 2016 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा स्थापित करने हेतु प्रथम पुरस्कार तथा अक्षय ऊर्जा के उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रधान मंत्रीजी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ग्राम पंचायत बगड़ावत को राष्ट्रीय पुरस्कार और राजीविका को कन्वर्जेंस हेतु पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ध्यान से सुनिएगा। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को अन्तरराष्ट्रीय सम्मान मिले, ट्रैवल एशिया द्वारा राजस्थान को एशिया में बैस्ट ट्यूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया है। Pacific Area Travel Writers Association द्वारा Palace on Wheels को पुरस्कृत किया गया है, यह तो कम से कम ऐसे कार्य हैं जो आप सब लोगों को भी गर्व होना चाहिए, इस बात के ऊपर इसलिए इस सरकार को कठघरे में खड़े करने की आवश्यकता मैं समझता हूं कि नहीं है।

मेरे छोटे भाई दानिश अबरार जी नौजवान साथी हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। और भी बहुत से मैम्बर बोलेने वाले हैं। समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, मैं मेरी पार्टी के दिये हुए समय का उपयोग कर रहा हूं। मेरी पार्टी के दूसरे सदस्यों को समय कम मिल जाएगा लेकिन मेरी बात, कृपा करके, मैं तो प्रथम बार आया हूं, आपका छोटा भाई हूं, थोड़ी तो कृपा और दया कीजिए।

श्री सभापति: आपकी पार्टी के भी और माननीय सदस्य बाकी हैं अभी। आपकी पार्टी के भी लोग हैं, और भी बाकी है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): भाई दानिश से अंतिम बात कहते हुए, चलिये, माननीय सभापति महोदय की बात को मान लेते हैं। अंतिम बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। यह सही कह दिया हमारी पार्टी का, माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ साहब, भाई दानिशजी ने बहुत अच्छी बात कह दी कि हमारी पार्टी का नेता कौन होगा यह निर्णय हमारे राहुल गांधीजी करते हैं और हमारी पार्टी के अंदर हमारा नेता कौन होगा, यह प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक तरीके से होता है तो यह बात तो आपने बहुत अच्छी कह दी और जो आपकी ...(व्यवधान)

श्री अमीन कागजी (किशनपोल): हमारी संसदीय समिति ने उनको पावर दिये थे। सुनिये, हमारे सारे विधायकों की कन्सेंट से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): इस प्रकार के निर्णय के हिसाब से ही बहुत सारे लोग आपकी पार्टी की जकड़न भरी इन बेड़ियों को तोड़कर के बाहर चले गये। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा मीणा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में हमको बोलने का मौका मिला है, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूं। आज पहली बार हम राजस्थान की इस बड़ी पंचायत में बोलने के लिए आए हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम सबसे पहले माननीय राज्यपालजी के अभिभाषण के पक्ष में समर्थन करते हैं और हम यह कहना चाहते हैं कि अभी हम सुबह से ही सोच रहे थे और कुछ मुद्दे हमारे विधान सभा क्षेत्र के हमारे पास में तैयार थे और हमें बोलने के अनाउंस भी किया गया था लेकिन हम इतने दिन से यह सोचते थे कि राजस्थान की जो विधान सभा है, उसमें सभी अच्छे लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठते होंगे और सभी सिस्टम से बात करते होंगे। लेकिन, जब सुबह से तैयार करके जो मुद्दे रखे हुए थे, वह पर्चियों का जो सिस्टम था, हमें बाद में पता चला कि हंगामे के बीच हमारी पर्चियां उड़ गयी हैं और हमारे को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो हम इस बात को, आज हमें खुद को एक बार शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है और हंसी भी आ रही है कि किस तरीके की यह विधान सभा चलती है, आज हमें पहली बार महसूस हुआ है और अब उसी परिवेश में ढलकर हमने कोशिश की है दुबारा से बोलने की और अभिभाषण के ऊपर हमने बोलने का प्रयास किया है।

हम इस बारे में यह कहना चाहेंगे कि मैं पूर्वी राजस्थान से सवाईमाधोपुर से, जहां बड़े दिग्गज विराजते हैं, मैं बामनवास विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आई हूं और आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटो से मैं जीतकर आई हूं और विपक्ष भाजपा सरकार के डाक्टर किरोड़ीलालजी भी वहां से लड़े हैं तो वहां से मैं सबसे ज्यादा, उनसे ज्यादा वोटों से जीतकर आज आई हूं तो मैं घोषणा पत्र के पक्ष में पाइंट चार पढ़ना चाहूंगी। जन घोषणा पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर हमारी सरकार को जनादेश देकर सेवा का जो मौका दिया है, वर्तमान सरकार प्रदेश को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सुशासन प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार प्रदेश में शांति, सौहार्द और

(श्रीमती इन्द्रा)

सद्भावना का वातावरण बनाकर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तत्परता और मनोयोग से कार्य करेगी। हम ऐसा विश्वास रखते हैं।

अभी हम किसानों की बात सुन रहे थे और भाई दानिश ने भी कहा था, गायों की बात भी उन्होंने की थी तो हम सर्वप्रथम किसानों की बात करते हैं कि प्रदेश में यह अभिभाषण का पन्द्रहवां पाइंट है, छठे पेज पर, प्रदेश में कई किसानों द्वारा गत वर्षों में आत्महत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाये गये हैं। उनके लिए हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि पिछली बार जब भाजपा सरकार थी तो हमने खुद ने भी, माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय सचिन पायलटजी के साथ में पैदल यात्रा की और सरकार को मजबूर किया तो पचास हजार रुपये की ऋण माफी की थी उसमें हमने पाया कि चौथा हिस्सा, एक चौथाई ही कर्ज माफी हुई और आज विपक्ष यह सवाल उठाते हैं, अभी सदन में सुबह से मैं सुन रही थी कि किसानों के कर्जे माफी के बारे में हंगामा हो रहा था लेकिन हम पूछना चाहेंगे, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि पचास हजार रुपये की जो कर्जे माफी हुई उसमें भी एक चौथाई हुई। आज हमने, हमारी पार्टी ने घोषणा की है कि कर्ज माफी की, सम्पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा की है दो लाख रुपये तक के ऋण की बात की है तो वह हमारे लिए और किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है और किसान आज हम देख रहे हैं, मेरा पूरा टोटल इलाका किसानों का है और मैं किसानों के बीच से निकली हूं सब किसान उस बात से खुश हैं तो वह लोग यह सवाल नहीं उठा रहे। यहां इस कार्यवाही को नहीं होने देना और आज हम देख रहे हैं कि जनता इतने विश्वास के साथ हमको जिताकर यहां भेजती है और यहां बैठकर हम हंगामे के बीच में यह दलील सुनकर चले जाते हैं तो वह बड़े अफसोस की बात है और सब लोग इसमें खुश हैं कि हमारी सरकार ने तुरन्त प्रभाव से कर्जा माफ किया है और कर्जे माफी की घोषणा की है। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे, सभापति महोदय, यह पेज नंबर-9 में पाइंट नंबर 22 पर है- "राज्य सरकार ने अगले पांच साल तक किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।" हम पिछले पांच सालों से देखा करते थे कि आये दिन किसान अपने बिल की पर्चियां लेकर हमारे पास आते थे। किसी के 40 हजार का, किसी के 30 हजार का और किसी के 50 हजार का, और कई बार तो एक-एक लाख तक का बिल आता था। वह किसान उस पोजीशन में क्या करेगा? उस पोजीशन को हमने देखा है,

(श्रीमती इन्द्रा)

महसूस किया है कि वह कहीं नहीं जा पाते थे। किसी भी अधिकारी के पास में नहीं जा पाते थे और उस कारण से वह हताश होकर उसी मुद्दे को लेकर वह कई बार गलत कदम उठाया करते थे। आज हमारी सरकार ने जो किया है, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, तब भी पूरे पांच साल तक किसानों का बिजली का बिल नहीं बढ़ाने की बात की थी और इस बार भी हमने कहा है घोषणा पत्र में, कि पूरे पांच साल तक किसानों का बिजली बिल नहीं बढ़ाया जायेगा, तो यह भी सभी किसानों के लिये बहुत खुशी की बात है।

अभी गायों की बात चल रही थी तो गायों के बारे में, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि गायों का हम देखते थे पिछली बार, अभी दानिश भाई ने कहा कि गायों की इतनी हत्या हुई, दुर्गति हुई, वह सारी चीज आपको बता चुके हैं और वह मेरी विधान सभा क्षेत्र का मैटर था। मेरी विधान सभा क्षेत्र में गायों के गौ-पालन मंत्री के सामने हमने धरने-प्रदर्शन किये, मांग उठायी, लेकिन गायों की कोई सुध नहीं ली गयी और वह सारा जो वादा किया था, वह आपको बता ही चुके हैं कि 60 लाख रुपया का रह गया था।

किसान हमारी खुशहाली का आधार है। गत सरकार ने किसानों के 8 हजार करोड़ रुपये के कर्जमाफी की घोषणा में से मात्र 2 हजार करोड़ की ही राज्य मद से सहायता की। वर्तमान सरकार ने पहला फैसला किसानों के समर्थन में लिया। किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिये राज्य सरकार जन घोषणा पत्र पर तुरन्त अमल करते हुए सरकारी बैंकों को निर्धारित मापदण्ड पात्र पाये गये ऋणी किसानों के 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय जो लिया, उसके लिये हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे हम कहना चाहेंगे कि जो भी यह निर्णय लिये गये हैं, वह किसानों के हित में थे।

हमारी सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश की जनता के प्रति है। सम्पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ प्रदेश का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। सरकार ने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकृत कर आमजन से किये गये वादों को पूरा करने के साथ ही हमारी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। इसके लिये हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें बोलने के लिये जो मौका दिया, उसके लिये भी हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापतिजी, दोनों दल बड़ी डींगें हांक रहे हैं, नजारा कुछ अलग है। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कई मुद्दों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फसल बीमा को सिर्फ दो शब्दों में इस भाषण में सलटा दिया। हजारों करोड़ रुपये बीमा कम्पनियां हमारे से प्रीमियम ले जाती हैं और क्लेम सिर्फ वहां मिलता है, जहां लोग लड़ते हैं, उसके लिये बीमा कम्पनियां कहीं क्लेम नहीं देतीं। हम चाहते थे सरकार से, कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से ऐसी टास्क तैयार करे जिससे किसान को पता चले कि प्रीमियम कैसे कटता है, प्रीमियम कटने का टाइम क्या है और उसकी फसल क्या रहेगी? किसी किसान ने चार साल पहले के.सी.सी. बना ली और वह के.सी.सी. का प्रीमियम चार साल बाद उसी फसल का कटे, जो फसल उसके खेत में है नहीं, उससे प्रीमियम 3888 रुपये प्रति हैक्टेयर ले लिये, लेकिन कपास उसके खेत में नहीं, प्रीमियम उससे काट लिया, बीमा कम्पनी कुछ नहीं देगी। हजारों करोड़ों रुपये का मसला, पर हमें बड़ा भारी दु:ख हुआ कि दो लाइन में अभिभाषण में इस बात को सलटा दिया।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमें फसल बीमा पर बहुत सीरियस होना चाहिये राजस्थान के लोग और सरकार, क्योंकि हमारे यहां कुदरत पर ज्यादा जिम्मेदारी रहती है बरसात करने की, हमारा इलाका वीरानी है और नहरी क्षेत्र में भी अगर अकाल की पोजीशन आ जाए, पानी कम हो, तो फिर फसल बीमा हमारे लिये जरूरी हो जाता है। हालांकि चूरू और हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में खासकर भादरा, नोहर और पल्लू में, चूरू में तारानगर और राजगढ़, चूरू के माननीय पूर्व मंत्रीजी चले गये, मैं उनको याद दिलाता कि कैसे लोग तीन-तीन महीने सड़कों पर पड़े रहकर बीमा लेते थे। आज तो बहुत जोरदार बोल रहे थे, मुझे तो अचम्भा हो रहा था। वह पूछ रहे थे कि उद्योग कैसे बंद कर दिये? हमारे जिले में तो एक मिल थी। हनुमानगढ़ में एक स्पिनिंग मिल थी। इतना बड़ा ताला पता नहीं कहां से लेकर आये। कहां से आयात किया था वह ताला? वह ताला तीन साल पहले लगा दिया। किस लिये लगा दिया गया, क्योंकि दो मिलों को एडजस्ट करना था। सबसे बढ़िया धागा स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ का था। उस मिल में 1300 कर्मचारी थे, वह आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि उन कर्मचारियों को उसी मिल में वापस ले जाओ, वहां बहुत बढ़िया क्वालिटी की कपास होती है। वहां धागा पैदा करवाओ

(श्री बलवान पूनियां)

और हिन्दुस्तान से बाहर भी वह धागा एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया क्वालिटी रहती है हनुमानगढ़ जिले की कपास और नरमा की। हमारे क्षेत्र में सिंचाई पानी, अगर हम बात करें पूरे राजस्थान की, 8.60 एम ए एफ पानी हमारे पास है। आज तक पाइंट 06 पानी हम ले नहीं पाये हैं। सिंचाई के मसले पर फिर अभिभाषण में चूक गये। यह कहा गया है कि जो पानी उपलब्ध है, उससे और ज्यादा क्षेत्र को नवाचार करके फिर उसमें बूंद-बूंद सिस्टम से पानी देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई पार्टी कांफ्रेंस में एक कागज देते हैं पार्टी के लोगों का हौंसला बढ़ाने के लिये। पार्टी कांफ्रेंस में मैं बहुत बार देखता हूं दस्तावेज आता है जिससे सारे लोगों में जोश आ जाए कि साहब हमारी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने सिंचाई के मसले पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और खासकर वाया पंजाब, जो पानी आ रहा है, उस पानी की चर्चा नहीं की, जो पाइंट 06 अभी हमें मिला नहीं है। आपने चर्चा नहीं की वाया हरियाणा जो हमें पानी मिल रहा है, वह आज तक पाइंट 17 एम ए एफ पानी नहीं मिल रहा, उसके बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि आप पाइंट 17 एम ए एफ, जो कि भादरा, नोहर का हिस्सा है, जिसमें राजगढ़ के भी 12 गांव हैं, सादुलपुर तहसील के, आप हमारे इलाके का पूरा पानी दिलवाने के लिये तैयारी कीजिये और जो पाइंट 06 अभी पंजाब और हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा, वह पूरा पानी लेने के लिये सरकार एक्शन प्लान बनाये और बजट के समय यह व्यवस्था लेकर आये कि इतने दिनों में बचा हुआ पानी हम ले लेंगे और जो इलाका आपने पहले कमांड किया था बीजेपी और कांग्रेस, दोनों के शासन में, उसमें अभी तक खाळे नहीं बने। पिछले पांच साल में तो पता नहीं किस बात की नजर लगी, एक भी खाळा नहीं बना। एक भी नया खाळा सिद्धमुख नहर क्षेत्र में, नोहर फीडर में, अमरसिंह ब्रांच में नहीं बना। उससे पहले नोहर-भादरा से सारे दफ्तर उठाकर करणपुर और सूरतगढ़ लेकर गये थे, वहां की रिपोर्ट कोई अच्छी नहीं कि वहां कोई ज्यादा खाळे उन्होंने बनाये हों। सिस्टम को तोड़ने का, सिंचाई महकमे को तोड़ने का पूरा काम किया। उससे पहले यह इधर वाले भी ठीक नहीं हैं।

इन्होंने 1998 में जब सरकार बनी, सन् 2000 में नहरों में निजीकरण में की व्यवस्था लेकर आये यानी किसान नहर चलाएगा। सरकार नहीं चलाएगी। सरकार तो सिर्फ उसका राजस्व लेगी। हमारी मांग यह रहती है कि

(श्री बलवान पूनियां)

सरकार नहरी तंत्र में निजीकरण को बन्द करे और सरकारी कर्मचारी नियुक्त करे। मेट, बेलदार, एईन, जेईएन लगाये। यह बार-बार मांग रहती है। यह मांग कांग्रेस के जमाने में भी रही है और यह बीजेपी के जमाने में भी रही है। इसलिए मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे इस मुद्दे पर भी हमारी बात सरकार से मनवाने का प्रयास करेंगे।

बिजली कनेक्शन के बारे में यहां अभिभाषण में कहा गया है कि 2012 में जिसने कृषि के लिए पैसे भर दिए, उसके कनेक्शन कर देंगे। हम जमाने से कितना पीछे चल रहे हैं। 2018 बीत गया, 2019 चल रहा है। हम अभी 2012 वालों का कनेक्शन कर रहे हैं। किसान कनेक्शन के लिए छह साल से इन्तजार कर रहा है। इनके जमाने में तो साहब, एक बहुत बड़ा गड़बड़ रहा है, ढाणियों में कनेक्शन के लिए इन्तजार करते रहे। बहुत योजनाओं का नाम बदला था। दीनदयाल योजना, बार-बार चक्कर काट-काटकर लोगों के पैर घिस गए। दीनदयाल उपाध्याय योजना में हमारे इलाके में कनेक्शन नहीं हुए। मुझे नहीं पता, राजस्थान के दूसरे इलाकों में क्या रहा होगा। (व्यवधान)

(16.31 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

नहीं हुए। दीनदयाल उपाध्याय योजना में कनेक्शन होते तो बलवान पूनियां विधायक नहीं होता। विधायक बीजेपी का होता। क्या बात कर रहे हो? आप बीच में मत बोलो साहब। आप तो बड़े आदमी हो। इधर वाले भी बड़े आदमी हैं। हमारी छोटी पार्टी है। दस मिनट मिले हैं, बोल लेने दो। मैं तो जो बात है, वही बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप बिजली की बात करें, घरेलू बिजली की दरों में बेइन्तिहां वृद्धि तीन दफा की पिछली सरकार ने। मैं नई सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप भी ऐसा ही करेंगे। जनता बहुत भारी परेशान है। दो वल्ब अगर कोई घर में लगा ले तो डेढ़-डेढ़, दो-दो हजार रुपये बिल आता है। स्थायी शुल्क के नाम पर इतनी भारी लूट। राजस्थान के करोड़ों लोगों को लूटा जाता है। स्थायी शुल्क क्या है? कोई डिफाइन नहीं करता। कैसे लगता है। कोई डिफाइन नहीं करता। इसका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। इस बात का राजस्थान के करोड़ों लोग इन्तजार कर रहे थे।

लोग इस बात का भी इन्तजार कर रहे थे कि पिछली सरकार ने जो

(श्री बलवान पूनियां)

बीस हजार स्कूल बन्द किए, वह स्कूल्स कैसे खुलेंगे? उनको कैसे खोला जाएगा? इसमें जिक्र जरूर किया कि जो स्कूल बन्द पड़े हैं, उनको खोला जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी लेकिन चुनाव में भाषण तो ये हुआ करते थे कि अगर पार्टी सरकार में आयी तो बन्द किये हुए सारे स्कूल्स खोलेंगे। अब वही शब्द आपने इस्तेमाल कर लिए कि स्कूलों की समीक्षा करेंगे। जब एक लाइन से जिन्होंने स्कूल बन्द किए थे, दूसरी लाइन तो आप स्कूल वापिस खोलो। ऐसी हमारी मांग है। हम भी लोगों से कहकर आये हैं कि स्कूल खुलवा कर रहेंगे।

हमारे हजारों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम जो 2004 में आई थी, राजस्थान में उसको सबसे पहले स्वीकार किया गया। आज जब तीन-चार कर्मचारी रिटायर हुए तो उनको पता चला कि 1600-1700 रुपये पेंशन मिलेगा। आज पूरे राजस्थान में माहौल है, ओ पी एस के पक्ष में, ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नदारद पा रहा हूं। हमारी मांग भी रहेगी कि आप पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो। करोड़ों नौजवान जो रोजगार की मांग कर रहे हैं और जिनको पिछले दिनों में लाखों को रोजगार धीरे-धीरे मिला है, 2004 से लेकर आज तक, वह सारे के सारे पुरानी पेंशन के पक्ष में हैं, इसलिए सरकार पुरानी पेंशन स्कीम पर विचार करेगी और उसको लागू करेगी।

पिछली सरकार ने जो राशन कार्ड से लोगों के नाम हटाये थे, भामाशाह से और खाद्य सुरक्षा से, इस सरकार ने यह तो कहा है कि नाम जोड़ेंगे लेकिन किसके जोड़ेंगे, किस आधार से जोड़ेंगे? लघु और सीमान्त की जो शर्त लगायी थी, उस शर्त की वजह से लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़ने से वंचित हो गये, लोग बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। एसएमएस और बीकानेर के पीबीएम हास्पीटल में जाते हैं लेकिन सरकारी मदद के लिए आप खा़द्य सुरक्षा का नाम नहीं जुड़वा पाते हैं। एसडीओ यह बात कह देता है कि चार बीघा और आठ बीघा की शर्त है, लघु और सीमान्त की शर्त है। इस शर्त को हटाने के लिए शब्द इस्तेमाल जरूर किये गये हैं लेकिन शब्द यह लिए गए हैं कि इसको कैसे हटाएंगे और लोगों को खाद्य सुरक्षा में वापस कैसे जोड़ेंगे। यह बात राज्यपालजी के अभिभाषण में स्पष्ट नहीं है। सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए था।

(श्री बलवान पूनियां)

बिजली की दरों के बारे में स्पष्ट कहा है कृषि कनेक्शन के लिए, कि हम पांच साल बिजली की दर तो नहीं बढ़ाएंगे लेकिन बूंद-बूंद कनेक्शन का, जो बीकानेर जिले में बहुत ज्यादा किसान हैं बूंद-बूंद कनेक्शन के, उनका क्या रहेगा, इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी बूंद-बूंद योजना में क्या रहेगा, इस बात का भी इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है, जो कि करना चाहिए था। उन किसानों का लम्बा आन्दोलन भी पिछली सरकार के समय चला था। हालांकि पिछली सरकार ने एक ट्राई की थी कि दाम बढ़ा कर देखते हैं। जब अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में और दूसरे संगठनों के नेतृत्व में जब हजारों किसान सड़कों पर उतर गये तब इनको फैसला तो वापस लेना पड़ा लेकिन बूंद-बूंद योजना के किसान का फैसला करना ये भूल गये थे।

मैं सदन का और अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश में घुस रही बीमारियां जैसे कैंसर हमारे इलाके में पंजाब के जरिये हरियाणा के रास्ते महामारी के रूप में पैदा हो रहा है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, जहां उस बीमारी की हम जांच करवा पाएं, उस बीमारी को चैक करवा पाएं। बीकानेर और जयपुर के लिए लोग बसों और गाड़ियों में भर-भर कर आते हैं। इसलिए जो नई बीमारी राजस्थान में और हमारे इलाके में घुस रही है, इस पर सरकार को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए था। इसमें यह भी कोई कंसेप्ट शामिल नहीं किया गया है। इस बात के लिए भी हम सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आप इसको शामिल करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एक चीज और रह गई जनाब। अध्यक्ष महोदय, नशे के खिलाफ कोई रोड मैप सरकार का नहीं है। हमारा नौजवान जिसको रोजगार नहीं है, जिसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, वह नशे में डूब रहा है, वह नशे की लपेट में आ रहा है, वह नशीली दवाइयां खा रहा है, सरकार की उस नौजवान की चिन्ता इस अभिभाषण में कहीं नजर नहीं आई। यह अभिभाषण पांच साल की सरकार का रोड मैप दिखना चाहिए था इसलिए इस चीज को भी शामिल करते हुए नशे के खिलाफ भी बहुत गम्भीरता से सरकार एक्शन ले।

(श्री बलवान पूनियां)

एक चीज और लास्ट जो रह गई, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे पांच साल में जो अधिकारी करेप्ट थे, जिलों में जमे बैठे थे, थानों में जमे बैठे थे, आज भी वे जनता को जमकर जनता को लूटने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और उनको जेल में भेजा जाए, जो भ्रष्टाचार करते थे, दस परसेंट और बीस परसेंट कमीशन लेकर। जो लोग चुनाव हारे हैं, उन लोगों की जांच की जाए। ...(व्यवधान) मंत्री तो अपने आप ही आ गये। कमीशन तो ऊपर तक पहुंचता था।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बढ़िया नाम दे देने से सरकार नहीं बनती। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ प्रतीत होना चाहिए। यह न्याय का सन्दर्भ है। आपने मुझे समय दिया। आपने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश जांगिड़।

सूचना

राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा के लिए धरना

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइन्ट आफ इन्फारमेशन है। अध्यक्ष महोदय, पिछले ग्यारह दिन से आरएएस मुख्य परीक्षा के अन्दर हाई कोर्ट ने जो 7250 अभ्यर्थियों को ओबीसी और एसबीसी के अभ्यर्थी थे, एससी के थे, उनको मेन एग्जाम के अन्दर शामिल करने का आदेश दिया है। चालीस दिन आपने एग्जाम भी बढ़वाया। हमने भी प्रयास किया। बच्चे लगातार ठण्ड के अन्दर धरने पर बैठे हैं। गर्ल्स भी भूख हड़ताल पर बैठी हैं। आपके भी कई विधायक गये थे, मैं भी मौके पर गया था। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसके बाद उनको चालीस दिन का समय मिला। तेईस सब्जेक्ट होते हैं। तो आप कम से कम सरकार को निर्देशित करें। हमने आपको दो दिन पहले भी निवेदन किया था। आपने हमें यह कहा भी था और शायद केबिनेट के अन्दर इस बात की चर्चा चली। कई हमारे और माननीय सदस्य जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं और विधान सभा के अन्दर आये हैं,

(श्री हनुमान बैनिवाल)

इन्होंने भी प्रयास किया। हमने कई और लोगों से बात की। तो मैं इसके अन्दर दो छोटे-छोटे मामले हैं। एक तो यह था कि आरएएस मेन्स परीक्षा 2018 की तिथि कम से कम तीन या चार माह बढ़ाएं और जो बच्चे धरने पर यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हैं, उनका धरना समाप्त कराया जाए। ठण्ड के अन्दर कोई केजुअल्टी नहीं हो जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, दूसरा और इश्यु है। आरएएस 2016 के करीब 725 अभ्यर्थी हैं, जिनका अक्टूबर के अन्दर सलेक्शन हो गया था। वे पन्द्रह महीने से मानसिक वेदना झेल रहे हैं। आरपीएससी सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं। आप चाहें तो सरकार को निर्देशित करें, अध्यक्ष महोदय, बच्चे परेशान हैं। उनको धरने की अनुमति भी नहीं मिल रही है। कल पुलिस ने मैरिज गार्डन सील कर दिया था। उन 725 ओबीसी अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए उनकी भी नियुक्ति के आदेश राजस्थान की सरकार प्रदान करे। दोनों, आरएएस, 2016 और आरएएस, 2018 के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। आपकी बात पर सरकार ध्यान देगी, आपने कहा है, निश्चित। श्री जगदीश चन्द्र जी।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: जगदीश जी, एक मिनट।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, माननीय सदस्य। प्रताप जी, anything you want to say, गवर्नमेंट से बोल रहे हैं?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: गवर्नमेंट की बिहाफ से?

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो भी मुद्दे इन्होंने उठाये हैं, सरकार की नोलेज में है। मुख्य मंत्रीजी, पूरी

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

केबिनेट, सरकार के सदस्य, उप मुख्य मंत्रीजी, सबसे स्टूडेंट मिल चुके हैं और जो स्टूडेंट धरने पर बैठे हैं, हम इस बात को समझते हैं, उनके दर्द को भी समझते हैं, सरकार गम्भीरता से स्टूडेंट के साथ खड़ी है। राजस्थान में जहां भी आर.ए.एस. के स्टूडेंट को प्राब्लम है या किसी और स्टूडेंट को प्राब्लम है, उन सबकी बात को गम्भीरता से सुन लिया गया है, सबकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी सरकार करने जा रही है, सरकार के ध्यान में है, ऐसे किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं आने दी जायेगी जो पिछली सरकार की नीतियों के कारण कहीं प्राब्लम में हैं या कोई गलती हो गयी है तो उनका सबकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। जगदीश जी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बोलें।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर मेरी पार्टी का आदेश था कि मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूं। मैं सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही देख रहा हूं और यह मेरा भी पहला अनुभव है। मेरे मन में सदन के बारे में जिस तरीके की मैंने एक कल्पना कर रखी थी कि बड़ी बुद्धिमता से, बड़े सिम्बोलिक, बड़े ज्ञानवान लोगों से मेरी बातचीत होगी, मुझे समझने का मौका मिलेगा, मैं उनको समझूंगा और वो मुझे समझेंगे।

सरकार ने जब अपना विजन डाकूमेंट, पांच साल की सरकार का जो कार्यक्रम है वो घोषणा पत्र के माध्यम से सदन में पेश किया है और हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि चुनाव के दौरान हमने लोगों से जो बात की है और जो घोषणाएं की हैं, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी, हमारी सरकार इस चीज पर कायम है और हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे।

हमने किसानों के बारे में चर्चा की, हमने बिजली के बारे में चर्चा की, नौजवानों के बारे में चर्चा की, बेरोजगारी के बारे में चर्चा की और जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं, उनके बारे में चर्चा की।

माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता जब जवाब दे रहे थे, मैं उनका भाषण

(श्री जगदीश चन्द्र)

सुन रहा था। मुझे इस बात का बड़ा महसूस हुआ कि आपको पांच साल तक राजस्थान की जनता ने काम करने का मौका दिया, आपके 163 विधायक थे और आपकी सरकार हर तरीके से, हर स्तर पर फेल हुई है।

आप सुबह किसानों की बात कर रहे थे, हमारी सरकार ने किसान का कर्जा माफ किया तो आपको महसूस हुआ कि हमारे हाथ से मौका निकल गया। आपने 50 हजार की घोषणा की थी और 50 हजार का कर्जा माफ नहीं करके किसी को पांच हजार, किसी को दस हजार मिले थे और वो भी किसान को बेइज्जत किया गया था अफसरों के साथ में फोटो खिंचवाकर ताकि पूरे गांव में संदेश जाए कि फलां किसान कर्जदार है ताकि बच्चों के रिश्ते नाते भी नहीं हों। यह काम आपकी सरकार ने किया था।

आज आप सरकार पर उंगली उठा रहे हो। दो लाख की सीधी-सीधी घोषणा हमारी सरकार ने की है और कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है और हमारी सरकार जो हम बोलते हैं हम निश्चित तौर पर करते हैं।

एक माननीय सदस्य: दस दिन का क्या हुआ?

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): आप जरा सुनिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): दस दिन की जहां तक आप बात कर रहे हो, हमने दो दिन में कर्जा माफ का ऐलान किया था और हम उसको पूरा करके दिखायेंगे। आज सरकार को मात्र एक महीना एक दिन, यह आपने ही काउंट किया हमने काउंट नहीं किया, आप गिनती कर रहे हो सरकार की क्योंकि आपको सबसे ज्यादा चिंता है कि हमारे पांच साल कब पूरे होंगे। पांच साल का समय है, इन्तजार करो आप।

जिस तरीके से आप किसानों की बात कर रहे थे, सिंचाई की बात कर रहे थे, आपकी तत्कालीन मुख्य मंत्री गौरव यात्रा के माध्यम से गंगानगर गई हुई थीं और जब किसान पानी मांग रहा था, धरने पर बैठा था, आपने लाठीचार्ज करके किसान को बुरी तरीके से मारा था, आप लोग किस मुंह से किसान की बात कर रहे हो?

आप समर्थन मूल्य की बात कर रहे हो। आपकी सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की थी, सरसों और चने पर खरीद नहीं हुई और मूंग के आज तक पैसे बकाया हैं आपकी सरकार के प्रति। हमारी सरकार ने, हमारे

(श्री जगदीश चन्द्र)

राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में हमारे मुख्य मंत्री ने कहा कि जो समर्थन मूल्य तय करेंगे, हम किसान की भरपाई सरकार के माध्यम से करेंगे। यह हमारी सरकार ने कहा है और हम यह करके दिखायेंगे, आपकी तरह नहीं करते।

जहां तक लॉ एण्ड आर्डर की बात थी, हमने इसमें मेन्शन किया, हम कानून-व्यवस्था की जीरो टोलरेंस पर बात करेंगे। वो ही गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है जहां सादुलशहर से मैं आ रहा हूं, 2013 से पहले जो व्यवस्था थी, हमारे यहां नशे पर कंट्रोल था और 2013 और 2018 के बीच में उत्तर भारत की वो सबसे बड़ी नशे की मंडी है, नौजवान बरबाद हो गये। अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषय है, इसका जवाब होना चाहिए।

हमारे प्रतिपक्ष के नेता तत्कालीन होम मिनिस्टर थे, हमने पचास दफा प्रदर्शन किये, पांच साल तक पानी के लिए धरना दिया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और गंगानगर के किसान ने भाखड़ा के पानी को लेकर, गंग कैनाल के पानी को लेकर लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इस सरकार की आप बात कर रहे हो, किस तरीके की बात कर रहे हो आप? आप इन्तजार करो पांच साल का समय है, जो जनता से वायदे किये हैं वो हम पूरे करके दिखायेंगे, आप तो महसूस करें कि आज आप छलावा कर रहे हो, आपकी गलती हो गयी है, आपको पश्चाताप करना चाहिए गलती पर कि हम से गलती हो गयी है। सरकार ने हर क्षेत्र में अपनी बात रखी है, चाहे किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो। हमने समाज के सारे तबकों का ख्याल रखा है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को यह आश्वस्त करना चाह रहा हूं और हमारे विपक्ष के साथियों को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि धैर्य रखिये, सब ठीक होगा।

आपने जिस तरीके से आंकड़े पेश किये हैं, स्टेटिस्टिक्स की जो किताब आप लेकर आये हो, वो आंकड़े तो आपके पास थे, आपके पास समय था, आपको पूरा करना चाहिए था। वो ही अधिकारी हैं जो आपके जमाने में थे, आज तक तो वो के वो अधिकारी बैठे हुए हैं, आप उनसे सवाल पूछिये।

हमारे एक साथी ने, एक माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार के अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, सरकार किसकी थी? हमें तो एक महीना हुआ है। सरकार किसकी थी, इस बात का कौन जिम्मेदार था, यह

(श्री जगदीश चन्द्र)

आप मन्थन करिये, आत्म चिन्तन का विषय है। आप इस बात की चिंता करियेगा। (व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): उसके बाद बहुत सारी जगह डाक्टर लग गये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): आपको आत्म मन्थन करना चाहिए कि राजस्थान के अस्पतालों की क्या स्थिति है, कौन जिम्मेदार है? हम लोग जिम्मेदार हैं क्या? आप महसूस करें और चिंता करें।

इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बहस के दौरान मैं अपनी राय रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारी सरकार को, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने किसान की पीड़ा को समझा और पीड़ा को समझ करके दो लाख तक का, हर आदमी कह रहा है कि डूबत में पैसा दिया, मैं गांव से आता हूं, ढाणी से आता हूं, काश्तकार का बेटा हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि काश्तकार कभी चोर नहीं होता, किसान का पैसा कभी डूबता नहीं है लेकिन जब उसकी मजबूरी होती है तो उससे पैसा नहीं दिया जाता और जो डूबत का पैसा था, जो डिफाल्टर था, डिफाल्टर वो किसान होता है जिससे पैसा नहीं दिया जाता, उसका पैसा हमारी सरकार चुकाने जा रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इनकी सरकार ने, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 50 हजार रुपये तक का सहकारी कर्जा बी.जे.पी. की सरकार ने माफ किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुद गांव से आता हूं, ढाणी से आता हूं, काश्तकार का बेटा हूं, 50 हजार रुपये तक की कर्जे माफी की जो इन्होंने बात की। पहले क्या होता था अमूमन हर सरकार में कि एक काश्तकार के पांच बेटे होते थे, जमीन नाम काश्तकार के होती थी, पांचों बेटों को सहकारी लोन मिलता था, पहले भी इसी तरीके से मिलता था। उसके बाद जब इनको वापस देने की बारी आयी लोन माफ करने के बाद तो चार बेटों को नहीं देकर और यह नियम निकाल दिया कि जिसके नाम खातेदारी की जमीन

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

होगी उसी को वापस लोन दिया जायेगा। इस तरीके से बहुत ज्यादा काश्तकार वापस लोन लेने से वंचित रह गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमेशा गरीब की और दलित की बात करने वाली बी.जे.पी. की सरकार डाक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कांग्रेस के राज में खुली, उसको बंद करने का काम इन लोगों ने किया और आज उसके बाद वापस खोलने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी विधान सभा विराटनगर की कुछ समस्याएं आपके सामने, सदन के बीच में रखना चाहूंगा। पिछले 15 साल से विराटनगर में बी.जे.पी. के विधायक थे और माननीय पूर्व विधायक जी का खुद का कालेज था इसलिए 15 साल से हमारे वहां सरकारी कालेज नहीं खुला जो कि हमारे इलाके की सबसे बड़ी मांग है। क्योंकि वहां का नौजवान, वहां की छात्राएं हमारी बहनों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, थानागाजी जाना पड़ता है, किसी को शाहपुरा आना पड़ता है, किसी को कोटपूतली जाना पड़ता है, मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से मांग करता हूं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से कि विराटनगर में नया सरकारी कालेज बहुत जल्दी खुलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारा विराटनगर जो महाभारत कालीन सभ्यता का है। यह राजा विराट की धरती है। इसको पर्यटन का दर्जा दिया जाए, जो कि हमारी बहुत पुरानी मांग है। विराटनगर में बहुत अच्छे-अच्छे पर्यटन के केन्द्र हैं। सरिस्का हमारे नजदीक है। अगर विराटनगर को पर्यटन का दर्जा दिया जाए तो हजारों लोगों को वहां रोजगार मिल सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो अभी घोषणा की है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, आदरणीय राहुल गांधी जिस दिन पधारे, कि बिजली कि दरें हम नहीं बढ़ाएंगे। पिछली सरकार ने जिस तरह से काश्तकार की बिजली की दरें बढ़ाईं, उससे काश्तकार को बहुत परेशानी हुई। जो सबसे बड़ी परेशानी हुई, वह यह कि दो महीने में बिजली का बिल आता था काश्तकार का, उसको एक महीने कर दिया गया। सरचार्ज वही का वही रखा और बिजली का बिल एक महीने में आ गया। काश्तकार को इससे डबल पैसा देना पड़ता है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि काश्तकार का बिजली का बिल फिर दो महीने का किया जाए, ताकि काश्तकार को राहत मिल सके।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): पहले जो मामला उठाया, उसका तो करा दो।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): यह आपकी सरकार की देन है। रामलाल जी, आपकी सरकार की देन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): दो महीने में बिजली का बिल आता था तो काश्तकार को उसका फायदा मिलता था। आज 25 दिन पर बिजली का बिल आ रहा है। यह काश्तकार के लिए सबसे बड़ा घाटा है।

अभी सड़कों की बात माननीय सदस्य अभिनेश महर्षि कर रहे थे। अभिनेश महर्षि जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अभिनेश जी, अभिनेश जी, आप गलत बात मत सीखें। नये-नये सदस्य हैं।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सड़कों की बात आप कह रहे थे। आज मेरी विराटनगर विधान सभा क्षेत्र के हालात ऐसे हैं कि वहां अगर कोई 10 किलोमीटर चलना चाहे तो उसको एक घंटा लगता है। 5 साल में एक नई सड़क का काम वहां नहीं हुआ। मेरे यहां प्रागपुरा से लेकर, नारायणपुर मोड से लेकर के पांचूडला तक 16 किलोमीटर की सड़क है, जिसमें 20 गांव पड़ते हैं। आज 2-2 फीट के गड्ढे उस सड़क में पड़े हुए हैं। पूरे 5 साल तक क्षेत्रीय विधायक ने कभी सुध नहीं ली। सरकार ने कभी सुध नहीं ली, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक की खुद की माइनिंग चलती थी। माइनिंग चलने की वजह से पूरा रोड टूटा हुआ था। आज वहां की पूरी जनता परेशान है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी नई सड़क वहां पर बने, ताकि जनता को राहत मिले।

अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से गाय के नाम पर बीजेपी राजनीति करती आई है। कभी गौ हत्या के नाम पर राजनीति करती है। इनके राज में सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हुई तो वह गौ को हुई। आज गौ माता सड़क पर घूमती है। आवारा घूमती हुई नजर आती है। किसी गौशाला की व्यवस्था नहीं हुई। पिछले कांग्रेस राज में जो गौशालाओं को अनुदान मिलता था उसको भी बंद कर दिया गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हर पंचायत के स्तर पर, इस सदन के माध्यम से गौशालाओं का निर्माण हो, ताकि गौ माता की अच्छी रक्षा हो। गौ माता को अच्छा चारा मिले और उनकी अच्छी व्यवस्था हो।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव में भी बजरी की समस्या है। बजरी की बात अभी दानिश जी उठा रहे थे। बजरी की बहुत ज्यादा समस्या है। पिछले राज में अवैध बजरी के नाम पर जिस तरह से परेशानी हुई, जो काश्तकार खुद के काम के लिए एक ट्राली लेकर आता था उसकी भी 27-27 हजार की, 32-32 हजार की पैनल्टी काटी गई। भोपाल से उनकी गाड़ियां छूटकर के आती थीं। बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हुई। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को कि 4 हैक्टेयर तक की जो सीमा अभी सरकार ने तय की कि कृषि भूमि में बजरी को जल्दी से हम खोलेंगे। इस बात के लिए मैं आप लोगों को और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार किसान की बात करते हैं। बिजली की बात करते हैं। अभिनेश जी, आप रात की बिजली की बात कर रहे थे। मैं काश्तकार का बेटा हूं और मैंने रात को खेतों में पानी दिया है। मुझे पता है इन 5 सालों का। 2006 से तो मैंने खेती की है। रात को कितनी सर्दी लगती है, वह इस सदन में सबसे ज्यादा मुझे पता है क्योंकि मैंने पानी दिया है। आपकी सरकार कहां गई थी 5 साल तक? जब रात को बिजली आती थी और काश्तकार रात को पानी देता था। आप आज एक महीने में दिन की बात कहने लग गए। आज हमारी सरकार ने व्यवस्था कराई है और मेरे क्षेत्र में मैंने व्यवस्था कराई है कि 2 हफ्ते तक दिन में बिजली आएगी और 1 हफ्ते तक रात में बिजली आएगी, ताकि काश्तकार को इसका फायदा मिले। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आने वाले समय में खेती के लिए बिजली दिन में दें। सबसे ज्यादा परेशानी रात को इस दिसम्बर और जनवरी के महीने में होती है। 2 महीनों में काश्तकार को सबसे ज्यादा परेशानी आती है। गेहूं की फसल कमर तक आ जाती है और पूरी रात काश्तकार भीगता हुआ पानी देता है। पूरी रात नंगे पांव उसको पानी देना पड़ता है। मैं मांग करता हूं कि काश्तकार को खेती के लिए दिन में बिजली दी जाए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): हमारे यहां आती थी

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने अधिकारियों से बात करके अभी व्यवस्था कराई है कि 2 हफ्ते दिन में बिजली दी जाए और 1 हफ्ते रात में बिजली दी जाए। आपके टाइम

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

तो एक-एक हफ्ते आती थी दोनों टाइम, एक हफ्ते रात में और एक हफ्ते दिन में। हमारे क्षेत्र में तो नहीं आई, आपके क्षेत्र में आती होगी, मुझे पता नहीं है। हमारे यहां के माननीय सदस्य तो पूरे 10 साल बिजनिस में लगे रहे। इसी कारण से उनकी जमानत जब्त हुई है। मैं पहली बार, बीजेपी के विधायक की जमानत जब्त कराकर आया हूं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अगली बार आप लोगों की होगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): हमारी होगी वह तो पता चलेगा। फूलचंद भिंडा जी आपके विधायक की जमानत जब्त हुई है। जो लगातार 2 बार विधायक थे। वह तो समय बताएगा कि किसकी जमानत जब्त होगी। आप चिंता मत करो इस बात की।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अपनी बात करें। माननीय सदस्य इन्द्राज जी, इधर बात करें। चेयर को देखकर के बात करें। एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार जीतकर आया हूं और आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को प्रणाम करता हूं और अपने दल व तमाम लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सदन में यह मेरा बोलने के लिहाज से पहला दिन है और सदन में चौथा दिन है। सामान्य सी बात है कि जुम्मा-जुम्मा चार दिन हुए हैं। मैं नवागंतुक हूं, नया टाबर हूं इस सदन का। लेकिन एक बात आश्चर्यजनक लगी, व्यवस्था में है या नहीं मुझे पता नहीं। लेकिन मेरी बांई ओर सत्ता पक्ष के, माननीय सदन के नेता से लेकर के 70 लोग अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं। यह व्यवस्था है या परम्परा है, मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जुम्मा-जुम्मा चार दिन के सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस की गम्भीरता का पता लगता है। प्रत्येक सदस्य को, जरूरी काम मुझे भी थे, और लोगों को भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसको पूरे राजस्थान की जनता देख रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मिश्रित रूप से कुछ बातें कहूंगा। मैं कोशिश करुंगा कि दोहराऊं नहीं। बहुत सारी बातों पर माननीय सदस्यों ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने, सत्ता पक्ष के माननीय मंत्री गणों ने, विधायकगणों ने यहां पर अपनी बात रखी है। लोकतंत्र भारत की ताकत है और हम उस लोकतंत्र का हिस्सा हैं और उस नाते हम सदन में बैठे हैं। 1952 से लेकर के 70 वर्षों की इन यात्राओं में भारत की कई उपलब्धियां शुमार हैं, अंतरिक्ष की यात्राओं से लेकर के, भारत की पुरातन संस्कृति से लेकर, भारत के आधुनिक विकास तक। लेकिन मैं कहूंगा कि लोकतंत्र ही भारत की ताकत है। यह शब्दों में व्यक्त की जा सकती है। उस लोकतंत्र की परम्पराओं का, व्यवस्थाओं का सम्मान होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है कि, 'well begun is half done'. अच्छी शुरूआत से आधा काम हो जाता है। लेकिन अफसोस है कि सरकार का पगफेरा ऐसा है कि सदन की गरिमा पर चोट पहुंचाने से लेकर, बाहर स्वाइन फ्लू के कहर ने, किसानों के आंदोलन ने, नौजवान बच्चों के ठिठुरती रातों के आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि सरकार की न तो नीति ठीक है और न नीयत ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण भी पढ़ा है। जन घोषणा पत्र भी पढ़ा है। यह किसी भी सरकार का एक दृष्टि पत्र होता है, विजन डाक्यूमेंट होता है। लेकिन मुझे निराशा हुई कि यह विजन डाक्यूमेंट बेहद निराशाजनक है। इसमें

(श्री सतीश पूनियां)

कोई नयापन नहीं है। केवल पूर्ववर्ती सरकार की चंद आलोचनाओं के अलावा कोई विजन दिखता नहीं है। जो इनका नारा है नया राजस्थान, क्या यह नया राजस्थान वह है जिसमें किसानों की कर्जा माफी पर 3 तरह की विरोधाभासी बातें कही गई हैं। 27 नवम्बर को जालोर की सभा में कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, अखबारों में छपा, कि समग्र कर्जा माफी का जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में केवल उसको कर्जा माफी बताया गया। यह कब होगा, कितना होगा, किसका होगा, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की उस पुस्तिका में 2 लाख तक का कर्जा माफी, उसको भी अलग-अलग तरीके से परिभाषित और अलंकृत किया गया।

(17.00 बजे)

मैं समझता हूं कि इससे नीयत और नीति स्पष्ट हो जाती है कि यह कर्जा माफी विधान सभा चुनाव में चुनावी फायदे के लिए इस प्रदेश के किसानों को गुमराह करने के लिए, वोट बटोरने के लिए की गई थी। सीधे-सीधे राजस्थान के किसानों के साथ एक छलावा था, भ्रम था, झूठ था, और यह कुछ दिनों में सामने आ जाएगा।

माननीय अध्यक्षजी, ऐसा हो नहीं सकता कि मीठा-मीठा गप-गप और खारा-खारा थू-थू। इसलिए कि 1952 से लेकर आज तक सत्ता का एक बहुत बड़ा हिस्सा 47 वर्ष से भी ज्यादा यहां की सत्ताधारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के हक में रहा है। न तो किसी डाक्टर ने मना किया था, न किसी ज्योतिषी ने मना किया था कि आप बेरोजगारी दूर मत करो, किसानों का कल्याण मत करो, लोक कल्याण का काम मत करो, लोगों को सुरक्षा मत दो, बेरोजगारों को रोजगार मत दो, लेकिन मैं यदि इतिहास में पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे 1972 याद आता है जब एक नारा लगा था, गरीबी हटाओ। माननीय अध्यक्षजी, गरीबी तो नहीं हटी लेकिन इतिहास गवाह है कि बहुत सारे गरीब हट गए। यहां पर किसानों की खुदकुशी का हल्ला होता है लेकिन इन 47 वर्षों में डेढ़ लाख किसानों ने खुदकुशी की थी उसका दोषी कौन है, इस बात की चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए।

इस अभिभाषण के दौरान बहुत सारी चीजों का जिक्र हुआ है पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है कर्जा माफी लेकिन कर्जा माफी से भी ज्यादा बहस का मुद्दा यह है कि हिन्दुस्तान में 52

(श्री सतीश पूनियां)

करोड़ किसान खेती और खेती से जुड़े हुए धंधों से जुड़े हुए हैं। जिस दिन यह किसान तय कर लेता तो अपनी हुकूमत और सत्ता शायद बना लेता। एसी के कमरों में बैठने वाले लोग किसान के कल्याण की बात सोचते नहीं लेकिन किसान निश्चित रूप से सोच सकता था। लेकिन अफसोस यह है कि किसान मानसिक रूप से कमजोर है, परिस्थितियों के आधार पर कमजोर है। मैं एक सुझाव इस सदन के माध्यम से देना चाहता हूं कि कोई भी दल हो, कोई भी सरकार हो लेकिन 1952 से लेकर आज तक एक सिंहावलोकन की आवश्यकता है। इस सदन में चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधान मंत्रीजी का जिक्र करना चाहूंगा। जिन्होंने यह कहा था कि भारत की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है, वह पहले कृषि अर्थशास्त्री थे जिन्होंने दृष्टि देने की कोशिश की थी, लेकिन केवल किसानों के हकों के साथ लीपापोती करने की कोशिश हुई। मैं श्रद्धा से यहां पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी को भी याद करना चाहूंगा कि उन्होंने हिन्दुस्तान के करोड़ों किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की पहल की। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से गांवों को सड़कों से जोड़ा और किसानों के जीवन में एक बदलाव लाने का काम किया लेकिन इन 47 वर्षों में आत्महत्याओं पर भी अंकुश लग सकता था, किसान खुशहाल हो सकता था, कीमत मिल सकती थी, लागत कम हो सकती थी, बीमा हो सकता था। मैं किसान होने के नाते केवल एक बात कहना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं कि तीन पक्ष किसान के हैं, कर्जा माफी कोई अल्टीमेट समाधान नहीं है। किसान की कीमत उसकी खेती क्योंकि आज घाटे का सौदा हो गई, जोत कम हो गई, उस पर कर्जा और खर्चा ज्यादा है इसलिए किसान की खेती की लागत कम की जाए, यह सरकार उपाय करे, यदि इस घोषणा पत्र में आता, इस अभिभाषण में आता तो मुझे खुशी होती। उनको कीमत पूरी मिले, अभी तक लीपापोती होती रही, किसान की फसल की जोखिम की भरपाई का उपाय राज्य सरकार करे तो मुझे खुशी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में और पूरे राजस्थान में खेती और उससे जुड़े धंधों से 9 लाख किसान पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का काम करते हैं। अभी उनको दूध की कीमत मिलती है 25 रुपए मात्र और वही दूध बाजार में 60 रुपए का मिलता है। किसान मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम 5 से 7 रुपए भावांतर दिया जाए ताकि हम अपनी हालत को ठीक कर लें। दूदू के किसान सड़कों पर बैठे हैं, बिजली का जिक्र हुआ, यह व्यावहारिक

(श्री सतीश पूनियां)

समस्या है। जो खेती और किसानी करते हैं वे समझ सकते हैं कि कड़ाके की ठंड में यदि दिन के सर्किट की बिजली मिल जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में जिक्र तो खूब बातों का हुआ है लेकिन किसान के बाद में नौजवान एक बड़ा तबका है जो बेरोजगारी से भी जूझ रहा है, दूसरी समस्याएं हैं लेकिन उसको 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का घोषणा पत्र में जिक्र हुआ है, लेकिन उसके योग्य कौन होंगे, कैसे दिया जाएगा कब दिया जाएगा, मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के नौजवानों को सही दिशा में ले जाने के लिए उनकी सहूलियत के लिए, रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए निश्चित रूप से कोई न कोई उपाय पुख्ता करने चाहिए। यहां पर बिजली की, किसानों की बात हुई, लेकिन इस अभिभाषण में जो गिरता हुआ भूगर्भ जल है और जिससे सिंचाई की व्यवस्था पुष्ट होनी चाहिए उसका जिक्र नहीं हुआ। मैं पूर्ववर्ती सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जिसने 13 जिलों में ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के माध्यम से साढ़े सैंतीस हजार करोड़ रुपए की योजना बनाई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उसको अमल में लाएगी और राजस्थान में किसानों को सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी क्या?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं समझता हूं कि जिन बातों का जिक्र यहां पर हुआ है, यह समय है कि जब सरकार को अभिभाषण और जन घोषणा पत्र और यहां पर माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप यदि वह फैसला नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से यह अभिमान की बात नहीं है, राजस्थान की जनता देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है और अगर लेती है तो भी छप्पर फाड़ कर ही लेती है इसलिए सरकार के सामने चुनौतियां खूब हैं, इस सदन की गरिमा बनी रहे यहां पर सार्थक बहस हो और उस बहस से सार्थक नतीजे निकलें।

"सितारों के आगे जहान और भी हैं
इश्क के इम्तिहां और भी हैं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह सरकार को सदन के नेता से लेकर 70 लोग गायब हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना शुरू करना पड़ेगा, यह तो अभी शुरूआत है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार गौड़।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): धन्यवाद।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय लेना चाहता हूं। मैं उस क्षेत्र से आया हुआ हूं, आज मुझे समय नहीं मिला है तो मुझे बीच में समय लेना है, कृपया एक मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्ष: राजकुमारजी।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साल से जो रीट अभ्यर्थी हैं शिड्यूल्ड एरिया के हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। जो भर्ती हुई थी उसमें सामान्य एरिया में हाई कोर्ट का स्टे था किन्तु उनके साथ शिड्यूल्ड एरिया के जो छात्र थे उनको घसीटा गया था। मैं इस सरकार से आशा करना चाह रहा हूं कि उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, पांच हजार छात्र पांच-छह महीने से इधर-उधर भटक रहे हैं। उनका कोर्ट में कोई भी मामला नहीं है फिर भी साथ में घसीटा गया था तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको बोलने का अवसर दिया। विधान सभा में प्रश्न उठाने की एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत सोमवार को आप अपनी बात कहें। धन्यवाद। राजकुमारजी।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): बाहर लोगों को मुझे इसका जवाब देना है इसलिए मुझे लेना पड़ा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, धन्यवाद।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि 15 मिनट जल्दी ही हो जाएगी, उम्मीद करूंगा दो-चार मिनट आप ज्यादा देंगे। इस बड़े सदन में मेरा यह पहला भाषण है, सब लोगों से सहयोग की उम्मीद करूंगा। कल्याण सिंहजी, माननीय राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा, उसके कुछ बिन्दुओं पर मैं बोलना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम किसान की खुशहाली के लिए सरकार ने जो वादा किया है, हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी वह कमेटी निर्णय करे और 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति की जो बात की गई है 2 लाख रुपए की सीमा तक ऋण माफ करने की, वह 30 तारीख तक जारी हो,

(श्री राजकुमार गौड़)

30 तारीख के बाद किसान को ब्याज न देना पड़े, ऐसी मेरी मंशा सरकार से रहेगी। मेरे से पूर्व वक्ता ने फसल बीमा योजना के बारे में बात की थी, बहुत गम्भीर मुद्दे हैं चाहे भारत सरकार की बात करूं या राज्य सरकार की, किसान को मालूम नहीं लगता कि उसकी फसल का कितना बीमा काट दिया गया, कितनी फसल बोई गई, उन बीमा कम्पनियों को मालूम नहीं है, बीमा कम्पनियां किसानों का बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है, सरकार को चाहिए कि बीमा योजना कम्पनियों के हित में काम न करके किसान के हित में काम करे, यह मेरी उम्मीद इस सरकार से रहेगी

महोदय, गाय के बारे में बात की गई। गाय के ठेकेदार तो बहुत बनते हैं, परन्तु आज देश में जो गायें घूम रही हैं, नन्दी घूम रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या है प्रदेश के लिए और विशेष रूप से किसान के लिए क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूं जो कृषि प्रधान जिला है। आज उस जिले में गत पांच माह में कम से कम 8 और 10 मौतें हो चुकी हैं। आज पशुधन सड़क पर घूम रहा है। सरकार कहती है कि हम अनुदान दे रहे हैं गौशालाओं को, गौशालाएं उन पशुओं को संभाल नहीं रहीं। नन्दी शाला को अनुदान दिया जा रहा है। नन्दी शाला में नन्दियों को ले जाया नहीं जा रहा और लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इसकी व्यवस्था करे, चाहे पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था करे। यह गम्भीर समस्या है जिससे लोगों की जान न जाए। निश्चित रूप से मैं चाहता हूं गायें बचें, पशुधन बचे, पर सरकार को उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी।

सर, 23वें पाइन्ट पर कहा गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई। समर्थन मूल्य पर एफसीआई इस बार जो गेहूं खरीदने की बात कर रहा है। केन्द्र सरकार आनलाइन पर खरीददारी की बात करती है। आनलाइन अभी सक्सेस नहीं है महोदय। सर्वर काम नहीं करता, किसान इसमें रजिस्ट्रेशन करवा नहीं सकता। मूंग और मूंगफली की खेती लोग बेच नहीं पाए और इतना बड़ा गेहूं का भण्डार है राजस्थान में और विशेष रूप से मेरे जिले में। किस तरह से आनलाइन से किसान अपनी फसल को बेच पाएगा। यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि समर्थन मूल्य पर किसान का जो गेहूं है वह खरीदा जाए और जो सरकार कर रही है। एफसीआई कह रही है कि हम आनलाइन के माध्यम से, सोसायटी के माध्यम से इसको खरीदेंगे।

(श्री राजकुमार गौड़)

इससे व्यापारी बेकार हो जायेगा। लाखों व्यापारी जो काम करते हैं, जो केवल सवा दो प्रतिशत आढ़त पर लेते हैं, जिसके पीछे हजारों परिवार पलते हैं, उसे अलग करके केवल मात्र उसे बर्बाद करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार को हमने मैमोरेंडम भी दिया है। मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर तत्काल जिस तरह से हरियाणा और पंजाब की सरकार ने निर्णय लिया है, यह निर्णय ले कि समर्थन मूल्य आढ़त के द्वारा इसकी खरीद की जाएगी, वरना आपका गेहूं उठ नहीं पाएगा।

मैं मेडिकल कालेज की बात करना चाहता था। सरकार ने मेडिकल को जो बढ़ाने की बात की है, गंगानगर में 2013 में तत्कालीन मुख्य मंत्री, जो वर्तमान में भी मुख्य मंत्रीजी हैं, उन्होंने मेडिकल कालेज का शिलान्यास किया था। एक दानदाता ने सौ करोड़ रुपये देकर कालेज बनाने की बात की थी पर वह आज तक पूरी नहीं हुई। न तो गत सरकार ने उस पर कोई निर्णय किया न गत सरकार ने कोई कोशिश की और वो मेडिकल कालेज शुरू नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि दानदाता उस कालेज को बनाये और अगर दानदाता कालेज को नहीं बनाता तो सरकार गंगानगर में मेडिकल कालेज बनाये। यह मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा।

सर, सिंचाई की व्यवस्था की बात की गई है। गंगानगर जिला सिंचाई पर आधारित है। पंजाब से तीन हमारे ये सिस्टम हैं भाखड़ा, आईजीएनपी, गंगनहर। आठ जिले इससे प्रभावित होते हैं। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वह सही नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही हो तो इतना अनाज पैदा हो जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक मेरे साथी पहले भी कह रहे थे, जिस कैन्सर की बात कर रहे थे। पंजाब की नहरों से गंदा पानी इन नहरों में आता है, तीनों नहरों में और उससे इतना बड़ा कैन्सर रोग हमारे यहां फैला हुआ है कि हमारे यहां ट्रेन जाती है हनुमानगढ़ से जयपुर....

श्री अध्यक्ष: राजकुमार जी, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राजकुमार गौड़ जी के बोलने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): वो जो नहरों में गंदा पानी आता है सर पंजाब का। कैमिकल्स का पानी है, चमड़े का पानी है, सीवरेज का पानी है उससे कैन्सर रोग फैल रहा है और हनुमानगढ़ से बीकानेर जो ट्रेन हमारे जाती है उस ट्रेन का नाम कैन्सर ट्रेन रखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब की सरकार से बात करें। ये गंदा पानी नहीं आए, ये ट्रीटमेंट वहीं पर हो और हम लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिले, अदरवाइज यह पूरा इलाका हमारा जो है कैन्सर में आ जाएगा। और जहां तक पानी की व्यवस्था है वह भी मैं कहना चाहता हूं वहां के अधिकारी जो हैं, वे सही काम नहीं कर रहे। डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रहा। तीनों हमारी जो योजनाएं हैं इनकी बहुत ही जर्जर स्थिति हो रही है। आज फिरोजपुर फीडर जो है, उसकी रिपेयर करवाने की आवश्यकता है। उसमें पंजाब और राजस्थान का 45 और 55 प्रतिशत हिस्सा है। सरकार उसकी तरफ करे और उसका रिपेयर कराये जिससे हम लोगों को पूरा पानी मिलेगा। सर, अभी बात की गई किसानों के ऋण की, किसान को ऋण क्यों लेना पड़े। हम बार-बार कहते हैं कि किसान का ऋण माफ करें, भारत सरकार माफ करे, राजस्थान सरकार माफ करे। ऐसी योजना क्यों नहीं बने कि किसान को ऋण लेना ही नहीं पड़े, दाम उसको उचित मिलते नहीं, समर्थन मूल्य की केवल बात की जाती है। समर्थन मूल्य पर कोई भी जिन्स खरीदी नहीं जाती। अगर वो जिन्स खरीदी जाए, समर्थन मूल्य पर किसान अपने आप खुशहाल हो जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार 2008 से 2013 में किसान को 2 लाख रुपये बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाता था, आज उसकी वापस आवश्यकता है। सौर ऊर्जा की बात की गई। सौर ऊर्जा में भी 2008 से 2013 में योजना थी कि 86 प्रतिशत अनुदान मिलता था। गत सरकार ने उसको काफी कम कर दिया। मैं वापस चाहूंगा सरकार से कि सौर ऊर्जा पर वापस 86 प्रतिशत जो अनुदान है, वह दिया जाए। किसान की क्या स्थिति है, यह आप सब भलीभांति जानते हैं। मनरेगा योजना बहुत बड़ी योजना है, भारत सरकार की योजना है। उसकी स्थिति बहुत कमजोर है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। जितने दिन रोजगार मिलना चाहिए, वह रोजगार उनको दिया नहीं जाता। मेट को 206 रुपये दिये जाने चाहिए थे, किसी को भी 180 रुपये से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। गरीब आदमी

(श्री राजकुमार गौड़)

जो मजदूरी करने जाता है। उसको पूछिए उसको कितना रुपया मिल रहा है। 100 रुपये और 102 रुपये का भुगतान हो रहा है। कारण कि भारत सरकार पूरा पैसा दे नहीं रही है। सरकार के पास पैसा है नहीं, इसलिए उस पैसे को कहां काटा जाता है, वह मजदूर पूरी मजदूरी करता है पर शाम को जब वह घर आता है तो उसको 102 रुपये मिलता है। सरकार की यह बहुत बड़ी योजना है। इसमें चाहिए सरकार को कि वह इस पर पूरा-पूरा ध्यान दे, जिससे आम आदमी, गरीब आदमी को जो आज उम्मीद है, आपकी सरकार से, वे उम्मीदें पूरी हों।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये जो मुख्य-मुख्य मेरे जिले की समस्याएं हैं, ये मैंने आपको बतायी हैं। ये राजस्थान की समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर हों और मैं निवेदन करना चाहूंगा हाउस से भी कि हम 73 से खुश हैं, हम 99 से खुश हैं, हम बोलते हैं, 73 वालों को कहते हैं 99 पर आप इतरा रहे हो। 99 वाले कह रहे हैं आप 180 से 73 पर आ गये। मैं कहना चाहूंगा 26 हम भी हैं। हमें भी सुनिए, हमारा सहयोग कीजिए। सब मिलकर इस राजस्थान के लिए अच्छी योजनाएं बना सकें। आपके नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम हो सके, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक सोमवार दिनांक 21 जनवरी 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 17.18 बजे सोमवार, दिनांक 21 जनवरी 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)